कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास
को समर्पित

वर्ष 51 अंक : 11 सितम्बर 2005 मूल्य : सात रुपये

शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण

भारत में महिला शिक्षाः दशा एवं दिशा

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति

कैसे पहुंचे शिक्षा जन-जन तक

दूरवर्ती शिक्षा के लिए तैनात उपग्रह एडुसैट

जन शिक्षण संस्थानः प्रबंधन एवं नीतिगत कार्य

प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण

- केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि ऐसा विकास हमारा सपना है जिससे आम आदमी के जीवन–स्तर में सुधार हो।
- दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां सौ करोड़ की आबादी वाला देश अपनी सामाजिक और आर्थिक उन्नति लोकतंत्र के माध्यम से कर रहा हो।
- मेरा विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और यह भविष्य सही मायनों में सभव भी है। इसके लिए हमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर ध्यान देना होगा। हमें इन्हीं दोनों कदमों पर आगे बढ़ना होगा ताकि विकास के लाभ समाज के हर तबके तक पहुंच सकें।
- हमारा देश आर्थिक विकास में अभूतपूर्व तरक्की हासिल कर रहा है। पिछले वर्ष हमारी आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत थी और इस वर्ष भी इतनी ही रहने की संभावना है। इससे पहले हमारे देश में इतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि आने वाले पांच या छह वर्षों में अगर तरक्की की हम यही रफ्तार बनाए रखने में कामयाब रहे तो यह मुमकिन है कि हम देश से गरीबी, अज्ञानता, भूख और रोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकेंगे। ऐसा करना मात्र कल्पना नहीं है। यह हम समय रहते कर सकते हैं।
- हमारी विकास योजनाओं की यह नीति है कि इसमें आम आदमी विशेष रूप से ग्रामवासी भागीदार बने। मुझे यकीन है कि पंचायतों के माध्यम से भारत–निर्माण एक ठोस कार्यक्रम बन सकेगा।
- हमारे सभी आर्थिक कार्यक्रमों में हमारी नीति यही रही है कि आम आदमी खासतौर से ग्रामीण इलाकों में रहने वाला आदमी इनमें भागीदार बने। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे इन कार्यक्रमों का ही एक हिस्सा हैं।
- हमारी जनसंख्या में एक बहुत बड़ा हिस्सा नवयुवकों का है। हमें इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए निवेश करना होगा ताकि इनका भविष्य उज्ज्वल बन सके। ऐसा करने से हमारी जनसंख्या हमारी एक बड़ी सम्पदा बन सकेगी।
- यह जरूरी है कि हमारे समाज का हर वर्ग शिक्षित हो ताकि वह विकास प्रक्रिया के लाभों का फायदा उठा सके।
- हमें शिक्षा को रुचिकर और सार्थक बनाना होगा ताकि हमारे बच्चों में स्कूल जाने के लिए इच्छा पैदा हो। हमें सभी वर्गों को शिक्षा मुहैया कराने की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। हमारा संकल्प है कि देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महिलाएं पुरुषों के समान शिक्षित होंगी।
- भारत को दुनिया में एक उभरती हुई ज्ञान शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इसकी वजह है हमारे विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान। अगर हमें प्रगति के रास्ते पर और तेजी से बढ़ना है तो इन संस्थाओं के स्तर में सुधार लाना होगा और कई नई संस्थाएं शुरू करनी होंगी। मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के विश्वविद्यालयों की 150वीं सालगिरह पर हमें यह संकल्प लेना होगा।
- जब तक देश में बेरोजगारी है हम यह नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से आजाद हैं।
- आज हम कहते हैं कि यदि गरीबी हटानी है तो **रोजगार बढ़ाओ**। ग्रामीण इलाकों से बेरोजगारी हटाने के लिए लोगों को रोजगार की गारंटी देना जरूरी है।
- मैंने कई बार कहा है कि सबसे गरीब तबके के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को मुफ्त बिजली देने से बिजली इकाइयों की हालत बिगड़ जाती है। हमें तेल की तरह बिजली के लिए भी सही कीमत अदा करनी होगी।
- यदि आर्थिक विकास हमारी कल्पना का एक पहलू है तो सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समानता इसका दूसरा पहलू है।
- यह जरूरी है कि अल्पसंख्यकों को हिफाजत के साथ खुशी–खुशी अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा मौका मिलना चाहिए। यही हमारा ध्येय है।
- हमारे देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के सम्मुख बहुत–सी दिक्कतें हैं। इनमें से कई वर्ग सदियों से उपेक्षित रहे हैं। उनको विकास के कामों में पूरा हिस्सेदार बनाना होगा। हम उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं।
- महिलाएं केवल परिवार की ही नहीं बल्कि देश की रीढ़ होती हैं। हमें इनके हाथ मजबूत करने होंगे और इन्हें अधिक–से–अधिक अधिकार देने होंगे।
- देश का कोई भी हिस्सा विकास की दौड़ में पीछे रह जाए यह हमारे लिए गवारा नहीं है।
- हमें यह याद रखना होगा कि हम पर्यावरण के रखवाले हैं और हमारी यह जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को हम यह अमानत हिफाजत से सौंपें।
- आतंकवादी कभी भी कश्मीरियों के हमदर्द नहीं रहे हैं। जब तक वे हमले जारी रखेंगे हमारी सेना चौकन्ना रहकर उनका मुंह–तोड़ जवाब देती रहेगी।
- ऐसा कोई मसला नहीं है जो बातचीत से हल नहीं हो सकता हो। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे। आइये हम सब मिलकर असल मसलों का हल तलाश करें जिससे जम्मू–कश्मीर के लोग शांति से जिंदगी बसर कर सकें। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादियों की कार्रवाइयों पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं लेकिन अधूरे प्रयासों से सफलता हासिल नहीं होगी। यह जरूरी है कि आतंकवाद का सारा ढांचा जड़ से उखाड़ा जाए। कई बार पिछड़ापन और विकास का अभाव ही उग्रवाद को पैदा करता है। उग्रवाद का सामना करना आसान नहीं है। मुझे विश्वास है कि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल करके इस पर काबू पाया जा सकता है।
- भ्रष्टाचार और मनमानी के लिए न तो हमारे समाज में और न ही हमारी सरकार में कोई जगह है। हम इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को सेवा की भावना से काम करना चाहिए और इसके लिए उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा।
- देश के इतिहास में कभी–कभी वह वक्त आता है जब कहा जा सकता है कि इतिहास बनाने का वक्त आ गया है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जब दुनिया चाहती है कि हम सफल हों और दुनिया के मंच पर अपना एक सही मकाम हासिल करें। हमारी तरक्की में कोई बाहरी अड़चनें नहीं हैं। अगर कोई अड़चन है तो वह देश के अंदर है।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 51 ● अंक : 11 ● पृष्ठ : 48

भाद्रपद–आश्विन 1927

सितम्बर 2005

संपादक
स्नेह राय

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण
राहुल शर्मा

सज्जा
संतोष कुमार सिंह

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

● शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण	इन्दु पाठक	3
● भारत में महिला शिक्षा : दशा एवं दिशा	कृष्ण कुमार मिश्र/नमिता संगमकर	9
● ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दयनीय स्थिति	मनोज कांत उपाध्याय	15
● दूरवर्ती शिक्षा के लिए तैनात उपग्रह 'एडुसैट'	जगनारायण	18
● अस्तित्व के संघर्ष में प्राथमिक शिक्षा	अनिता सिंह	20
● जन शिक्षण संस्थान : प्रबंधन एवं नीतिगत कार्य – एक अध्ययन	शारदानन्द सिंह/नजीर अहमद	22
● कैसे पहुंचे शिक्षा जन–जन तक	मनीष कुमार सिन्हा	25
● कार्टून–कामिक्स यानी शिक्षा के नए हथियार	अभिषेक शर्मा	27
● डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	साजिया आफरीन	29
● गौरवमय ज्ञान केंद्र : नालंदा		30
● ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान	ओ.पी. शर्मा	31
● राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन का ग्रामीण विकास में योगदान	गणेश कुमार पाठक	34
● सूचना, शिक्षा और संचार		36
● भारतीय किसान बनाम विश्व बैंक	अभिनय कुमार शर्मा	38
● ग्रामीण वित्त प्रबन्धन में जिला सहकारी बैंकों की भूमिका	नरेंद्र पाल सिंह/नवनीत राजपूत	39
● राष्ट्र के विकास में बैंकों भी भूमिका	सूर्य भान सिंह	43
● बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड : विश्वास का प्रतीक	कुमार शांत रक्षित	46
● संचार टेक्नोलॉजी के बारीक पहलुओं का अध्ययन	एस.के. पांडेय	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

शिक्षा सभी को नेता नहीं बना सकती लेकिन किस नेता का अनुसरण करना है, यह अवश्य ही सिखा सकती है। – अनाम

जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, जब आप एक महिला को शिक्षित करते है, तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। – जॉनेटा कोल

यदि आप एक वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं, चावल बोयें , यदि दस वर्षों के लिए योजना बना रहे हैं, पौधे लगाएं, यदि आप जीवन भर के लिए योजना बना रहे हैं, लोगों को शिक्षित करें। – चीनी कहावत

शिक्षा वास्तव में समाज की आत्मा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानान्तरित होती है। – जी.के. चेस्टरटन

जब स्कूल फलते–फूलते हैं, तो सारा वातावरण फलता– फूलता है। – मार्टिन लूथर

शिक्षा कोई उत्पादन ब्रैंड नहीं है – डिप्लोमा, व्यवसाय, धन इस क्रम में नहीं – यह तो एक सतत प्रक्रिया है। – बेल कॉफमैन

शिक्षा का उच्चतम मापदंड सहनशीलता है। – हेलन कैलर

मूल रूप से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं लेकिन शिक्षा उन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाती है। – अनाम

केवल शिक्षित ही स्वतंत्र है। – एपिक्टेटस

किसी भी उददेश्य की प्राप्ति/सफलता के लिए लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और निष्ठा आवश्यक है। – अब्दुल कलाम

शिक्षा ज्ञान के भंडार तक पहुंचने का माध्यम है। – अनाम

एक राष्ट्र तभी विकसित कहलाता है जब उसकी जनता में विद्या और बुद्धिमता का प्रसार अनुपात में बराबर हो। – स्वामी विवेकानन्द

शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण

इन्दु पाठक

शिक्षा मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होने के साथ–साथ वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का एक उपयोगी साधन भी है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व व बुद्धि का विकास कर, उसे आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यों को संपन्न करने के योग्य बनाती है। शिक्षा को एक ऐसे उपकरण के रूप में भी मान्यता दी गयी है, जिसकी सहायता से समाज में परिवर्तन व विकास के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा–पत्र में शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य के मूल अधिकारों में से एक माना गया है।

जब महिला शिक्षा की चर्चा की जाती है तो स्पष्टतः देखा जा सकता है कि इस संदर्भ में भी वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना शेष है। परंतु साथ ही यह भी सच है कि स्त्री शिक्षा की आवश्यकता व उपयोगिता को प्रति मानव समाजों की समझ क्रमशः बढ़ रही है। विश्वभर में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए किये गये आंदोलनों में, उनकी निम्न स्थिति को बदलने के लिए, शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज सुधारकों का भी ऐसा ही मत था। परंतु प्रारम्भिक काल में महिला शिक्षा का उपयोग, महिला को एक पत्नी व माता के परम्परागत कर्तव्यों के और अधिक कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के योग्य बनाना था, न कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास प्रक्रिया में उनकी अधिक दक्ष व कुशल भागेदारी हेतु उन्हें सक्षम करना था। धीरे–धीरे स्थिति में परिवर्तन आया तथा विशेषरूप से स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा के महत्व को उसके विविध व विस्तृत आयामों के संदर्भ में देखा जाने लगा और इन्हीं विविध आयामों में शामिल है, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के अर्थपूर्ण प्रयासों की संभावना। आज स्पष्टतः माना जाने लगा है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला, समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकारों ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में बहुविध भूमिका निर्वाह करने के लिए महिलाओं का आह्वान करने उनकी स्थिति सुधारने हेतु नये–नये आयाम प्रस्तुत किये। संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक 'नीतिनिर्देशक' सिद्धांत घोषित किया गया है। इसमें कहा गया – 'राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निशुल्क एवं अनिवार्य, शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।'

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी एक ऐसे उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका पर बल दिया जो नई समाजव्यवस्था का निर्माण करने के लिए स्त्रियों को सक्षम बना सकें। आज महिलाओं के मानवीय अधिकारों तथा समाजों व राष्ट्रों के विकास, दोनों ही संदर्भों में महिला शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया जाने लगा है। यही कारण है कि आज भारत में भी लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा प्रमुख नीतिविषयक तत्व बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (एन.ई.पी. 1986) में न केवल महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की समस्या की चर्चा की गयी है बल्कि साथ ही शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया गया है। इस हेतु लैंगिक विषमताओं की समाप्ति को भी मुख्य प्राथमिकता देने की इस शिक्षा नीति में चर्चा है। अब 93वें संविधान संशोधन (2001) के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार मान लिया गया है।

प्रस्तुत लेख में महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के संदर्भ में शिक्षा के महत्व व उपयोगिता की चर्चा की गयी है। विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर महिलाओं की स्थिति की जांच कर, यह जानने का प्रयास किया गया कि शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य तक पहुंचने की क्या संभावना हो सकती है। किसी भी समाज व राष्ट्र का विकास तभी संभव है जबकि उस समाज में महिलाओं व पुरुषों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हों। इन अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धांतिक मान्यता के साथ–साथ समाजों में व्यवहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। महिलाओं की स्थिति की जांच करने से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि यद्यपि कानूनी व सैद्धांतिक संदर्भों में उनके अधिकारों व अवसरों में कोई कमी नहीं है परंतु व्यवहारिक स्वीकार्यता के संदर्भ में अभी अभीष्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सके हैं। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं को स्थिति का आकलन लैंगिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचकों के विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों व राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार व पिछड़ेपन का आकलन करने में इन सूचकों का विशेष महत्व व सार्थकता है। कुछ प्रमुख सूचक इस प्रकार माने गये हैं–

- कार्यात्मक सहभागिता
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- जीवन अवधि
- सुरक्षा
- सार्वजनिक / निजी जीवन में निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता आदि–आदि

विकास संबंधी उपर्युक्त सूचकों में से प्रस्तुत लेख में केवल शिक्षा

को लिया गया है। विभिन्न शैक्षिक सूचकों के विस्तृत विश्लेषण से पूर्व महिलाओं के संदर्भ में 'समानता' व 'सशक्तिकरण' इन दो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण करना भी उचित होगा।

समानता

समानता का सामान्य अर्थ है– 'समान अवसरों की उपलब्धता' विस्तृत अर्थों में कहा जा सकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन में, बिना किसी भेदभाव के अवसरों की समान उपलब्धता ही 'समानता' है।

समानता के संवैधानिक आश्वासन व व्यवस्था के बावजूद, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चलते लैंगिक विषमताओं को पूर्णतः समाप्त किया जाना संभव नहीं हुआ है। लैंगिक असमानता की जड़ें मुख्यतः सत्ता व शक्ति संबंधों, जाति, वर्ग संस्तरण, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं, प्रथाओं व नियमों पर आधारित रही हैं।

सशक्तिकरण

लैंगिक विषमताओं को प्रोत्साहित करने वाली परंपरागत संस्थाओं व संरचनाओं में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे कि महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो सके, महिला सशक्तिकरण का आधार माना गया है। महिला सशक्तिकरण के कुछ परिभाषित मानक इस प्रकार माने गये हैं–

- महिलाओं में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना विकसित करना।
- महिलाओं की सकारात्मक छवि का निर्माण – यह कार्य सामाजिक आर्थिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देकर किया जा सकता है।
- महिलाओं में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास करना।
- निर्णय लेने की क्षमता का पोषण व उसे उन्नत करना।
- विकास प्रक्रिया में समान भागेदारी सुनिश्चित करना।
- आर्थिक स्वतंत्रता हेतु सूचना, ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराना।
- महिलाओं के कानूनी ज्ञान का विकास तथा स्वयं के अधिकारों संबंधी सूचनाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना।
- सामाजिक–आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से उनकी सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास करना।

महिला समानता व सशक्तिकरण संबंधी उपर्युक्त मानकों की व्यवहारिक प्राप्तियों के संदर्भ में निश्चय ही शिक्षा को एक आधारभूत उपकरण माना जा सकता है, परंतु इस संदर्भ में कुछ विचारणीय प्रश्न भी हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं–

- क्या महिला साक्षरता दर व शैक्षिक स्तर को उन्नत करके लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया जा सकता है?
- क्या यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि महिलाओं के शैक्षिक स्तर में सुधार से लैंगिक विकास निश्चित रूप से होगा?

यद्यपि लैंगिक समानता, विकास व महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में शिक्षा की निश्चित व महत्वपूर्ण भूमिका मानी गयी है परंतु यह कहना भी कठिन है कि केवल शैक्षिक स्तर में सुधार से ही महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। कारण यह है कि लैंगिक विषमता व पक्षपात की वर्तमान स्थिति मुख्यतः अनेक सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों व पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का परिणाम है। अतः केवल शैक्षिक स्तर में वृद्धि के आधार पर इसके समाप्त किये जा सकने का दावा नहीं किया जा सकता, तो भी शिक्षा की उपयोगिता को कम करके नहीं देखा जा सकता। वस्तुतः शिक्षा ही वह मुख्य उपकरण है जिसका महिलाओं की स्थिति व सशक्तिकरण पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। अतः महिलाओं की साक्षरता दर एवं उनके शैक्षिक स्तर के विश्लेषण व विवेचना के आधार पर उनकी स्थिति का आकलन करना संभव है।

प्रस्तुत लेख में महिला शिक्षा से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषक किया गया है–

- महिलाओं का साक्षरता स्तर
- साक्षरता स्तर के संदर्भ में विद्यमान लैंगिक असमानता
- प्राथमिक व माध्यमिक शैक्षिक स्तर पर बच्चों का स्कूल में नामांकन तथा ड्रापआऊट दर।
- बच्चों के स्कूल न जाने का कारण।
- विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर लड़के व लड़कियों को स्कूल कालेज में नामांकन का तुलनात्मक विश्लेषण।

प्रस्तुत लेख को शासकीय स्रोतों से उपलब्ध नवीनतम द्वैतीयक आंकड़ों पर आधारित किया गया है। विभिन्न शैक्षिक सूचकों के आधार पर राज्यवार महिलाओं के शैक्षिक स्तर को जांचने का प्रयास भी किया गया है। विभिन्न राज्यों में महिलाओं के तुलनात्मक शैक्षिक स्तर को ज्ञात करने के लिए एक सामान्य 'श्रेणी क्रम' तरीके को अपनाया गया है। शैक्षिक संदर्भ में राज्यों को पदानुक्रम, निम्नतम से उच्चतम की ओर दिये गये हैं। इस प्रकार श्रेणी क्रम 1 उस राज्य को दिया गया है जो कि शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ है तथा उच्चतम पद उस राज्य को दिया गया है जिसकी शैक्षिक स्थिति सबसे अच्छी है।

महिलाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थिति

नियोजित विकास प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण के अतिरिक्त शिक्षा को भी महिलाओं के विकास हेतु आवश्यक माना गया । स्कूल में बच्चों के नामांकन व ड्रापआऊट के संदर्भ में पायी जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं (विशेषकर छठी योजना, 1980–85 से) में भी शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की गयी। इस संदर्भ में स्थानीय स्तर के संगठनों, मुख्यतः अनौपचारिक शिक्षा के लिए कार्यरत संगठनों की संलग्नता को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। परंतु विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की नामांकन वृद्धि हेतु किये गये प्रयास तब तक अधिक प्रभावी नहीं हो पायेंगे तब तक कि स्कूलों में उनको निरंतर उपस्थित रहने हेतु तत्पर न किया जा सके। लड़कियों की ड्रापआऊट दर, उनके नामांकन हेतु किये गये प्रयासों की निष्फल कर देती है।

किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के संदर्भ में प्रथम कदम होता है 'साक्षरता'। साक्षरता अर्थात पढ़ने–लिखने की क्षमता का होना। पिछले दशक (1991–2001) में महिला साक्षरता की दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि होना उत्साहजनक माना जा सकता है। 1991 की 39 प्रतिशत की तुलना में 2001 में महिला साक्षरता दर का 54 प्रतिशत

तक हो जाना उल्लेखनीय सुधार माना जा सकता है। (सारणी–1)। यह सब निश्चय ही शासकीय व अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये गये प्रयासों का ही परिणाम है।

राज्यवार विश्लेषण

महिला साक्षरता दर की प्रगति के राज्यवार विभाजन को देखा जाय (सारणी–1) तो स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत राज्यों में 1991 की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राजस्थान जैसे राज्य की स्थिति को इस संदर्भ में बहुत ही सकारात्मक माना जा सकता है। जहां 1991 में महिला साक्षरता दर अत्यंत निम्न थी। (20.44 प्रतिशत) 2001 में इसमें दोगने से भी अधिक वृद्धि हुई है। (44.34 प्रतिशत) मध्य प्रदेश व नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ की उपलब्धि को भी उल्लेखनीय माना जा सकता है। दशक के दौरान महिला शिक्षा में होने वाला यह सुधार, अनेक कार्यक्रमों जैसे–महिला समाख्या, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.), प्रौढ़शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा में संबंधित कार्यक्रमों का परिणाम भी माना गया।

महिला साक्षरता के संदर्भ में प्रथम तीन स्थान केरल, मिजोरम व गोवा इन तीन राज्यों को प्राप्त हैं जहां 75 से 88 प्रतिशत तक महिलाऐं साक्षर हैं। साक्षरता दर में लैंगिक अंतर भी इन तीनों राज्यों में

सारणी–1

महिला साक्षरता तथा लैंगिक आधार पर साक्षरता दर में अंतर का राज्यवार विभाजन – 1991 एवं 2001

महिला साक्षरता दर					लैंगिक आधार पर साक्षरता दर में अंतर				
राज्य	वर्ष 2001	श्रेणी क्रम 2001	वर्ष 1991	श्रेणी क्रम 1991	राज्य	वर्ष 2001	श्रेणी क्रम 2001	वर्ष 1991	श्रेणी क्रम 1991
बिहार	33.57	1	21.99	2	राजस्थान	32.12	1	34.55	1
झारखंड	39.38	2	25.52	4	झारखंड	28.56	2	30.28	5
जम्मू एवं कश्मीर	41.82	3	उ.न.	–	उत्तर प्रदेश	27.25	3	30.45	4
उत्तर प्रदेश	42.98	4	24.37	3	बिहार	26.75	4	29.38	6
अरुणाचल प्रदेश	44.24	5	29.69	7	मध्य प्रदेश	26.52	5	29.19	7
राजस्थान	44.34	6	20.44	1	छत्तीसगढ़	25.46	6	30.55	3
मध्य प्रदेश	50.28	7	29.35	6	उड़ीसा	24.98	7	28.41	9
उड़ीसा	50.97	8	34.68	9	जम्मू एवं कश्मीर	23.93	8	उ.न.	–
आन्ध्र प्रदेश	51.17	9	32.72	8	उत्तरांचल	23.75	9	31.16	2
छत्तीसगढ़	52.40	10	27.52	5	हरियाणा	22.94	10	28.63	8
असम	56.03	11	43.03	12	गुजरात	21.90	11	24.49	10
हरियाणा	56.31	12	40.47	10	अरुणाचल प्रदेश	19.83	12	21.76	17
कर्नाटक	57.45	13	44.34	13	आन्ध्र प्रदेश	19.68	13	22.40	16
गुजरात	58.60	14	48.64	18	कर्नाटक	18.84	14	22.92	14
मणिपुर	59.70	15	47.60	17	महाराष्ट्र	18.76	15	24.24	11
पश्चिम बंगाल	60.22	16	46.56	15	मणिपुर	18.17	16	24.03	12
उत्तरांचल	60.26	17	41.63	11	हिमाचल प्रदेश	17.94	17	23.23	13
मेघालय	60.41	18	44.85	14	तमिलनाडु	17.78	18	24.42	15
सिक्किम	61.46	19	46.76	16	पश्चिम बंगाल	17.36	19	21.25	18
नगालैंड	61.92	20	54.75	24	त्रिपुरा	16.06	20	20.93	19
पंजाब	63.55	21	50.41	20	असम	15.90	21	18.84	21
तमिलनाडु	64.55	22	51.33	21	सिक्किम	15.27	22	18.94	21
त्रिपुरा	65.41	23	49.65	19	गोवा	13.37	23	16.55	22
महाराष्ट्र	67.51	24	52.32	23	पंजाब	12.08	24	15.25	23
हिमाचल प्रदेश	68.08	25	52.13	22	नगालैंड	9.85	25	12.87	24
गोवा	75.51	26	67.09	25	केरल	6.34	26	7.45	26
मिजोरम	86.13	27	78.60	26	मेघालय	5.73	27	8.27	25
केरल	87.86	28	86.17	27	मिजोरम	4.56	28	7.01	27
भारत	**54.16**	–	**38.79**	–	**भारत**	**21.69**	–	**24.52**	–

स्रोत: जनगणना रिपोर्ट (भारत) 1991 एवं 2001

उ.न. – उपलब्ध नहीं।

तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। बिहार व झारखंड जैसे राज्यों की स्थिति इस संदर्भ में सर्वाधिक शोचनीय मानी जा सकती है जहां कि महिला साक्षरता दर 40 प्रतिशत से भी कम है। जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां 50 प्रतिशत से कम महिलाऐं साक्षर हैं। परंतु इन सभी राज्यों में पिछले दशक में साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इनके अतिरिक्त

सारणी–2

स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 तक, विद्यार्थियों की नामांकन दर का राज्यवार विभाजन (वर्ष 1999–2000)

राज्य/केंद्र शासित	कक्षा 1–5 (6–11 वर्ष आयु वर्ग)			कक्षा 6–8 (11–14 वर्ष आयु वर्ग)		
प्रदेश	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
आन्ध्र प्रदेश	105.21	101.39	103.32	52.3	42.77	47.65
अरुणाचल प्रदेश	126.14	108.55	117.54	72.42	66.68	69.71
असम	124.25	105.36	114.94	81.02	64.63	72.99
बिहार	94.51	61.46	78.56	41.38	22.04	32.36
गोवा	71.44	63.96	67.59	77.03	67.36	72.20
गुजरात	124.44	101.43	113.38	77.81	57.31	64.89
हरियाणा	81.22	82.98	82.04	64.58	59.02	62.00
हिमाचल प्रदेश	92.97	80.83	86.66	91.80	78.66	85.15
जम्मू व कश्मीर	92.55	64.78	78.47	79.54	49.18	64.60
कर्नाटक	112.82	105.87	109.39	70.71	60.49	65.67
केरल	85.80	84.74	85.28	97.78	93.36	95.61
मध्य प्रदेश	126.53	102.94	115.03	75.28	48.70	62.56
महाराष्ट्र	115.80	112.32	114.10	96.72	80.37	88.80
मणिपुर	101.87	87.41	94.44	79.62	71.34	75.48
मेघालय	119.46	111.64	115.43	57.42	62.28	59.83
मिजोरम	121.84	107.52	114.62	78.77	76.17	77.47
नगालैंड	92.21	87.78	90.03	58.67	61.14	59.85
उड़ीसा	125.70	91.48	108.84	66.59	43.75	55.34
पंजाब	79.91	81.71	80.75	64.53	64.95	64.73
राजस्थान	137.61	83.81	111.92	105.89	48.35	78.88
सिक्किम	139.32	138.48	138.91	70.96	76.59	73.69
तमिलनाडु	102.75	98.62	110.73	88.56	85.15	86.89
त्रिपुरा	118.28	100.86	109.37	69.96	60.26	65.13
उत्तर प्रदेश	78.42	50.18	64.97	48.69	25.80	38.09
पश्चिम बंगाल	105.35	94.86	100.19	57.00	43.91	50.63
अंडमान निकोबार द्वीप	86.76	91.21	88.84	91.22	95.69	93.27
चंडीगढ़	66.30	65.40	65.88	68.06	71.88	69.79
दादर व नगर हवेली	153.43	106.59	128.90	77.28	48.30	62.79
दमन व दीव	119.16	93.99	105.73	92.60	81.20	86.90
दिल्ली	85.24	83.08	84.20	63.08	81.59	71.71
लक्षद्वीप	113.20	94.88	104.04	78.93	69.20	74.07
पांडचेरी	88.66	79.41	83.96	96.96	86.06	91.43
भारत	**104.08**	**85.18**	**94.90**	**67.15**	**49.66**	**58.79**

स्रोतः सलैक्टेड एजुकेशनल स्टेटिक्स–मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां राष्ट्रीय औसत की तुलना में महिला साक्षरता दर निम्न है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सभी राज्यों में (आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर) साक्षरता दर में लैंगिक अंतर भी सर्वाधिक है (24 से 32 प्रतिशत के मध्य) साक्षरता दर में लैंगिक अंतर के संदर्भ में नगालैंड, केरल, मेघालय व मिजोरम श्रेष्ठतम स्थिति में माने जा सकते हैं जहां यह अंतर 10 प्रतिशत से भी कम है।

नामांकन और ड्रापआउट दर

विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर बालिकाओं की नामांकन दर में यद्यपि क्रमशः वृद्धि हुई है परंतु तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लगभग सभी शैक्षिक स्तरों पर बालिकाओं का नामांकन बालकों से कम है। 1999–2000 में कक्षा 1 से 5 तक बालिकाओं का नामांकन 85.18 प्रतिशत रहा जो कि 6 से 8वीं कक्षा तक आते–आते 49.66 प्रतिशत तक गिर गया। राज्यवार विश्लेषण से भी स्पष्ट होता है कि लगभग सभी राज्यों में बालिकाओं की नामांकन दर अपेक्षाकृत कम है। केवल पंजाब, हरियाणा तथा केंद्रशासित प्रदेश अंडमान व निकोबार में बालिकाओं की स्थिति थोड़ा उन्नत कहीं जा सकती है (सारणी–2)।

स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों में भी बालिकाओं की संख्या अधिक है। 1999–2000 के आंकड़ों के अनुसार (सारणी–3) प्राइमरी स्तर पर ही लगभग 42 प्रतिशत बालिकाऐं स्कूल छोड़ देती हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश व राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां एक ओर लड़कियों की नामांकन दर निम्न है तथा दूसरी ओर उनके स्कूल छोड़ने की दर भी अधिक है। इस संदर्भ में ये तीन राज्य श्रेणीक्रम में प्रथम तीन स्थानों पर हैं जो कि निम्नतम हैं। प्राइमरी स्तर पर ही इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ देने का सीधा परिणाम होता है, माध्यमिक व उच्च शैक्षिक स्तर तक बहुत कम बालिकाओं का पहुंच पाना। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि लड़कियों के स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण, छोटे भाई बहनों की देखभाल, घरेलू कार्यों में माता की सहायता, खेत व खेत के बाहर कार्य करना आदि हैं। इसी कारण वे प्रायः औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाती हैं। 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' द्वितीय (1998–99) के अध्ययन निष्कर्षों से भी पता चलता है कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। स्कूल छोड़ने की इस प्रवृत्ति के कारण ही बहुत कम बालिकाए माध्यमिक या उच्च शैक्षिक स्तर तक पहुंच पाती हैं।

निम्न शैक्षिक स्तर का सीधा अर्थ है, इस मानव पूंजी (महिला) का निम्नस्तरीय विकास, कुशलता का निम्नस्तर तथा श्रमबाजार में निम्नस्तरीय भागीदारी। निम्न शैक्षिक स्तर के कारण ही प्रायः महिलाओं को उन असंगठित क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है जहां सुरक्षा व संरक्षण का अभाव होने के साथ ही वेतन भी कम प्राप्त होता है। शिक्षा के निम्न स्तर के कारण ही प्रायः महिलाए स्वयं के स्वास्थ के प्रति जागरूक नहीं हो पाती और इसी कारण उनके कल्याण से संबंधित उपलब्ध सुविधाओं का ज्ञान भी उन्हें नहीं हो पाता।

उच्च शिक्षा और महिलाएं

प्राथमिक शैक्षिक स्तर पर अपेक्षाकृत कम नामांकन तथा विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर स्कूल छोड़ देने के कारण बहुत कम संख्या में

सारणी–3

प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देने वाले बालिकाओं की दर का राज्यवार विभाजन (वर्ष 1999–2000)

राज्य व केंद्र शासित प्रदेश	श्रेणी क्रम	कुल	बालिकाएं
राजस्थान	1	52.53	62.68
उत्तर प्रदेश	2	56.64	62.16
बिहार	3	57.27	58.64
पश्चिम बंगाल	4	54.07	58.48
मेघालय	5	57.43	57.22
सिक्किम	6	58.94	56.35
मिजोरम	7	51.64	51.27
अरुणाचल प्रदेश	8	50.23	50.81
त्रिपुरा	9	49.47	49.25
जम्मू व कश्मीर	10	51.84	47.39
नगालैंड	11	46.73	46.68
उड़ीसा	12	36.12	44.38
मणिपुर	13	43.30	42.90
असम	14	33.69	42.20
दादर व नगर हवेली	15	31.53	41.29
आन्ध्र प्रदेश	16	40.28	41.23
तमिलनाडु	17	41.10	39.19
हिमाचल प्रदेश	18	35.35	33.90
गुजरात	19	29.49	28.10
कर्नाटक	20	28.87	27.19
मध्य प्रदेश	21	19.03	22.97
महाराष्ट्र	22	20.29	21.72
पंजाब	23	22.49	20.15
हरियाणा	24	14.57	12.78
गोवा	25	8.58	11.51
दमन व दिव	26	3.59	6.60
दिल्ली	27	5.67	6.03
अंडमान व निकोबार	28	5.60	5.77
लक्ष द्वीप	29	2.70	4.08
केरल	30	−7.05	−5.00
पांडिचेरी	31	−6.32	−6.19
चंडीगढ़	32	−66.70	−66.17
भारत	—	**40.25**	**42.28**

स्रोतः शिक्षा विभाग – मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित।

लड़कियों उच्च शिक्षा तक पहुंच पाती है। परंतु उत्साहजनक तथ्य यह है कि आज उच्च शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों में लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कला व चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में पहले भी थोड़ा बहुत लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती थी। परंतु साइंस, इंजीनियरिंग व कामर्स आदि में तो उनकी संख्या न के बराबर थी। परंतु अब इन सभी क्षेत्रों में लड़कियां अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रति 100 लड़कों में लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े दिये हैं। आंकड़ों के अनुसार 1950–51 में प्रति 100 लड़कों में कला संकाय में 15.4 प्रतिशत चिकित्सा में 18.5 प्रतिशत लड़कियां थी। परंतु साइंस (0.0 प्रतिशत) कामर्स (0.5 प्रतिशत) व इंजीनियरिंग (0.3 प्रतिशत) में लड़कियां लगभग नहीं थी। परंतु 1998–99 के आकंड़ों के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रति 100 लड़कों में कला (18.1 प्रतिशत) चिकित्सा (62.1 प्रतिशत), साइंस (55.2 प्रतिशत), कामर्स (46.1 प्रतिशत) तथा तकनीकी शिक्षा (24.3 प्रतिशत) के क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि को पर्याप्त माना जा सकता है। यद्यपि सभी शैक्षिक स्तरों पर लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है परंतु स्त्रियों की स्वयं की साक्षरता दर व शैक्षिक स्तर में हुई प्रगति को उत्साहजनक माना जा सकता है। इन सभी शैक्षिक उपलब्धियों ने निश्चय ही एक वर्ग के रूप में महिला को सशक्त किया है।

शिक्षा व शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के जमीनी सच्चाई से जुड़े प्रसंग समय–समय पर चर्चित होते रहे हैं। साक्षरता व शिक्षा हेतु चलाये गये अभियानों से महिलाओं में जागरूकता व गत्यात्मक प्रेरणा उत्पन्न हुई है। उदाहरणार्थ– आन्ध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा 'अरक' (शराब) के विरुद्ध सशक्त रूप से चलाया गया आंदोलन (जिसमें उन्हें हिंसा का सामना भी करना पड़ा) मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से प्राप्त जागरूकता का ही परिणाम था। 'महिला सामख्या' कार्यक्रम व 'सेवा' (सैल्फ इम्प्लाइड वीमैन्स एसोसिएशन) जैसे संगठनों का भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा में लैंगिक विषमता समाप्त करने हेतु राजस्थान की 'लोकजुम्बिश' तथा 'शिक्षाकर्मी' आदि कार्यक्रमों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस शैक्षिक जागरूकता के चलते ही महिलाओं संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। अब महिला कार्यक्रमों का 'फोकस' महिला कल्याण से थोड़ा हटकर 'महिला सशक्तिकरण' की ओर हो रहा है। निश्चय ही सशक्त होने पर महिला अपने कल्याण के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं बल्कि स्वयं समर्थ होगी। इस हेतु महिलाओं को शैक्षिक रूप से और सुदृढ़ करना होगा, साक्षरता दर व विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर उनकी स्थिति को निरंतर उन्नत करना होगा, शिक्षा में लैंगिक असमानता को समाप्त करने हेतु प्रयासरत होना होगा तथा प्राथमिक शिक्षा पर और अधिक ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में सन् 2010 तक संभावित रूप से प्राप्त किये जा सकने वाले सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य हेतु चलाये जा रहे 'सर्वशिक्षा अभियान' जैसे कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से संचालित किये जाने की आवश्यकता है। तभी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकना संभव होगा। ❑

(लेखिका कुमायुं विश्वविद्यालय, नैनीताल में समाजशास्त्र विभाग में रीडर हैं)

सबके लिए शिक्षा और उत्कृष्ट शिक्षा

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने शिक्षा पर सरकारी व्यय बढ़ाने संबंधी अपना वायदा पूरा करने के लिए सबसे पहले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही करों पर 2 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया है। इस तरह एकत्र निधि को बुनियादी शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा जिससे प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के विकास को वित्तपोषित किया जाएगा। सरकार ने स्कूलों में बच्चों को दोपहर के समय पका भोजन देने के कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के अपने दावे को पूरा किया है।

शिक्षा उपकर के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के लिए संसाधनों में वृद्धि हुई है। इससे सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक शिक्षा कोष, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्यान्ह भोजन योजना और किशोर बालिकाओं के लिए पौष्टिक आहार कार्यक्रम का बेहतर ढंग से वित्तपोषण हो सकेगा। पहली बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वशिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन किया गया है। शैक्षिक उपग्रह एडूसेट को छोड़ने और दूरदर्शन की सीधे घर तक टेलीविजन सुविधा (डीटीएच) प्रारंभ होने से हम ज्ञान का प्रचार–प्रसार करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकेंगे। हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए स्थापित संस्थाओं के हितों की रक्षा करने के लिए "अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग" स्थापित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित किया गया है। इलाहाबाद एवं मणिपुर विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दर्जा और जामिया मिलिया इस्लामिया को विशेष अनुदान दिया गया है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान को भी स्वीकृति दी है और कश्मीर विश्वविद्यालय में फैकल्टी के विकास पर सहमति दी है।

यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की सभी संस्थाओं को स्वायत्तता मिली रहे। भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्वायत्तता पुनः बहाल की गई है ताकि वे अपने फीस ढांचे को खुद निर्धारित कर सकें। भारतीय प्रबंध संस्थानों में प्रवेश प्राप्त सभी छात्रों को आय के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले एक साल में शैक्षिक ऋण कार्यक्रम का प्रभावशाली विस्तार हुआ है। सरकार प्रतिवर्ष 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करेगी और उन्हें अपनाने एवं अपग्रेड करने के लिए प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं जैव–प्रौद्योगिकी, स्टेम सैल एवं टिश्यू इंजीनियरिंग, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक संशोधन से बने जी.एम. उत्पादों के परीक्षण के क्षेत्र में नए उत्कृष्टता वाले नये केंद्रों को वित्तपोषित किया जा रहा है। ❑

भारत में महिला शिक्षा : दशा एवं दिशा

डा. कृष्ण कुमार मिश्र तथा नमिता संगमकर

सूचना और संचार क्रांति के इस दौर में शिक्षा का बहुत महत्व है। महिलाएं इस समाज का आधा हिस्सा हैं। उनकी शिक्षा और बेहतरी से ही समाज शिक्षित और समृद्ध हो सकता है। कहते हैं कि यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाए तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित कर दिया जाए तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। यानी एक महिला के शिक्षित होने से उसके पूरे परिवार की शिक्षा और कल्याण जुड़ा है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां गरीबी और अशिक्षा एक भयंकर समस्या है, वहां स्त्रियों की शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां आज भी अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। हमारे संविधान में स्त्रियों और पुरुषों दोनों को समानता का दर्जा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, वर्ण, लिंग, संप्रदाय का हो उसे शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। फिर स्त्रियां ही इससे वंचित क्यों रहें? ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शिक्षा प्राप्त करने की प्राथमिकता पुरुषों को दी जाती है। स्त्रियों की शिक्षा को अनावश्यक समझा जाता है। इसका कारण है वे स्त्री शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ हैं।

वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का पूरा अधिकार था तथा समाज में उनका विशिष्ट स्थान था। स्त्रियां कृषि कार्यों और युद्ध अस्त्रों के निर्माण का कार्य भी करती थीं। वे अपने पतियों के साथ युद्ध में भाग लेती थीं व धनुर्वेद और अश्वसंचालन में निपुण थीं। उन्हें भी पुराणों को अभ्यास करने, मंत्रों का उच्चारण करने व वेदों का अध्ययन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। उस समय कुछ स्त्रियां ऋषि भी थीं व वेद मंत्रों की शिक्षा भी देती थीं। वे पुरुषों के साथ वादविवाद भी करती थीं। उस समय की विदुषी नारियों में इंद्राणी, मैत्रेयी, गार्गी, लोपमुद्रा, सर्पराज्ञी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। लड़कियों को उपनयन और यज्ञोपवीत की उपाधि दी जाती थी। स्त्रियां अर्धांगिनी कहलाती थीं और यज्ञादि कर्मों में भाग लेती थीं।

कन्या विद्यार्थियों को दो वर्गों में बांटा गया था : ब्रह्मवदिनी और सद्यवधु। ब्रह्मवदिनी वेद, वेदांग और उपनिषदों का पूरे समय अध्ययन करती थीं। उनमें से कुछ जीवन भर भी ब्रह्मचारिणी रहती थीं। लेकिन ज्यादातर समान पद व स्थिति के ऋषि के साथ विवाह कर लेती थीं। सद्यवधु अपनी शिक्षा बीच में छोड़ देती थीं और 18 या 20 वर्ष की आयु में विवाह कर लेती थीं। स्त्रियों की शिक्षा में घर की देखभाल करने के लिए आवश्यक सभी उपयोगी कलाओं का विशिष्ट स्थान था। उन्हें संगीत, नृत्य, कढ़ाई, पाककला, बुनाई, सिलाई, चित्रकारी, पेंटिंग, पशुपालन और दूध दुहना आदि सिखाया जाता था। उन्हें अनाजों का संग्रहण, पत्रलेखन, प्रारंभिक बहीखाते, आंतरिक सज्जा और शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने की शिक्षा भी दी जाती थी। अचार और मसाले बनाना व उनका संरक्षण करना भी उनकी शिक्षा का एक भाग था। बच्चों की देखभाल, सुगंध शास्त्र और बच्चों की दवाइयों का प्रारंभिक ज्ञान भी पाठ्यक्रम में शामिल था। भारत अपने समकालीन देशों की तुलना में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था।

उत्तर वैदिक काल में स्थितियां बदल गई थीं। मनु ने कुछ नियम बताये जिनके अनुसार स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। उनमें मंत्रों का उच्चारण करने की योग्यता भी नहीं है। मनु के अनुसार स्त्रियों को केवल घर के कार्य करने चाहिए व अपने पति की सेवा करना उनका धर्म है। यह उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बराबर है। उन्होंने अन्य कई नियम बताये जिनका पालन करना स्त्रियों के लिए अनिवार्य था। विवाह की आयु भी कम हो गई थी। उस समय स्त्रियों को वेदों की शिक्षा के स्थान पर संगीत, नृत्य, चित्रकला व अन्य ललित कलाओं के सीखने पर अधिक जोर दिया जाने लगा। देखा जाए तो इस काल में जो विचारधाराएं थीं वही काफी बदले हुए स्वरूप में आज भी कायम हैं। ये सभी स्त्रियों को दमित करने का कुचक्र था। उन्हें बाहरी वातावरण से दूर रखने का प्रयास था। कम आयु में विवाह करने से वे शिक्षा से वंचित रह जाती थीं। उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न नहीं हो पाती थी। वे धन व सुरक्षा के लिए पुरुषों पर आश्रित थीं। बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया है। स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वे भिक्षुणी कहलाती थी और विहारों या मठों में रहती थीं।

दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले भारत में सुस्थापित और समृद्ध देशी शिक्षण संस्थाएं थीं जिन्हें गुरुकुल आश्रम के नाम से जाना जाता था। भारत शिक्षा व ज्ञान के क्षेत्र में अन्य देशों से काफी आगे था। प्रथम मदरसा सन 1191 ई. में मोहम्मद गौरी के द्वारा अजमेर में स्थापित किया गया था। कुछ प्रसिद्ध मदरसे थे – मदरसा मोइज्जी, मदरसा नसीरिया, मदरसा सुल्तान इल्तुतमिश, मदरसा हौज खास, मदरसा फिरोज शाही, मदरसा हुमायूं आदि। सिंध, कश्मीर, गुजरात, मुल्तान, बंगाल और बदायूं में प्रसिद्ध मदरसे थे। सल्तनत काल में शरू हुई मुस्लिम शिक्षा पद्धति मुगल काल में और अधिक सुदृढ़ हुई। सन 1526 ई. में बाबर भारत आया। वह एक योद्धा था व एक कवि भी था। बाबर अरबी, फारसी और तुर्की का विद्वान था व उसने कई पुस्तकें भी लिखीं। उसके बाद हुमायूं ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया।

उसके शासन काल में मदरसों की स्थापना दिल्ली व अन्य स्थानों पर हुई। उसके बाद अकबर ने अपना एक अलग स्थान बनाया। उसने शिक्षा को धर्म से मुक्त रखने का प्रयास किया। उसने शिक्षा तंत्र को राष्ट्रीय बनाया। हिंदू और मुस्लिम एक छत के नीचे पढ़ते थे। अकबर ने शिक्षाक्रम, अध्ययन व अध्यापन की विधियों में भी परिवर्तन लाये।

अकबर ने पाठ्यक्रम में नैतिकता, अंकगणित, बहीखाता, कृषि, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र व इतिहास आदि विषयों का समावेश किया। उसके काल में शिक्षा संस्थानों की संख्या में भी वृद्धि हुई। आगरा और फतेहपुर सीकरी के साथ ही छोटे स्थानों पर भी शिक्षा के केंद्र खोले गये। उस समय स्थापित मदरसों में जौनपुर, मंदुआ, अहमदाबाद, पटना, गुलबर्ग, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, लखनऊ, सोहाली, खैराबाद, जायस, बिलग्राम, गाजीपुर, बदायूं, अजमेर और बिहार शरीफ में स्थापित मदरसे प्रमुख हैं। अकबर ने शिक्षित व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार और छात्रवृत्तियां दीं। उसने हिंदुओं को उनकी संस्कृति का अध्ययन मदरसे में करने के लिए प्रेरित किया।

उसने हिंदू मुस्लिम एकता व सद्भाव बढ़ाने का प्रयास किया। इस्लाम में स्त्रियों की शिक्षा को समान महत्व दिया गया है। इल्तुतमिश ने अपनी शिक्षित पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वह शिक्षित व्यक्तियों की हिमायती थी। ऐसी कई मुस्लिम शासिकायें भी हुईं जिन्होंने अपनी योग्यता और कला युद्ध भूमि में भी दिखाई। अहमदनगर की चांदबीबी जिसने अपने राज्य की अकबर की सेना से रक्षा की। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम हुमायुनामा की लेखिका थी। हुमायुं की भतीजी सलीमा सुल्ताना भी एक कवियत्री व उच्च शिक्षित महिला थी। अकबर के समय में राजघरानों की स्त्रियों के लिए नियमित शिक्षा का प्रावधान था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां फारसी व अरबी की विदुषी थी व शासनकार्य संभालने में भी निपुण थी। जेब–उन–निस्सा औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री थी तथा फारसी, अरबी व केलीग्राफी में निपुण थी। उसने अनेक कवियों व लेखकों को रोजगार दिया। मुगल काल में भारतीय स्त्रियां शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल नहीं कर पाई परंतु राजकुमारियों की शिक्षा को भारत में बहुत प्रोत्साहन मिला। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और मुस्लिम स्त्रियां उतनी उपेक्षित नहीं रही जितनी वे सामान्यतया होती हैं।

सन् 1800 के आरंभिक काल में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। समाज में कई प्रकार की रूढ़ियां व्याप्त हो गई थी जैसे सती प्रथा, बालविवाह, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति न होना आदि। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं समझा जाता था। स्त्रियां अज्ञानता के बंधनों में जकड़ी हुई थीं। उस समय राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि समाज सुधारकों ने स्त्रियों के उत्थान के लिए कड़ा संघर्ष किया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा व बालविवाह का जमकर विरोध किया। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कार्य किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उस समय अंग्रेजों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों को इन सुधारकों ने खुला सहयोग प्रदान किया। लार्ड डलहौजी ने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा यह माना कि यह एक अहम् मुद्दा है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसके बाद इसाई मिशनरियों ने भी स्त्रियों को शिक्षित करना आवश्यक है। उनका उद्देश्य अलग था परंतु उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने का पूरा प्रयत्न किया। अपने स्कूल खोले लोगों को शिक्षित करने के प्रयास किये।

सन् 1854 के शिक्षा सुधार के बाद काफी जागृत्ति उत्पन्न हो चुकी थी। स्त्रियों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर डाला गया। कई संस्थाएं आगे आईं जिन्होंने लड़कियों की बुनियादी शिक्षा के लिए खुलकर अनुदान दिया। एक अंग्रेज महिला समाज सुधारक मैरी कारपेंटर ने यह अनुभव किया कि स्कूली शिक्षा के साथ–साथ महाविद्यालय शिक्षा भी आवश्यक है। उसके प्रयासों से महिलाओं के लिए पहला प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला गया। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882–83 में स्थापित हुआ। लार्ड रिपन ने इसे डब्ल्यु.डब्ल्यु. हंटर की अध्यक्षता में नियुक्त किया था। इस आयोग का गठन प्राथमिक शिक्षा के विकास की जानकारी लेने व इसके विस्तार और इसमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए किया गया।

आयोग ने देशी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सहायक अनुदान व्यवस्था, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की शिक्षा, पहाड़ी जनजातियों की शिक्षा आदि बातों पर चर्चा की। आयोग ने महिलाओं की शिक्षा की धीमी गति पर खेद व्यक्त किया और यह सुझाव दिया कि सभी प्रकार के पब्लिक फंडों, स्थानीय, म्युनिसिपल और प्रांतीय से समान अनुपात में लड़कियों व लड़कों के विद्यालयों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार ने प्राइवेट कन्या स्कूलों को स्वतंत्र अनुदान, महिला शिक्षिकाओं को अनुदान, कन्या प्राथमिक विद्यालयों में सरल पाठ्यक्रम लागू किया जाये, महिलाओं के लिए विद्यालय खोले जाएं और लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से निरीक्षणालय खोला जाए।

सन् 1902 से 1921 तक के काल में शिक्षा के प्रति काफी जागरूकता उत्पन्न हो चुकी थी। इस काल में 19 महाविद्यालय, 675 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और 21,956 प्राथमिक विद्यालय थे। लड़कियों के विवाह की आयु भी बढ़ गई जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। इस काल में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी। कालेज शिक्षा में विशेष प्रगति नहीं हुई। 1901–02 में प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं का नामांकन 3.45 लाख था, यह सन् 1922 में बढ़कर 11.99 लाख हो गया। माध्यमिक कक्षाओं में भी लड़कियों की प्रवेश संख्या बढ़ी। मेडिकल, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 1922 से 1947 तक के काल में लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ने से उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिला। इस दौर में नारी शिक्षा की सर्वांगीण प्रगति हुई। 1946–47 में प्राथमिक शिक्षा में छात्रा नामांकन की संख्या 12 लाख से बढ़कर 35 लाख तक पहुंच गई। इस समय में उच्च शिक्षा में प्रवेश की गति काफी तेज रही।

गांधीजी ने भी स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकारा। उन्होंने देखा कि स्त्रियों में अद्‌भुत नैतिक दृढ़ता और सहनशीलता है। उनकी यही विशेषता उन्हें पुरुषों से भी उच्च स्थान पर रखती है। उन्होंने इसे स्त्री शक्ति कहा और यह अनुभव किया कि यही शक्ति भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिये किये जा रहे शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को मजबूती प्रदान करेगी। और हुआ भी यही। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व स्वाधीनता प्राप्ति में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किये गये। महिलायें जो सदियों से अन्याय व शोषण झेल रही थीं उनकी स्थिति को सुधारने के लिये भी प्रयास प्रारंभ किये गये। पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को स्त्रियों की स्थिति सुधारने का एक उपकरण माना गया। सन 1948–49 में उच्च शिक्षा पर केंद्रित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। यह आयोग डा. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। इस आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के सभी पक्षों का अध्ययन किया। इस आयोग ने यह सुझाव दिया कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये। स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा एक जैसी न हो, उसमें कुछ समानता हो सकती है। कालेजों में लड़कियों को समान सुविधायें प्रदान की जाये। स्त्रियों को उनकी अभिरुचियों के अनुसार शिक्षा दी जाए। महिला व पुरुष अध्यापकों को एक समान वेतन मिले। कालेज स्तर पर सहशिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाये। जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तब देश में 100 से भी कम महिला कालेज थे। आज इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है।

भारत सरकार ने सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। आयोग का मत था कि माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा समान होनी चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा में गृहविज्ञान का विशेष महत्व होना चाहिए। आयोग का मत था कि सभी राज्यों में लड़कियों के लिये स्कूल खोले जाये। शिक्षा की दृष्टि से लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं किया जाये। गृहविज्ञान, संगीत, चित्रकारी आदि की शिक्षा का प्रबंध किया जाए। महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति सहशिक्षा संस्थाओं में की जाए। लड़कियों को स्कूल में सभी सुविधायें दी जाएं।

सन 1964 में भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष डा. डी.एस. कोठारी थे। अध्यक्ष के नाम पर इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। आयोग का मत था कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लड़कियों को भी कला, मानविकी, विज्ञान और शिल्पविज्ञान के पाठ्यक्रमों में मुक्त भाव से प्रवेश मिलना चाहिए। उन्हें किसी खास विषय को चुनने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिये हर प्रकार का प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलनी चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिए और उनके लिए जरूरी धन जुटाया जाना चाहिए। सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देना जरूरी है। स्त्रियों के प्रशिक्षण और रोजगार की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व स्नातक स्तर पर महिलाओं के लिये पृथक कालेज स्थापित किए जा सकते हैं। गृहविज्ञान, परिचर्या, शिक्षा और सामाजिक कार्य के पाठ्यक्रमों को विकसित करना जरूरी है। शिक्षा के सभी स्तरों और सभी क्षेत्रों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए। अध्यापिकाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के प्रबंध को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाशाली बालिकाओं को शिक्षित होने तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति दी जाए ताकि वे अध्यापिकाएं बन सकें। जहां आवश्यक हो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली अध्यापिकाओं को विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग 4 में नारी शिक्षा के विषय में कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा :– शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिये एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा। महिलाओं से संबंधित अध्ययनों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास से संबंधित सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। महिला निरक्षरता दूर करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। विभिन्न स्तरों पर जीविका संबंधी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर प्रमुख जोर दिया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और रोजगार में भेदभाव समाप्त किया जायेगा जिससे गैरपरंपरागत काम धंधों में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके। नई तकनीकी के उपयोग के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जायेगा। सत्तर के दशक के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन आया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया है कि स्त्रियों की शिक्षा से स्वास्थ्य व पोषण स्तर को बढ़ाया जा सकता है तथा जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में स्त्री शिक्षा पर अध्याय का शीर्षक है समानता के लिये स्त्रियों की शिक्षा। देश की बड़ी जनसंख्या में एक बहुत बड़ा भाग महिलाओं का है। यदि महिलाएं निरक्षर बनी रहीं तो वे देश की प्रगति में सहयोग प्रदान नहीं कर पायेंगी।

हमारे देश में जब विकास की दर धीमी होने लगी तब यह विचार आया कि इसके कई कारणों में से एक कारण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका की उपेक्षा करना है। अतः महिलाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। उन्हें भी देश की अर्थव्यवस्था व विकास कार्यों में बराबरी से भाग लेने के समुचित अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। भारत में आज बीस लाख से अधिक महिलायें उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कर रही हैं। यह कुल 65 लाख विद्यार्थियों का महज 34 प्रतिशत है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन अंडरग्रेजुएट व डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन की तुलना में अधिक है। इससे यह ज्ञात होता है कि स्त्रियों में शिक्षा के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। वे धीरे–धीरे शिक्षा के प्रति जागरूक हो रही हैं व इसके महत्व को समझ रही हैं।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की व्यक्तियों, पुरुषों व स्त्रियों की साक्षरता दर के आधार पर श्रेणियां (रैंकिंग)

श्रेणी	व्यक्ति		पुरुष		स्त्रियां	
	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	साक्षरता दर	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	साक्षरता दर	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	साक्षरता दर
1.	केरल	90.92	केरल	94.20	केरल	87.86
2.	मिजोरम	88.49	लक्षद्वीप	93.15	मिजोरम	86.13
3.	लक्षद्वीप	87.52	मिजोरम	90.69	लक्षद्वीप	81.56
4.	गोवा	82.32	पांडिचेरी	88.89	चंडीगढ़	76.65
5.	दिल्ली	81.82	गोवा	88.88	गोवा	75.51
6.	चंडीगढ़	81.76	दमन और दीव	88.40	अंडमान व निकोबार	75.29
7.	पांडिचेरी	81.49	दिल्ली	87.37	द्वीपसमूह	
8.	अंडमान व निकोबार	81.18	महाराष्ट्र	86.27	दिल्ली	75.00
	द्वीपसमूह		अंडमान व निकोबार	86.07	पांडिचेरी	74.13
9.	दमन और दीव	81.09	द्वीपसमूह		दमन और दीव	70.37
10.	महाराष्ट्र	77.27	हिमाचल प्रदेश	86.02	हिमाचल प्रदेश	68.08
11.	हिमाचल प्रदेश	77.13	चंडीगढ़	85.65	महाराष्ट्र	67.51
12.	त्रिपुरा	73.66	उत्तरांचल	84.01	त्रिपुरा	65.41
13.	तमिलनाडु	73.47	तमिलनाडु	82.33	तमिलनाडु	64.55
14.	उत्तरांचल	72.28	त्रिपुरा	81.47	पंजाब	63.55
15.	गुजरात	69.97	गुजरात	80.50	नागालैंड	61.92
16.	पंजाब	69.95	हरियाणा	79.25	सिक्किम	61.46
17.	सिक्किम	69.68	मणिपुर	77.87	मेघालय	60.41
18.	पश्चिम बंगाल	69.22	छत्तीसगढ़	77.86	उत्तरांचल	60.26
19.	मणिपुर	68.87	पश्चिम बंगाल	77.58	पश्चिम बंगाल	60.22
20.	हरियाणा	68.59	मध्य प्रदेश	76.80	मणिपुर	59.70
21.	नगालैंड	67.11	सिक्किम	76.73	गुजरात	58.60
22.	कर्नाटक	67.04	राजस्थान	76.46	कर्नाटक	57.45
	भारत	65.38	कर्नाटक	76.29	हरियाणा	56.31
23.	छत्तीसगढ़	65.18	उड़ीसा	75.95	असम	56.03
24.	असम	64.28	भारत	75.85	इंडिया	54.16
25.	मध्य प्रदेश	64.11	पंजाब	75.63	छत्तीसगढ़	52.40
26.	उड़ीसा	63.61	दादरा व नगर हवेली	73.32	आंध्र प्रदेश	51.17
27.	मेघालय	63.31	असम	71.93	उड़ीसा	50.97
28.	आंध्र प्रदेश	61.11	नगालैंड	71.77	मध्य प्रदेश	50.28
29.	राजस्थान	61.03	आंध्र प्रदेश	70.85	राजस्थान	44.34
30.	दादरा व नगर हवेली	60.03	उत्तर प्रदेश	70.23	अरुणाचल प्रदेश	44.24
31.	उत्तर प्रदेश	57.36	झारखंड	67.94	दादरा व नगरहवेली	42.99
32.	अरुणाचल प्रदेश	54.74	मेघालय	66.14	उत्तर प्रदेश	42.98
33.	जम्मू और कश्मीर	54.46	जम्मू और कश्मीर	65.75	जम्मू और कश्मीर	41.82
34.	झारखंड	54.13	अरुणाचल प्रदेश	64.07	झारखंड	39.38
35.	बिहार	47.53	बिहार	60.32	बिहार	33.57

महिला समाख्या

महिला समाख्या कार्यक्रम (महिलाओं को समानता के लिए शिक्षा) एक ठोस कार्यक्रम था जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए चलाया गया विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिये पर आने वाली महिलाओं के समूह के लिए। इसका क्रियान्वयन आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और असम के 9000 गांवों में किया गया। इस योजना के उद्देश्य थे – महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करना, एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जहां महिलायें ज्ञान और सूचनायें प्राप्त कर सकें, जिससे उन्हें समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाने में मदद मिले, महिलाओं और किशोरियों को शिक्षा के अवसर मिल सकें, और औपचारिक व औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिले, आदि। महिला संघ एक नोडल केंद्र है जहां सभी प्रकार की गतिविधियां बनाई जाती हैं तथा यहां पर महिलायें एक दूसरे से मिल सकती हैं व अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकती हैं। दो या अधिक महिलाओं का एक समूह सखी या सहायकी कहलाता है जो चर्चा को प्रारंभ करने व आगे बढ़ाने में सहायता देती हैं सहयोगिनी, 10 गांवों की देखभाल करती है जहां वे सहायता, निर्देशन व प्रोत्साहित करने का कार्य करती हैं।

साक्षरता दर : 1951–2001

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.30	40.40	15.35
1971	34.45	45.96	21.97
1981	43.57	56.38	29.76
1991	52.21	64.13	39.29
2001	65.38	75.85	54.16

विकसित देशों में स्त्रियों की स्थिति बहुत हद तक ठीक है। वहां पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है। सभी क्षेत्रों में स्त्रियां कार्यरत हैं। चाहे वह ट्रक चलाने का कार्य हो, रिक्शा या फिर हवाई जहाज चलाने का, वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विदेशों में ही स्त्रियां पुरुषों से आगे हैं। हमारे देश के केरल राज्य में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वहां महिला साक्षरता का प्रतिशत 87.86 प्रतिशत है। वहां प्रति हजार पुरुषों पर 1058 महिलायें हैं। केरल में महिलायें उच्च शिक्षित हैं व ऊंचे पदों पर आसीन हैं जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शैक्षिक, न्यायिक आदि सभी क्षेत्रों में महिलायें उच्च पदों पर आसीन हैं। केरल में महिलायें शिशु मृत्यु दर कम करने व जन्म दर को घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। केरल भी देश के अन्य राज्यों की तरह एक कृषि प्रधान राज्य है परंतु वहां पर शिक्षा के प्रति जागरूकता अधिक है। इसी कारण वहां की महिलायें अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हैं। जन्म दर भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इससे यह सिद्ध होता कि स्त्री शिक्षा का विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी देश के विकास में वहां के लोगों का सबसे बड़ा हाथ होता है। यदि देश की स्त्रियां शिक्षित व आत्मनिर्भर होंगी तो वे अपने परिवार की सही तरह से देखभाल कर पायेंगी। अपने बच्चों को वे अच्छी शिक्षा प्रदान कर पायेंगी। इस तरह वे देश के विकास में अपना योगदान दे पायेंगी। स्त्री महिमा पर यह पंक्ति कितनी समीचीन है –

यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यंते सर्वास्तजाफलाः क्रियाः।।

अर्थात् जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवताओं का वास होता है। हमारे देश में स्त्री को देवी का स्वरूप माना जाता है व उसकी पूजा की जाती है। पुराणों में स्त्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है। उन्हें माता का स्थान दिया गया है। परंतु वास्तविकता कुछ और है। सदियों से उनका केवल शोषण ही होता आया है। कभी सती बनने पर मजबूर किया जाता है तो कभी कुल्टा और डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है। स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती हैं। वे मातृत्व और प्रेम के गुणों से ओतप्रोत होती हैं। इस कारण समाज में शोषित भी होती हैं। परंतु समय में परिवर्तन के साथ आज उन्होंने अपने आप को पहचाना है। उन्हें भी अपनी शक्ति व महत्व का एहसास हुआ है। अब वे अन्याय के खिलाफ उसी बहादुरी से आवाज उठाती हैं जिस बहादुरी से कोई पुरुष उठाता है। इसके लिए शिक्षा एक हथियार की तरह सहायक हुई है। आज महिलाओं ने अपने आप को सिद्ध किया कि महिलायें केवल घर ही नहीं बल्कि देश की बागडोर भी सम्हाल सकती हैं। कई महिलायें हैं जिन्होंने स्त्री जाति को गौरव प्रदान किया है। उनमें कल्पना चावला, किरण बेदी, अरुंधति राय, पी.टी. उषा आदि अनेक नाम हैं जिन्होंने अपने साथ–साथ अपने देश के नाम को भी ऊंचा किया है। यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं हैं। इतिहास के पन्ने उलटें तो हमें कई वीर स्त्रियां देखने को मिलेंगी जिनके शौर्य को देखते हुए बड़े–बड़े योद्धा भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, चांद बीबी, रजिया सुल्तान आदि ने अपने शौर्य से स्त्री जाति को गौरवान्वित किया है। अतः बृहत्तर राष्ट्रीय आयामों के मद्देनजर स्त्री शिक्षा आज वक्त की जरूरत है। ❑

(लेखकद्वय होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान वी.एन. पुरव मार्ग, मानखुर्द, मुंबई–400088 से संबद्ध हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655 / 661, विंग 'ए' गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

कुरुक्षेत्र

अक्तूबर, 2005 (वार्षिकांक)
ग्रामीण आवास और बुनियादी ढांचा

औद्योगिक विकास और आर्थिक उदारीकरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। 70 प्रतिशत से अधिक जनता आज भी गांवों में रहती है। रोटी,कपड़ा और मकान मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी और कपड़ा मुहैया कराने के साथ–साथ भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। 1998 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की थी। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने समय–समय पर ग्रामीण आवास संबंधी कई योजनाओं की घोषणाएं कीं जैसे कि इन्दिरा आवास योजना। राष्ट्र के समग्र विकास के लिए गांवों का विकास बहुत जरूरी है। बुनियादी ढांचे का विकास जैसे सड़कें, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, विद्युतीकरण आदि ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। भारत सरकार गांवों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास कर रही है।

इसी संदर्भ में 'कुरुक्षेत्र' का अक्तूबर 2005 का विशेषांक ग्रामीण आवास और बुनियादी ढांचा विषय पर आधारित है। अंक में ग्रामीण आवास पर विशेष फोकस होगा।

इसके अतिरिक्त केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण आवास संबंधित विषयों गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि पर भी इस अंक में चर्चा की जाएगी। जाने–माने लेखक, विद्वान, शिक्षाविद, योजनाकार योजनाओं पर विस्तार से तथ्यपरक विश्लेषण तथा विशेष लेख प्रस्तुत करेंगे।

72 पृष्ठों के रंगीन चित्रों से सुसज्जित इस अंक का मूल्य केवल 15 रुपये है। कृपया स्थानीय एजेंट से अपनी प्रति सुरक्षित करायें या निम्न पते पर अपने आर्डर भेजें।

व्यापार प्रबन्धक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली–66
दूरभाष : 26100207, 26105590, 26175516

जानकारी के लिए सम्पर्क करें
व्यापार प्रबन्धक
सूचना भवन, प्रथम तल, सीजीओ काम्पलेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
दूरभाष : 24365610, 24365609, 24367260

पत्रिका स्थानीय समाचारपत्र विक्रेताओं से भी प्राप्त की जा सकती है

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दयनीय स्थिति

मनोज कांत उपाध्याय

किसी भी राष्ट्र को उन्नति के पथ पर आगे ले जाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है और अपने व्यक्तित्व में समाहित गुणों के माध्यम से व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र को उन्नतिशील बनाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिस शिक्षा को ग्रहण कर मनुष्य स्वयं राष्ट्र का और समाज का उत्थान करे तथा इसके माध्यम से जीविकोपार्जन करे, इसी में शिक्षा की सार्थकता है।

भारत सरकार ने शिक्षा को तीव्रगति से बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके विकास पर बल दिया है। पूर्ण साक्षरता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण राष्ट्र में नवीन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है एवं शिक्षा ग्रहण करने के प्रति व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी प्रयास का परिणाम है कि प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता को गंभीरता से लिया गया है और 2005 तक राष्ट्र को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि क्या यह लक्ष्य निर्धारित समय में पूर्ण हो जायेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अति पिछड़े ग्रामीणों एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाया है, ऐसे क्षेत्रों को साक्षर किये बिना पूर्ण साक्षरता का अभियान कैसे पूरा हो सकता है? वास्तविकता तो यह है कि सरकार द्वारा चलायी गयी किसी भी योजना का क्रियान्वयन शहरों में ही प्रमुखता से देखने को मिलता है और यदि अधिक प्रयास किये गये तो कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी योजनाओं का क्रियान्वयन देखने को मिल जाता है। इन्हीं केंद्रों को लक्ष्य करके पूर्ण साक्षरता की बात की जाती है। ऐसे अनेक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा क्या है इसके विषय में पूरे गांव में ही कोई जागरूकता नहीं है। ऐसे परिवेश में अपना जीविकोपार्जन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोग कठिन परिश्रम करके अपने जीवन के निर्वाह को ही जीवन का मूल उद्देश्य मान लेते हैं और उनका संपूर्ण जीवन अत्यंत गरीबी में ही कट जाता है। शिक्षा के अभाव में सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्हें बिल्कुल ही जानकारी नहीं होती है। उनके विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित धन का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है और गरीबी एवं लाचारगी का जीवन व्यतीत करने के लिए वे अभिशप्त होते हैं।

यदि इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाय तो एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट होती है वह यह कि व्यापक राष्ट्रहित में तीव्रगति से लिये जाने वाले निर्णयों का अभाव है। आज जबकि राष्ट्र में सूचना और प्रौद्योगिकी का जाल बिछाने की बात की जा रही है, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के नये आयाम तय किये जा रहे हैं और मनुष्य सूर्य और चांद पर घर बसाने की बात सोच रहा है, ऐसे समय में अपने ही राष्ट्र में एक बहुत बड़े वर्ग का शिक्षा से वंचित होकर निर्धनता और लाचारगी का जीवन व्यतीत करना तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से बिल्कुल अगल होना संपूर्ण व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद भी देश में ऐसे बालकों की संख्या विशाल है जिन्होंने विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा है। यद्यपि सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं आपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कार्यक्रमों को शुरू किया गया जिसका मूल उद्देश्य ही विद्यालयों की स्थिति को शिक्षण के अनुकूल बनाना था तथा ऐसे विद्यालय जो शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं को चुस्त और दुरुस्त करना था लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद आज भी प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा से वंचित रह जाने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति तो इस बात की परिचायक है कि हमारी व्यवस्था में निश्चित रूप से व्यापक कमी है। केंद्र सरकार ने 'सर्व शिक्षा अभियान' को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है और कुछ राज्य सरकारों ने इसको गंभीरता से लेते हुए कार्य योजना पर अमल भी शुरू कर दिया है लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो साक्षरता के क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि लोगों के अंदर पूर्ण जागरूकता पैदा नहीं हो पा रही है और शिक्षा के अभाव में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में भी सामान्य जनमानस को कुछ भी पता नहीं चल पाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। शिक्षा संस्थाएं ऐसी जगहों पर हैं जहां सुगमता से जाना दुर्लभ है। इसके साथ ही कहीं–कहीं विद्यालयों की रूपरेखा केवल फाइलों के अंदर देखने को मिलती है। वास्तविक अर्थों में विद्यालयों में अनिवार्य सुविधाओं का अभाव होता है, जैसे विद्यालय के भवनों का न होना, नलकूपों का अभाव एवं शौचालयों की अनुपलब्धता जैसी दुर्व्यवस्थाएं होती हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चों को मजबूरी में खुले आसमान के नीचे कड़ी से कड़ी सर्दी एवं धूप के मौसम में पढ़ना पड़ता है और भी परेशानी तब पैदा होती है जबकि विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों के अभाव के कारण शिक्षा का कार्य भी प्रभावित होता है। यह बात भी कितनी संवेदनशील है कि बच्चों की जो उम्र उचित परिवेश में रहकर पढ़ने लिखने की होती है, उस उम्र में बच्चे यदि काफी दूर तक पैदल चलकर शिक्षा ग्रहण करने जायं, सर्दी और धूप के मौसम में भी खुले आसमान के नीचे बैठने को बाध्य हों तो ऐसे बच्चों के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के प्रति कितनी उत्कंठा होगी इस बात का आकलन तो सहज ही लगाया जा सकता है। यदि वहीं पर शहरी क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति का जायजा लें तो यह बात सामने आती है कि यहां संचालित शिक्षण संस्थाएं पूर्ण सुव्यवस्थित और मानकों के अनुरूप

संचालित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की जो दयनीय स्थिति है उससे सरकार भी परिचित होती है लेकिन स्थिति में सुधार के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाता। सरकार द्वारा शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार द्वारा दिए गये धन का उपयोग उचित तरीके से नहीं किया जाता है परिणाम यह होता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है और पठन–पाठन का स्तर भी उपयुक्त नहीं रह जाता है। इन्हीं कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग अपने बच्चों को उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भेजने को विवश होते हैं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर उपयुक्त और मानक के अनुरूप होने के कारण छात्रों के भविष्य के लिए लाभदायक होता है। विद्यालयों में शिक्षा की आधुनिक शैली के अनुसार ही पठन पाठन का कार्यक्रम तय होता है और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के प्रयत्न जारी रहते हैं। इन शिक्षण संस्थाओं में योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है जिसका व्यापक असर शिक्षा पर पड़ता है। बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाय जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके और आने वाले समय में वे बदलते परिवेश में स्वयं राष्ट्र और समाज को अपनी सेवाएं दे सकें, इन सभी बातों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शहरी शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालयों की भी उत्तम व्यवस्था होती है, जिसके माध्यम से छात्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से अवगत होते रहते हैं, वहीं पर विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन भी होता रहता है और यह स्थिति उनके भविष्य निर्माण के लिए अच्छी कही जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी सुविधाओं का अभाव होता है और इन्हीं बातों का परिणाम होता है कि ऐसी जगहों पर अध्ययन करने वाले छात्र शिक्षा की नवीनतम पद्धति से वंचित हो जाते हैं। कुछ और विचारणीय बिंदु जो कि लड़कियों की शिक्षा से जुड़े होते हैं, उनकी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती है। अशिक्षा की वजह से मां–बाप लड़कियों को घर से बाहर जाने नहीं देते हैं परिणाम यह होता है कि जीवनभर उन्हें अशिक्षित रहकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है और शिक्षा के अभाव में भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से वे जूझती रहती हैं।

यदि इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाय तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा बनाई गयी शिक्षा नीति में ग्रामीण शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया और यदि कुछ प्रयास भी किये गये तो उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से सुनिश्चित नहीं हो सका। सरकार द्वारा वर्तमान में चलाये जा रहे नवोदय विद्यालयों में केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाता है जो पढ़ने लिखने के क्षेत्र में उत्तम माने जाते हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि गरीब परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे जिनकी पढ़ाई ठीक ढंग से न होने के पीछे उनकी आर्थिक मजबूरियां होती हैं, इन विद्यालयों की फीस इतनी अधिक होती है कि गरीब एवं मध्यम वर्ग के बच्चे इनमें शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। आश्चर्य की बात तो यह भी होती है कि जिन विद्यालयों में तीव्र बुद्धि के छात्रों का चयन होता है उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी पूर्ण सुविधा दी जाती है और वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती है जो विद्यार्थियों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सके। अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने वाले विद्यालय एवं सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय क्या शिक्षा के क्षेत्र में दोहरे मापदंड को स्थापित नहीं करते हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों में वही सुविधा नहीं होनी चाहिए जो इन विद्यालयों में होती हैं? यदि शिक्षकों की योग्यता पर ध्यान दिया जाय तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति पूर्णतया निश्चित मापदंडों के अनुसार होती है और ये शिक्षक अपने क्षेत्रों में योग्य एवं निपुण होते हैं। क्या शिक्षकों की नियुक्ति का यही तरीका ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शिक्षण संस्थाओं में नहीं होना चाहिए? अच्छा तो यह होता कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को भी एक निश्चित मापदंड के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति, पठन–पाठन का स्तर, पाठ्यक्रमों की एकरूपता को बनाये रखने का सुझाव देती, जिससे राज्य सरकार द्वारा संचालित होने वाले विद्यालयों में भी शिक्षा की गुणवता में सुधार आता और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी वर्तमान परिवेश में अपने को योग्य एवं समर्थ नागरिक सिद्ध कर सकते।

केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए जिस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम चलाये जाते हैं एवं समय–समय पर गोष्ठियों, सेमिनारों एवं शिक्षण संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में दिन–प्रतिदिन सुधार हो, यही स्थिति यदि ग्रामीण शिक्षकों के साथ भी लागू की जाये और उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों की जानकारियों से अवगत कराया जाय जिससे ग्रामीण शिक्षा की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो। एक महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शिक्षण अध्यापन कार्यक्रमों से प्रशिक्षण प्राप्त कर योग्य अभ्यर्थी बेरोजगारी का जीवन यापन कर रहे हैं। यदि इन अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन कर इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देकर भेजा जाय तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में ये अभ्यर्थी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और ग्रामीण शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठ सकता है। वर्तमान समय में प्रायः यह देखने में आ रहा है कि सरकार अनुबंध के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर रही है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि एक निश्चित समय के लिए नियुक्त शिक्षक पूर्ण मनोयोग से शिक्षण का कार्य नहीं कर पाता है। प्रश्न यह उठता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर सरकार शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर करती है, वे पूर्ण हो जाते हैं? क्या शिक्षा जैसे गंभीर जैसे क्षेत्र को अनुबंध के आधार पर चलाना उचित कहा जा सकता है? ये कुछ ऐसे गंभीर प्रश्न हैं जिन पर सरकार को एवं शिक्षा जगत से जुड़े हुए बुद्धिजीवियों को ध्यान देना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अंदर व्याप्त विसंगतियों को दूर करना समय की मांग है वर्तमान परिवेश में जबकि संपूर्ण राष्ट्र उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का व्यापक प्रचार और प्रसार न होना अपने में चिंता का विषय है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उन्नत होना राष्ट्र के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की दशा एवं दिशा पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो

राष्ट्रीय प्रगति की बात करना बेईमानी ही होगी। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आयेगा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, देश का पूर्ण विकास संभव नहीं होगा। आज जबकि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का जाल बिछाने की बात की जा रही हो, ऐसे समय में संपूर्ण राष्ट्र में शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछाने की आवश्यकता है और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन संस्थाओं में योग्य अध्यापकों का नियुक्ति हो जो शिक्षा की आधुनिकतम शैली से चिर परिचित हों। इस दिशा में सरकार को, समाज को एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा और सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को ऊपर उठाना होगा। ऐसा कोई भी कदम जो शिक्षा की प्रगति के क्षेत्र में रुकावट का कारण बनें, उसको दूर करना होगा। ध्यान इस बात पर भी देना होगा कि भारत में दो तिहाई लड़कियां आज भी निरक्षर हैं इसका कारण उनके माता–पिता का जागरूक न होने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी न ठीक होना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ ही देश के विकास की बात की जा सकती है। आज जबकि सभी राजनीतिक दल ग्रामीण विकास की बात करते हैं, लेकिन इन क्षेत्र में ईमानदारी से प्रयास करने वाले बहुत ही कम हैं। क्या यह अच्छा नहीं होता कि जो योजनाएं सरकारी फाइलों में बनाई जाती हैं, उनका पूर्ण क्रियान्वयन कराया जाय? सभी राजनीतिक दलों को इन बातों पर गंभीरता से विचार करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास हो इस बात का पूरा प्रयास ईमानदारी से करना होगा। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

जागरूक और साक्षर समाज लोकतंत्र का स्तंभ है। स्वतंत्रता के बाद से निरक्षरता का उन्मूलन राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। राष्ट्र–निर्माण में साक्षर आबादी को एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। आजादी के बाद से वयस्क–निरक्षरता के उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए, उनके परिणामस्वरूप 2001 की जनगणना से प्राप्त तथ्यों के आधार पर पहली बार साक्षरों की संख्या निरक्षरों से अधिक है। लिंग असमानता और क्षेत्रीय विषमता अब भी है। इन मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में साक्षरता कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है। सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी करों पर शिक्षा उपकर लगाया गया। सरकार सकल घरेलू उत्पाद का छह फीसदी बजट शिक्षा की मद में खर्च करने जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान के बाद अब सरकार ने लड़कियों के लिए एक नई योजना – कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को स्वीकृत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य कदम भी उठाए गए हैं। इसमें अनुसूचित जाति–जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों पर विशेष जोर दिया गया है। अब प्राथमिक स्तर पर छात्रावास सुविधाओं के साथ ही 750 आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ये आवासीय स्कूल शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में स्थापित किए जाएंगे। योजना में अनुसूचित जाति–जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का स्कूलों में नाम दर्ज होने पर उन्हें 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। बाकी का 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जी रहे परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित होगा। शैक्षिक तौर पर पिछड़े इलाकों विशेषकर मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखते हुए ऐसे 86 विद्यालय शुरू किए जाएंगे। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात से वित्तीय खर्च वहन करेंगी। यह योजना 20 राज्यों में लागू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए 94 विद्यालय स्थापित किए हैं जबकि झारखंड ने 74 और मध्य प्रदेश ने 70 स्कूल खोले हैं। ये स्कूल उन्हीं पिछड़े ब्लाकों में स्थापित किए जाएंगे जहां सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण तथा आदिवासी मामलों के मंत्रालय की किसी अन्य योजना के तहत लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए आवासीय स्कूल नहीं हैं।

स्वरूप

इस योजना में प्राथमिक स्तर पर उन बड़ी लड़कियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो या तो स्कूल नहीं जातीं या फिर प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण नहीं कर पाई हों। कुछ दुर्गम क्षेत्रों में कम उम्र की बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन बालिकाओं पर पहले ध्यान किया जाएगा जो नियमित तौर पर स्कूल नहीं जा पातीं। जहां तक संभव हो सकेगा इन स्कूलों को चलाने के लिए गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों की मदद ली जाएगी।

सहायक समूह

प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समन्वय समिति का गठन किया गया है जो कार्यक्रम को सहायता तथा दिशा प्रदान करेगी। इस समूह में संबंधित राज्य सरकारों के विभागीय प्रतिनिधि, बालिका शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा शिक्षा शास्त्री शामिल होंगे। लड़कियों की संख्या तथा उपलब्ध कराए गए आवासीय स्कूलों के आधार पर स्कूल का माडल राज्य स्तरीय समिति जिला समिति की सिफारिशों को आधार मानकर करेगी। उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में पंजीकृत शिक्षा संस्थाओं की संख्या सबसे अधिक है।

साक्षरता अभियान में सामाजिक सहभागिता से महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जा सकेगी। ❑

दूरवर्ती शिक्षा के लिए तैनात उपग्रह 'एडुसैट'

जगनारायण

देश की आबादी 115 करोड़ की संख्या तक पहुंच चुकी है सभी क्षेत्रों और वर्गों के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के समक्ष हमारे परम्परागत शिक्षा के संसाधन जहां जरूरत के अनुसार कम पड़ते जा रहे हैं, वहीं उनकी गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखना भी कठिन होता जा रहा है। विशेष तौर पर ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी और योग्य शिक्षकों के अभाव के चलते शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर समस्या बनी हुई है।

तकनीकी विकास के वर्तमान दौर में आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी हमारी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में पूरी सक्षम हो चुकी है। उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा बड़े क्षेत्र में संचार व्यवस्था स्थापित करके लोगों के बीच इच्छित संदेश सम्प्रेषित करना बहुत आसान है। इस संचार प्रणाली से दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षणिक कक्षाओं का संचालन अत्यंत सुगम हो गया है।

भारत ने इस दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए पूर्ण समर्पित उपग्रह 'एडुसैट' की अंतरिक्ष में स्थापना कर दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। 20 सितम्बर 2004 को भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह के रूप में 'एडुसैट' को चार बज कर एक मिनट पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एस. डी.एस.सी.–शाट) से स्वदेशी उपग्रह प्रमोचन यान 'जी.एस.एल.वी.' के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। 1950 किलोग्राम का यह उपग्रह जमीन से उठने के 17 मिनट बाद ही 'भू–स्थिर अंतरण कक्षा' में स्थापित हो गया।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) द्वारा स्थापित इस उपग्रह के माध्यम से शिक्षक पृथ्वी पर बने किसी एक केंद्र से अपना व्याख्यान प्रस्तुत करता है, जिसे भू केंद्र द्वारा प्रेषित (ट्रांसमिट) किया जाता है। अंतरिक्ष में स्थापित यह उपग्रह इसे 'रिसीव' करके पुनः पृथ्वी पर सम्प्रेषित कर देता है। उपग्रह द्वारा प्रत्यावर्तित संदेशों, सूचनाओं, व्याख्यानों को सिग्नल या संकेत के रूप में पृथ्वी पर बने भू–उपग्रह केंद्रों द्वारा ग्रहण कर अलग–अलग क्षेत्रों में संचालित कक्षाओं में बैठे छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसी प्रकार संचालित होती हैं उपग्रह के माध्यम से शैक्षणिक कक्षाएं, इस तरह की कक्षाएं भू–उपग्रह केंद्र से नजदीक और दूर कहीं भी बनाई जा सकती हैं। इससे एक साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी लाभ उठाते हैं। व्याख्यान के बाद इन कक्षाओं में बैठे छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का भी समाधान करते हैं। इस प्रणाली से ढेरों छात्रों को एक साथ शिक्षक से जोड़कर अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा भी होती है। इस प्रणाली से देश के दूर–दराज के अभावग्रस्त क्षेत्र के छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़कर गैर–पारम्परिक रूप से शिक्षा प्रदान करना सम्भव हो गया है।

यद्यपि हमारे देश में शिक्षा के लिए उपग्रहों का उपयोग तीन दशक पूर्व 1974–75 में ही सेटेलाइट इन्स्ट्रशनल टेलीविजन प्रयोग के रूप में शुरू हो गया था। इस प्रयोग के सार्थक परिणामों ने देश में उपग्रही शिक्षा कार्यक्रम के लिए ठोस और उत्साहवर्धक आधार प्रदान किया, जिससे शिक्षा के लिए आज एक अलग उपग्रह 'एडुसैट' की स्थापना सम्भव हो सकी। इस शैक्षणिक उपग्रह के निर्माण में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि दृश्य, श्रव्य माध्यमों का उपयोग करते हुए देश की अंतरसम्बद्ध उपग्रह पर आधारित दूरस्थ शिक्षा की बढ़ती जरूरत को लम्बे समय तक पूरा किया जा सके।

इस महत्वाकांक्षी शैक्षणिक परियोजना का लाभ आना भी आरंभ हो गया है। कर्नाटक स्थित विश्वेशवरैया टेक्निकल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी इंजीनियरिंग कालेजों को विश्वविद्यालय से जोड़े जाने का काम शुरू हो गया है, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र के यशवंत राव बलवंत चौह्वाण खुला विश्वविद्यालय को भी इस उपग्रह परियोजना से जोड़ने की प्रक्रिया अमल में आ चुकी है। आगे चलकर इस उपग्रह परियोजना से 100 से 200 कक्षाओं के संचालन के अलावा कई विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़े जाने की योजना है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त एडुसैट कार्यक्रम से निम्न तकनीकी सम्भावनाएं भी स्पष्ट हैं – (1) रेडियो प्रसारण, (2) टी.वी. प्रसारण, (3) अभिग्राही छोर पर रात्रिकालीन लोडिंग, (4) इनसेट के माध्यम से आनलाइन शिक्षा, (5) रिटर्न लिंक के रूप में टेलीफोन, (6) रिटर्न लिंक के रूप में इंटरनेट, (7) रिटर्न लिंक के रूप में टॉक बैक चैनल, (8) रिटर्न लिंक के रूप में वेवकॉम, (9) इंटरनेट पर वायस चैट, (10) टी.वी. आर. ओ. के द्वारा एसिमेट्रिक इंटरनेट और (11) विडियो कान्फ्रेंसिंग।

वास्तव में एडुसैट एक ऐसा उपग्रह है जिसके माध्यम से भारत जैसे विशाल देश के सुदूरवर्ती ग्रामीण, पर्वतीय और वनवासी अंचलों के अलावा अन्य अभावग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षा की लौ जलाया जाना सम्भव हो गया है। देश के ग्रामीण अंचलों में स्थापित कृषि एवं अन्य महाविद्यालय अपने स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति में काफी पिछड़ गए हैं, जिसके मूल में है वहां स्तरीय शिक्षकों और शैक्षणिक प्रणालियों के साथ ही अन्य साधनों का अभाव। ग्रामीण अंचलों में सुविधा और साधनों के अभाव से

अच्छे शिक्षक टिक नहीं पाते वे अक्सर ऐसे महाविद्यालयों और विद्यालयों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन की ताक में रहते हैं। जिससे ग्रामीण अंचलों में स्थापित विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन का कार्य सदैव अनियमित और अव्यवस्थित रहता है। अधिकांश ऐसे महाविद्यालयों के छात्र परीक्षा तो उत्तीर्ण कर लेते हैं, लेकिन उनमें सुव्यवस्थित रूप से सुयोग्य शिक्षकों द्वारा संचालित शहरी महाविद्यालय के छात्रों की तुलना में ज्ञान और जानकारी का अभाव बना रहता है। एडुसैट प्रणाली से सुलभ शैक्षणिक क्रिया–कलापों से जहां गांव और शहर के छात्रों को समान ज्ञान और शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा वहीं दूर–दराज के क्षेत्र में कृषकों, ग्रामीणों, युवकों और महिलाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रमों के निर्माण के बाद उपग्रही शिक्षा प्रणाली से पशुपालन एवं कृषि की शिक्षा प्रदान कर ग्रामीणों का बौद्धिक स्तर उन्नत करके, कुटीर उद्योग एवं कृषि पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर गांवों में विकास के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। ग्रामीण युवकों को इस प्रणाली से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराकर, शहरी युवकों को सुलभ, रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कर इन्हें भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कुल मिलाकर इस उपग्रह के पूरी तरह काम शुरू कर देने पर ग्रामीण शिक्षा और विकास का नया सवेरा आ जाएगा। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

राष्ट्र–निर्माण के लिए शिक्षा

पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के सत्ता में आने पर शिक्षण को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। संप्रग सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम ने शिक्षा पर योजना–आबंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने का वायदा किया है।

केंद्र बिंदु

सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा रही है। यह निर्णय किया गया है कि अब विश्वसनीय गैर–सरकारी संगठनों को प्राथमिक शिक्षा देने में शामिल किया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि समेकित बाल विकास योजना को व्यापक बनाया जाए तथा सर्व शिक्षा अभियान को ईमानदारी से लागू किया जाए। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों में **एनसीसी** एवं **एनएसएस** आरंभ किया जा रहा है। लक्ष्य रखा गया है कि पांच वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए। बच्चों को दोपहर के भोजन की योजना के अंतर्गत पका पकाया भोजन प्रदान करने, शौचालय सुविधाओं का निर्माण करने, निरंतर पेयजल आपूर्ति, स्कूल भवनों का निर्माण व रखरखाव, जरूरतमंद बच्चों को स्कूल की वर्दी, पुस्तकें तथा पठन–पाठन में सहायक वस्तुएं देकर उन्हें समग्र शिक्षा देने के लिए एक उचित वातावरण तैयार किया जा रहा है। सरकार ने गैर–सरकारी संगठनों तथा सभी नागरिकों से सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया है। अकेले सरकार के लिए जन–सामान्य की भागीदारी के बिना इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। दोपहर का भोजन मिलने से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या घटी है।

देश में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। समिति ने सुझाव दिया है कि कैसे माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापन के भार को कम किया जाए। समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रवेश परीक्षा का स्तर और प्रमुख संस्थानों के प्रश्नों को **प्लस टू** परीक्षा स्तर के बराबर लाया जाए ताकि छात्रों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक बोझ कम किया जा सके।

सरकार ने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में जातीय और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के सभी निशान हटाने के लिए भी एक समीक्षा समिति बनाई है। उच्चतर शिक्षा व व्यवसायिक ज्ञान के केंद्रों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी।

विदेशों में आईआईटी

भारत में कुछ प्रमुख क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता विश्व स्तर के मानकों की है। **आईआईटी** (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों) और **आईआईएम** (भारतीय प्रबंधन संस्थानों) की प्रसिद्धि भारतीय तटों से पार पहुंच गई है तथा अनेक मित्र राष्ट्रों से अपने यहां भी आईआईटी और आईआईएम खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हैं। सरकार ने ऐसे पहल **आईआईटी** पोर्ट लुई, मारीशस में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने भी यह घोषणा की थी कि उच्चतर ज्ञान के कुछ केंद्रों को प्रमुख दर्जा दिया जाएगा और उन्हें विश्व स्तर के समकक्ष लाने के लिए सरकार बजटीय अनुदान मंजूर करेगी।

रोजगार

शिक्षित लोगों में बेरोजगारी चिंता का विषय है। इसलिए सरकार ने शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अनेक आधुनिक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ कर शैक्षिक प्रणाली में सुधार करने का निर्णय किया है। तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर देने के लिए अनेक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का उन्नयन किया गया है।

भारत अब सूचना प्रौद्योगिकी में एक महाशक्ति के रूप में पहचाना जाता है। विशेषतया कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। सरकार ने ज्ञान के इन दो क्षेत्रों से लाभ उठाने और उन्हें निजी क्षेत्र के सहयोग से विभिन्न राज्यों में प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने पर विशेष ध्यान देने का निर्णय किया है। ❑

अस्तित्व के संघर्ष में प्राथमिक शिक्षा

अनिता सिंह

बच्चे देश का दर्पण हैं। वे राष्ट्र की मुस्कराहट है बच्चे मनोविज्ञान के मूल हैं। वे ही शिक्षक की प्रयोगशाला हैं। बच्चों में वर्तमान करवटें लेता है और भविष्य के बीज उसी में बोये जा सकते हैं।

शिक्षा वस्तुतः वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य बेहतर मनुष्य बनता हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इस दुनिया को और बेहतर दुनिया बनाने का संकल्प और कौशल अर्जित करता है। शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। सिखाने वाला (शिक्षक) और सीखने वाला (विद्यार्थी) सदैव एक दूसरे कैसे सीखने को तत्पर रहें यानी शिक्षक को भी विद्यार्थी की तरह सिखाने की प्रक्रिया में संलग्न रहते हुए सीखने के कार्य में भी जुटा रहना चाहिए। शिक्षा के इस रूप से ही समाज का विकास अवरुद्ध नहीं होता और शिक्षा का ढांचा भी समय के अनुरुप अपने को ढाल सकता है।

प्रत्येक भारतीय नागरिक को शिक्षा संबंधी मूल अधिकार अनुच्छेद 21 संविधान में एक नये अनुच्छेद 21 ख को जोड़ा गया है जिसके अनुसार राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने को बाध्य होगा। इसके बावजूद भी देश में शिक्षा का प्रचार–प्रसार उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। आजादी के वर्षों बाद भी अभी हमारे देश की कुल साक्षरता 6538 प्रतिशत है जिसमें पुरुष 7585 प्रतिशत और महिलाएं 5416 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 604 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता 757 और महिलाओं की 439 प्रतिशत है। प्रदेश की साक्षरता देश में नीचे से पांचवा स्थान रखती है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद की साक्षरता तो मात्र 19.0 प्रतिशत है जो अत्यंत कष्टदायक आंकड़ा है। वास्तविक भारत गावों में बसता है ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता को नजर अंदाज करना पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। उत्तर प्रदेश भारतीय मानचित्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरे देश की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को परिलक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है ऐसे में यहां के शिक्षा स्तंभ का सुदृढ़ होना अति आवश्यक है समता मूलक और शोषणविहीन समाज की स्थापना जो वर्तमान विषमतामूलक समाज को चुनौती दे, जिससे एक जागरूक व परोपकारी समाज की स्थापना हो इसका एक ही रास्ता है: शिक्षा।

अंग्रेजी में एक कथन है कि "when you educate a woman you educate a family, when you educate a man you educate an individual" अतः सामाजिक उत्कृष्टता के लिए महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। वैसे भी कहा गया है **'विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्'** महिलाएं जीवनरूपी रथ को हांकने में सारथी व सहयोगी का कार्य करती है जिस कारण पृथ्वी पर मानव की संकल्पना साकार हो रही है। जीवन रूपी रथ के लगातार चलने के लिए महिलाओं का साक्षर ही नहीं बल्कि शिक्षित होना अति आवश्यक होता है। सुभाषितानी में कहा गया है। कि 'विद्या ददाति विनयं' इसलिए उत्कृष्ट समाज निर्माण हेतु महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। प्रत्येक शिक्षित नागरिक को जवाहर लाल नेहरू का कथन, each one teach one अपनाना होगा। लार्ड मैकाले के विवरण पत्र के रूप में शुरू हुआ शिक्षा का सफर अब तक तमाम करवटें बदल चुका है। मार्च 1990 में थाईलैंड के जोमतियन शहर में **'सबके लिए शिक्षा'** विषय पर विश्व बैंक ने एक सम्मेलन आयोजित किया था। **'ज्योतियन घोषणा पत्र'** नाम से जारी घोषणा–पत्र में शिक्षा को विश्व बाजार के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने की चेष्टा की गयी थी। वैसे हमारे संविधान के खंड 4 के अनुच्छेद 45 में प्रत्येक बच्चे के लिए न्यूनतम आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा की जवाबदेही सरकार की है। इसके बावजूद भी देश के लगभग 50.0 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते। साक्षरता दर सुधारने के लिए सरकार ने लगातार कई कार्यक्रम चलाए, **'सर्वशिक्षा अभियान'**, **'स्कूल चलो अभियान'** की शुरूआत की। प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए सरकार द्वारा चलाए अभियान, दिए गए लोकलुभावने नारों से शिक्षा कथा पर कितना फर्क पड़ा गांवों में जाने पर स्पष्ट हो जाता हैं विश्व बैंक के अनुदान से चल रहा त्वरित महिला साक्षरता अभियान दीवार लेखन, होर्डिंग के जरिए मतदाता सूची की सहायता से दस्तावेजों तक सीमित कर दिया जाता है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार की झूठी तस्वीर प्रस्तुत कर कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रपति से पदक व प्रशस्ति पत्र तक प्राप्त कर लेती है। शासन–प्रशासन को वास्तविकता का आभास नहीं कि वितरण के लिए आयी शिक्षा सामग्री अनुदान राशि मिलते ही रद्दी के भाव बेच दी जाती है, टूटी–फूटी झोपड़ी बहुमंजिली इमारत में तब्दील हो जाती है, घर में साइकिल के जगह लक्जरी गाडी नजर आने लगती है। मतलब अनुदान मिलते ही सामाजिक–आर्थिक स्थिति बदल जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा उठाया गया ढुलमुल रवैया साक्षरता दर पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाया। 1986 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए **'आपरेशन ब्लैक बोर्ड'** कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके अंतगर्त प्राइमरी और मीडल स्कूलों में कम से कम तीन शिक्षक, दो कमरे एवं बरामदे और शौचालय समेत शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का वायदा था।

कार्यक्रम घुटनों के बल चल ही रहा था कि 1994–95 में विश्व बैंक ने अपना एक अन्य निर्णय थोप दिया। इसे **'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'** (डी.पी.ई.पी.) नाम दिया गया था। इसके तहत निर्णय हुआ कि अब एक ही शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पांचों कक्षाओं के लिए पर्याप्त होगा। इस कार्यक्रम को बहुकक्षाई–अध्ययन नाम दिया गया। जिसका परिणाम प्राथमिक विद्यालय में नजर दौड़ाने पर कोरे कागज की भांति स्पष्ट हो जाता है।

विद्यार्थी, विद्यालय व शिक्षण सामग्री अथवा उपलब्ध साधनों की भांति शिक्षकों की स्थिति अब बीते जमाने जैसी नहीं रही। नामकरण के साथ–साथ उनके कार्यों में भी तमाम बदलाव आ गए है। 1997 में 'शिक्षा गारंटी नीति' शुरू की गयी जिसमें शिक्षक की योग्यता का

उल्लेख ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। यहां तक कि विद्यालय भवन किसी ग्रामीण की दलान या पेड़ की छांव में हो सकता है। मतलब वातानुकूलित चैंबर में बैठकर नीति–नियमावली तय करने वालों ने बच्चों के प्रति जरा सी आह भी नहीं जगी। लू, ओले या बरसात से खुद को कैसे बचाएगें। नियुक्त किये जाने वाले शिक्षक के लिए प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण तक की कोई आवश्यकता नहीं होगी और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि इतना बड़ा काम ठेके पर होगा। मतलब अंधेरा बरकरार रखने की पूरी जद्दोजहद। ऐसे शिक्षकों को 'पैराटीचर' नाम दिया गया जो बाद में चलकर राष्ट्रीय नीति के रूप में सामने आया और पैराटीचर को आकर्षक नाम दिया गया– गुरू जी, शिक्षामित्र, शिक्षाप्रेमी, लोकमित्र, शिक्षाकर्मी आदि। नाम के साथ अब शिक्षकों के कामों में बदलाव आ गया। वांछित मूलभूत आवश्यकताओं की दयनीय स्थिति के अतिरिक्त विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों को मतदाता सूची, पल्सपोलियो कार्यक्रम, विद्यालय भवन निर्माण, साक्षरता अभियान, मध्याहन भोजन वितरण व जनगणना आदि कर भी दायित्व सौंप दिया जाता है जिसे उन्हें शिक्षण कार्य से अधिक प्राथमिकता के साथ करनी होती है। इन कार्यों में बरती गयी शिथिलता उन्हें तत्काल दंड का भागी बना देती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक के पास शिक्षण के लिए बच रहे समय तथा उपरोक्त परिस्थितियों में एक या दो शिक्षकों/शिक्षामित्रों के लिए सभी पांच कक्षाओं के छात्रों को पढ़ा पाना तो दूर उन्हें अनुशासित रख पाना ही एक चुनौती है। यह प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य का एक हिस्सा है।

उत्तर प्रदेश कुछ तथ्य : कुल साक्षरता 57.0 प्रतिशत, महिला साक्षरता 43.0 प्रतिशत, छात्र शिक्षक अनुपात 69:1 प्रतिशत, नियमानुसार अनुपात 40:1 प्रतिशत, स्कूल से वंचित बच्चे 2.10 लाख, शौचालय विहीन स्कूल 42 प्रतिशत, प्राइमरी स्कूलों की संख्या 92,000 हजार, 6 से 14 साल के बच्चों की आबादी 3.48 करोड़, अपर प्राइमरी स्कूल 15,000 हजार, मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 47,000 हजार, आठवीं से पूर्व पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 56.0 प्रतिशत, लड़के 52.0 प्रतिशत, लड़कियां 65.0 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 32.9 प्रतिशत, हैंडपंप रहित स्कूल 6,000 हजार, उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या 16,6052859 करोड़, पुरुष जनसंख्या 8,7466301 करोड़, महिला जनसंखा 7,8586558 करोड़।

इसके अलावा यदि महिलाओं (लड़कियों) की संख्या पर गौर किया जाय तो पता चलता है कि जैसे जैसे कक्षा में क्रमिक वृद्धि होती है वैसे वैसे इनकी संख्या में बेतहाशा कमी परिलक्षित होती है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की रीढ़ है। शिक्षा का प्रवेश द्वार है। शिक्षा रूपी बहुमंजली इमारत की नींव है। बच्चों में उचित जीवन जीने की कला सीखने का आधार स्तम्भ है। ग्रामीण समाज के लोगों के चेहरों की मुस्कान है क्योंकि शिक्षा की इमारत के बनने का श्री गणेश यहीं से होता है और इस इमारत की नींव को मजबूती प्रदान करने वाले पुरोधा भी यहीं रहते हैं। उत्तर प्रदेश में हर 100 आदमियों में 43 लोग निरक्षर है। हर सौ औरतों में केवल 30 औरतें अपना नाम ठीक ठीक सही लिख सकती हैं। राज्य में 100 में केवल 30 बच्चे कक्षा एक से पांच तक नियमित रूप से पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। बेसिक स्कूलों में प्रत्येक 69 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक मास्टर है। बेसिक स्तर पर 33 फीसदी बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। 210 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो स्कूल जाने के बजाए सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। राज्य में तकरीबन 42 प्रतिशत स्कूल शौचालय विहीन हैं। प्राथमिक शिक्षा की दम तोड़ती स्थिति को प्रमाणिक बनाने हेतु उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जनपद सिद्धार्थनगर का विस्तृत अध्ययन किया गया। प्राप्त आंकड़े काफी कष्टदायक हैं। पांच तहसील व 14 विकास क्षेत्र वाले इस जनपद में 1255 प्राथमिक तथा 204 पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। इसके अलावा एन.पी.आर.सी. की संख्या 160 है। 2003–04 शिक्षण सत्र में जनपद के परिषदीय विद्यालयों में 216780 बच्चों ने नामांकन कराया जिसमें 124203 बालक तथा 92578 बालिकाएं हैं। कक्षा व जातिवार नामांकन इस प्रकार रहा –

उपर्युक्त आंकड़ा सरकार द्वारा चलाए गए साक्षरता अभियान की सफलता पर अंगुली उठाने के लिए कम नहीं। कक्षा यदि आरोही क्रम तो वहीं छात्र संख्या अवरोही क्रम का अनुसरण करता है। छात्र संख्या में आने वाली कमी को जानने के लिए अध्यापकों से बात करने पर निम्न तथ्य सामने आए:

- बाल विवाह, • अभिभावक का अशिक्षित होना, • परिवार की संख्या (बच्चों की संख्या), • सामाजिक/आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बाल मजदूरी में लिप्त तथ्यों के विश्लेषण से कहा जा सकता है कि यदि दस्तावेजों में अंकित 'सर्वशिक्षा अभियान' को वास्तविकता के पटल पर उतारा गया वो 2007 तक साक्षरता दर 75 प्रतिशत पर लाने की घोषणा कोरी कल्पना साबित होगी।

शासन की अदूरदर्शिता व गलत नीतियों के चलते इस प्रकार के अभियान चलाकर बच्चों को पंजीकृत करना वे संभव है परंतु उन्हें शिक्षित करना पूर्णतया असंभव दिखायी देता है जिससे वे देश के संविधान में प्रदत्त शिक्षा संबंधी अपने मौलिक अधिकार से भी महरूम है।

अंत में यदि कहा जाये कि लार्ड मैकाले के विवरण पत्र के रूप में अपना सफर शुरू करने वाली शिक्षा प्रणाली तमाम दरवाजों पर दस्तक देने के बाद किस मुकाम पर खड़ी है, स्पष्ट करना आसान नहीं। ❑

(लेखिका पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं)

कक्षा	पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		सामान्य		अल्पसंख्यक	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	16350	12540	9102	7845	3094	2887	5783	3761
2	14181	10809	8314	7213	2785	2555	5497	3308
3	11121	7636	7499	5959	2144	1825	4320	2518
4	8438	5159	5893	4694	1714	1454	3255	1866
5	6320	3848	4682	3739	1598	1378	2496	1310

जन शिक्षण संस्थान : प्रबंधन एवं नीतिगत कार्य – एक अध्ययन

शारदानन्द सिंह और नजीर अहमद

एक अरब से अधिक जनसमूह के जीवन स्तर को सुधारना और उनमें प्रगति लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य ही नहीं बल्कि कठिन कार्य है। भारत जैसे प्रगतिशील देश के लिए समाज सुधार एक उच्च प्राथमिकता है। गरीबी और विकास जैसी समस्याओं से जूझने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनानी चाहिए। जो लगातार स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, शिक्षा, स्त्री–अधिकार, स्थानीय सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सरकार को सुदृढ़ करता रहे। गरीबी उन्मूलन मुद्दों के लिए रोजगार और आय–वृद्धि कार्यक्रमों पर बल दिया जाना सरकारी नीति का अंग बन गया है। अक्रमणीय समूह में सुधार लाकर जनसमूह में भिन्नता कम की जाए। इसके लिए कुछ विशेष सुविधा और कार्यक्रम विन्हित किया गया। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। इस परिपेक्ष में, सरकार विभिन्न योजनाएं आरम्भ की हैं। जन शिक्षण संस्थान उसी का एक सशक्त परिचय देता है।

गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन विकास और जन शिक्षण संस्थान

आजादी के पूर्व काल में भी जनसमूह को शिक्षित करने की आवश्यकता की पहचान की गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा और जनशिक्षा कार्यक्रम के सार्वजनीकरण के लिए रणनीति बनाई गई। 1978 ई. राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाकर वयस्क शिक्षा को कार्य सूची में डाला गया। किंतु, यह सफल नहीं हो सका क्योंकि वह विधि–पारम्परिक, मानदेय आधारित शासन संबंधी, सरकारी वित्त पोषित और नियंत्रित था। कार्यात्मक साक्षरता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं गांव में जनशिक्षण संस्थान की स्थापना आवश्यक है। फलतः नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव को बनाये रखने पर अधिक बल दिया गया। केंद्र, राज्य, जिला साक्षरता समिति, पंचायती राज संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाओं को स्पष्ट प्रशासनिक और वित्तीय भूमिका दी गई। यद्यपि, मुख्य केंद्र बिंदु साक्षरता कार्यक्रम के लाभार्थी पर ध्यान केंद्रित करना था। समस्याओं से जूझने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण से राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को अधिकार का हस्तांतरण विभिन्न कार्यक्रम के लिए किया गया। राज्य साधन केंद्रों को भी अब जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। जनशिक्षण संस्थान साक्षरता कार्यक्रम का एक हिस्सा है। राज्य साधन केंद्र, जन शिक्षण संस्थान लेने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं का मूल्यांकन करती है। अतः राज्य साधन केंद्रों की भूमिका बदल रही है। भारत के गांव में सभी सुविधा सम्पन्न बाजार की अत्यंत आवश्यकता है। गांव के बाजार में ग्रामीण उत्पादों की बिक्री होनी चाहिए। अतः विभिन्न सामग्री बनाने का प्रशिक्षण जनशिक्षण संस्थान में दिया जाएगा, जिससे कि शहरों पर निर्भरता कम होगी।

यह योजना 1988 में साक्षर, नवसाक्षर, अर्द्धसाक्षर तथा निरक्षर व्यक्तियों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं व्यवसायिक विकास के लिए चलायी गयी। यह संस्था विशेषकर व्यावसायिक और कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए कोष तथा क्षेत्र विस्तार पर अधिक बल दिया गया। इस योजना को मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के औद्योगिक कर्मियों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र के कर्मियों के लिए स्थापित किया गया। इस संस्था की भूमिका को बढ़ाते हुए जिला साक्षरता समिति को शैक्षणिक, तकनीकी सहयोग प्रदान करना तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नवसाक्षरों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। खुला सीखने–सिखाने के तर्ज पर समकक्ष कार्यक्रम का आयोजन भी इस संस्था का काम है।

जन शिक्षण संस्थान अनौपचारिक, वयस्क तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से समाज के दलित वर्ग समूह के लिए कार्य करता है। जनशिक्षण संस्थान नवसाक्षर तथा अन्य प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। यह संस्था वयस्क शिक्षा के लिए विविध प्रकार के व्यावसायिक तथा कौशल विकास की प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। जनशिक्षण संस्थान जिले की मांग के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक तथा कौशल प्रशिक्षण आयोजित करती है।

जन शिक्षण संस्थान का उद्देश्य

- नवसाक्षरों को व्यवसायिक, कौशल विकास तथा तकनीकी ज्ञान में सुधार लाना। प्रशिक्षणार्थियों की कार्य क्षमता बढ़ाकर उत्पादन में बढ़ोतरी लाना।
- जिला साक्षरता समिति के लिए शैक्षणिक तथा तकनीकी संसाधन जुटाना। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नवसाक्षरों के लिए व्यवसायिक तथा कौशल विकास कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला साक्षरता समिति को सहयोग देना।
- 10–15 सतत् शिक्षा कार्यक्रम केंद्र कें अंतर्गत नवसाक्षरों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन करना। के.आर.पी., एम.टी. के लिए प्रशिक्षण तथा उन्मुखीकरण कोर्स की व्यवस्था करना।
- समकक्षता कार्यक्रम चलाकर लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ज्ञान तथा जागरूकता फैलाना।
- लोगों को राष्ट्र भावना, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण, जनसंख्या एवं विकास, स्त्री समानता, सुरक्षा और वातावरण के प्रति सजग करना।

जनशिक्षण संस्थान का प्रबंधन

जनशिक्षण संस्थान एक रजिस्टर्ड संस्था या विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्य करती है। जनशिक्षण संस्था का संचालन प्रबंधन कमेटी के द्वारा होता है। प्रबंधन समिति को कार्यकारिणी समिति सहायता प्रदान करती है। स्थानीय शिक्षित एवं अनुभवी उद्घोषक, साधनसेवी या विशेषज्ञ जो विभिन्न कौशल के होते हैं, उन्हें सेवा के लिए पूर्णकालिक या अर्द्धकालिक निश्चित मानदेय पर शामिल किया जाता है। सभी जनशिक्षण संस्थान को भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से एक्ट 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। ताकि यह एक स्वतंत्र रूप से संस्थागत कार्य करे। जनशिक्षण संस्था का प्रधान निदेशक होगा जिनके साथ कोर स्टॉफ प्रशासन एवं गतिविधि में सहायता प्रदान करेगा।

वित्तीय व्यवस्था–ए ग्रेड शहर में जनशिक्षण संस्था को नोन–रेकरिंग 15 लाख रुपए, बीसी ग्रेड के लिए 10 लाख रुपए तथा मकान के लिए एकबार 20 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। फिर, रेकरिंग व्यय के लिए ए ग्रेड संस्था को साल में 35 लाख रुपए, बी ग्रेड के लिए 30 लाख रुपए और सी ग्रेड के लिए 25 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। यद्यपि सारी वस्तुस्थिति उद्देश्य के सांगठनिक ढांचा तथा प्रबंधन में स्पष्ट होता है। इन सभी मुद्दों और प्रभावों को जानने के लिए जनशिक्षण संस्थान का नवसाक्षरों पर क्या प्रभाव पड़ा, दो जनशिक्षण संस्थान का अध्ययन किया गया। अध्ययन में भवन सुविधा, जनशिक्षण संस्थान में ग्रामीण साक्षरता केंद्र, संसाधन की उपलब्धता, कार्यक्रम की योजना संचालन आदि है। उद्देश्य के रूप में ट्रेड के प्रकार, उत्पादन की बिक्री, उत्पादन की गुणवत्ता, लाभार्थी की उपस्थिति और संस्था के विभिन्न कार्य स्वरूप पर फोकस किया गया है।

जनशिक्षण संस्थान अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रही है या नहीं? इसका प्रबंधन ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं? इसलिए एक राज्य के दो संस्थानों का अनौपचारिक ढंग से अवलोकन किया गया। सारणी, व्यक्ति एवं संस्थान का नाम जान–बूझकर नहीं दिया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

- संस्था के स्वरूप तथा कार्यक्रम के आयोजन से लाभार्थी को क्या लाभ मिला?
- संस्था में भवन सुविधा, कार्य के लिए स्थान, व्यवसायिक औजार, कच्चे माल की तैयारी और आधारभूत सुविधा को देखना;
- संस्था में मानव शक्ति के लिए साधन सेवी भर्ती का तरीका, पहचान और कार्यक्षमता को आंकना;
- अनुदान पाने की अवधि, हिसाब–किताब और कार्य प्रतिवेदन के तरीके को मोटे तौर पर देखना;
- प्रशिक्षण के कार्य प्रणाली को जानना, अवधि, वास्तविक प्रशिक्षण की श्रृंखला। आयोजित प्रशिक्षण की संख्या ट्रेड के आधार पर, प्रशिक्षण में शामिल लाभार्थी की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि और समय का निर्धारण आदि जांचना;
- चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम को आंकना, नवसाक्षरों का सामाजिक–आर्थिक स्थिति तथा केंद्र की वर्तमान स्थिति पता लगाना, केंद्र पर सुविधा आंकना, प्रशिक्षण की विधि, वास्तविक प्रबंधन, प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक की प्रतिक्रिया और प्रशिक्षण के सामग्री की उपलब्धता को आंकना;
- प्रशिक्षण कोर्स को प्राप्त करने में उठी समस्याओं जो कि शिक्षु और प्रशिक्षु के बीच में घटित होती है, उसको आंकना, साथ ही शिक्षुओं को प्रशिक्षण में प्राप्त कौशल का जीवन में उपयोगिता को जांचना;
- परिणाम के आधार पर कार्यक्रम के सही दिशा को आंकना। वर्ष के अंत तक कार्य योजना अनुसार कार्य हो जाता है। किस तरह का मापदंड अपनाया गया ताकि कार्यक्रम के प्रगति में लक्ष्य तथा उद्देश्य की पूर्ति हो।

अध्ययन प्रणाली

- विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स, सामग्री तथा वार्षिक कार्य योजना अनुरूप कार्य का अध्ययन;
- कोर स्टॉफ, निदेशक, प्रोग्राम पदाधिकारी, प्रशिक्षकों आदि सभी तरह के कर्मिओं का साक्षात्कार।
- प्रशिक्षण चाहे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आयोजित की गई हो, भ्रमण के दौरान शिक्षु तथा प्रशिक्षक से बातें, साथ ही गांव के प्रधान तथा जननेता से बात कर कार्यक्रम की वास्तविकता को जानना;
- विभिन्न गैर–सरकारी संस्थायों के प्रतिनिधिओं से बात करके व्यक्तिगत विशेषज्ञ से उनकी भूमिका तथा कार्यक्रम में सहभागिता का अध्ययन। इसके अतिरिक्त जिला तथा प्रखंड के पदाधिकारी से बात करके, कार्यक्रम की सफलता का अध्ययन करना।

भवन सुविधा

अध्ययन से पता चला कि जे.एस.एस. को स्थान की उपलब्धता पर्याप्त नहीं थी। अधिकतर लाभार्थी महिलाएं थीं। विशेषकर सिलाई ट्रेड की प्रमुखता थी। मूल्यांकन दल द्वारा महिला लाभार्थी से बात करने पर पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र की स्थिति दयनीय थी। कुछ खुले मैदान में चलता था, कुछ तंग था। लाभार्थी काफी गरीब थे। कई जगह कार्यक्रम का कच्चे माल तथा औजार के खुले स्थान पर रहने से सामान की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही। जिसके कारण कार्यक्रम में प्रगति नहीं आई। लगातार सभी मौसमों में केंद्र संचालित करना असंभव था।

स्थानीय प्रगति

ऐसा देखा गया कि 15–35 साल के लाभार्थी की शैक्षणिक / व्यवसायिक स्तर 8वां वर्ग के समान नहीं था। यह प्रदर्शित करता है कि लाभार्थी का चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ। केंद्र बिंदु अनुसूचित जाति तथा जनजाति होना चाहिए, लेकिन संख्या दूसरी जातियों की अधिक थी।

मौसमी बदलाव में लाभार्थी की उपस्थिति विभिन्न ट्रेड में कैसा रहा? इस संबंध में जे.एस.एस. द्वारा कोई खास निर्णय लिया गया कि नहीं? एक अहम पक्ष यह बना कि पिछले सालों में मौसमी बदलाव के कारण उपस्थिति में काफी भिन्नता रही। यह मौसमी बदलाव की स्थिति किसी विशेष समूह के लिए अधिक लागू रहा। जो किसी भौगोलिक विशेषता को प्रकट करती है। जैसे – बाढ़ एवं सूखे के समय मजदूरों का पलायन करने से प्रशिक्षण अधूरा रह गया।

कार्यक्रम प्रबंधन

कार्य–योजना के अनुसार गतिविधि मुख्य रूप से कोर कार्यकर्त्ताओं के कारण सम्पन्न हुई, जबकि कुछ कार्यकर्त्ताओं ने सेवाशर्तों के

विपरीत कार्य किया है। संस्था सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने के कारण विभिन्न प्रकार का सेवा लाभ सरकारी कर्मचारी के तरह नहीं देती है। कुछ उत्तरदाताओं ने कहा कि इसके उपाय के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। सही प्रबंधन व्यवस्था नहीं रहने से कार्यक्रम के गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ही कार्यकर्त्ता द्वारा संपूर्ण जिले के प्रशिक्षण तथा अनुश्रवण करना कठिन कार्य है। अगर जिला साक्षरता समिति के कर्मी प्रशिक्षण तथा अनुश्रवण में सहायता करें तो कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ वाहन की असुविधा पायी गई, दूसरी विशेष समस्या जे.एस.एस. में तकनीकी प्रशिक्षक की कमी। बिना तकनीकी जानकारी के तकनीकी ट्रेड का अनुश्रवण नहीं किया जा सकता। जे.एस.एस. में एक तकनीकी जानकार अवश्य नियुक्त किया जाना चाहिए। ताकि वे सही तकनीशियन को चुन सके। निदेशक को एक तकनीशियन की मांग जे.एस.एस. के लिए करना चाहिए। एक अच्छे तकनीशियन द्वारा प्रशिक्षण स्थल पर उत्पादन का देखभाल करना चाहिए।

वित्तीय व्यवस्था सीमित रहने के कारण, काम समयानुसार करना होगा। बजट तीन किस्तों में निकलता है, जिसमें समय लगता है, जो कार्यक्रम में बड़ा बाधक है। प्रबंधक मनमानी करते हैं। जे.एस.एस. को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुयोग्य निदेशक तथा सुयोग्य कार्यक्रम पदाधिकारी आवश्यक है। उनके पास विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन, लाभार्थी का चुनाव, अनुश्रवण और देखभाल के सारे व्यवस्था के गुण चाहिए। किय गये प्रशिक्षण के लाभार्थी द्वारा उत्पादित वस्तु के गुणवत्ता निश्चित कराने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। अनुगमन से लाभार्थी को व्यवसाय जानने का अवसर मिलेगा। मांग के अनुरूप व्यवसाय का सर्वे समय–समय पर करना चाहिए। यह सब निर्भर करता है निदेशक और कार्यक्रम पदाधिकारी के व्यवस्थीय गुण पर। भ्रमण के दौरान प्रोंजेक्ट के कार्यकर्त्ता, प्रशिक्षक, लाभार्थी से बात करने पर पता चला कि लोगों के जीवन यापन, जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया लेकिन कोई व्यक्ति एक वाक्य नहीं पढ़ा। निदेशक ने कहा कि लाभार्थी का स्वयं सहायता समूह बनाना है।

परिणाम और सुझाव

- संस्था 'जन शिक्षण संस्थान' के लिए मिली अनुदान राशि को अपने दूसरे कार्यक्रमों में खर्च कर देती है जिससे समयानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है।
- जे.एस.एस. का कार्य क्षेत्र शहरी क्षेत्र तक सीमित न रहकर इसे ग्रामीण क्षेत्र तक बढ़ाया जाए। अति प्रभावी अनुश्रवण तंत्र आवश्यक है। ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशिक्षण सुचारू रूप से चले। दूसरी बात विभिन्न व्यवसाय के प्रशिक्षित सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति हो जो गतिविधि में प्रगति ला सके।
- एक तकनीकी पदाधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से चले;
- वित्तीय व्यवस्था कार्यक्रम के अनुरूप समयानुसार होनी चाहिए;
- प्रोजेक्ट कार्यकर्त्ता का सेवा–शर्त अधिक लाभदायक, कार्य की निश्चितता और सेवा लाभ निश्चित हो;
- जिस प्रकार जे.एस.एस. में सारी सुविधा हो उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में सारी व्यवस्था रहनी चाहिए;
- प्रशिक्षक की देख–रेख में उत्पादित वस्तु अधिक अच्छा रहता है, इसलिए उन प्रशिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए बराबर भेजा जाना चाहिए;
- जे.एस.एस. में स्वरोजगार एवं जीवन–स्तर से संबंधित प्रशिक्षण होता है, अतः सरकारी अभिकरण भी सहायता करें तो आम जनता को ज्यादा लाभ होगा;
- जे.एस.एस. एक विकसित बाजार की खोज करे ताकि प्रशिक्षित लाभार्थी द्वारा उत्पादित वस्तु को बेचा जा सके। लाभ की स्थिति में, आजकल बाजार के लिए विभिन्न कम्पनियों में प्रतियोगिता की भरमार है। इसलिए समय–समय पर जे.एस.एस. व्यावसायिक मेला, प्रदर्शनी तथा प्रचार की व्यवस्था करता रहे;
- संस्था ऐसी गतिविधि आयोजित करे जिससे लाभार्थी का जीवन स्तर उपर उठे न कि किसी खास व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दे;
- संस्था के कोर कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी चीज का सर्वे करें जो लाभार्थी की जीविका और सामाजिक स्तर से संबंधित हो। जैसे – कृषि उत्पादन आदि;
- सर्वेक्षण प्रतिवेदन के बाद ग्रामसभा के बैठक में भी लाभार्थियों की सूची एवं ट्रेड बताएं;
- ट्रेड के अनुसार स्वयं सहायता समूह का गठन पूर्व में ही कर लेना चाहिए।
- बाजार की मांग के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं जैसे – स्क्रीन प्रिंटिंग, लीफ–प्लेट आदि। जरूरत है जे.एस.एस. के शक्ति को बढ़ाना जो ग्रामीण आधारित कार्यक्रम चलाने के लिए गांव, प्रखण्ड तथा स्वयंसेवी संस्था को चुने।
- एक ही संस्था विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है जिससे जन शिक्षण संस्थान का कार्यक्रम बाधित होता है। अतः भविष्य में सिर्फ जनशिक्षण संस्थाओं के लिए कार्य करने वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए;
- प्रशिक्षण औजार की भारी कमी पाई गई है;
- हिंदी एवं स्थानीय भाषा का समन्वय आवश्यक है;
- पठन–पाठन का कार्य पूर्णतः बाधित हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्यथा सब प्रशिक्षण बेकार हो जायेंगे।

जे.एस.एस. के कर्मी, मानव संसाधन विकास जैसी संस्था को बढ़ाने में व्यय करें जैसे – जिला साक्षरता समिति, सतत् शिक्षा केंद्र तथा 15–35 आयु वर्ग के सभी युवक एवं युवती सभी संगठनों द्वारा एक नेटवर्क रहे ताकि सदा साक्षरता तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण चलता रहे। दलित वर्ग लोगों के लिए अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, अनुश्रवण ठीक से हो। साधनसेवी का चुनाव ठीक से हो जो ग्रामीण क्षेत्र के सर्वे, डाटा आदि को भली प्रकार समझे। जे.एस.एस. में प्रशिक्षक के लिए प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था हो। निदेशक में संस्था चलाने के लिए सारे गुण होना आवश्यक है। जनशिक्षण संस्थान के सभी उद्देश्यों को संस्था पूरा नहीं कर पा रही है। ❑

(दोनों लेखक राज्य साधन केंद्र – दीपायतन बुद्ध कालोनी, पटना से संबद्ध हैं)

कैसे पहुंचे शिक्षा जन–जन तक

मनीष कुमार सिन्हा

हमें याद है जब शिक्षा के बारे में डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुग्ध कर देने वाले अपने व्याख्यानों में कहा करते थे– 'शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, न ही यह विचारों की संवर्धन स्थली है और न ही नागरिकता की पाठशाला है। यह आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश की दीक्षा है, सत्य की खोज में लगी मानव आत्मा का प्रशिक्षण है'।

वास्तविकता भी यही है कि शिक्षा हमारे देश में तत्वदर्भी ऋषिमुनियों से लेकर आजतक हमेशा जीवन का केंद्रीय आधार बिंदु रही है। इसी की प्रेरणा है कि आज देश के दूर–दराज के गांवों में भी बेहतर शिक्षा का विकास हो रहा है और जिन गांवों–कस्बों में कभी अज्ञान का अंधकार था, वहां के लोग अब शिक्षित हो रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा 'शिक्षा आपके द्वार' योजना शुरू की गई है। इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने का सघन अभियान चलाया जा रहा है।

राजीव गांधी प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन के तहत् प्रदेश स्तरीय इस अभियान का शुभारंभ 19 नवम्बर, 2001 को किया गया।

महिलाओं में शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर 'कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना' की शुरुआत की। जिन जिलों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर बहुत कम है, उन क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1997 को, स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना प्रारम्भ की गई।

इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 का बजट पेश करते समय 'शिक्षा सहयोग योजना, के संचालन की घोषणा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों के बच्चों को आठवीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि पैसे की कमी के कारण उनकी शिक्षा बाधित नहीं हो। इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे परिवारों के बच्चों को नवीं से बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करते समय 100 रुपये प्रतिमाह का शिक्षा भत्ता प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।

सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक आठवीं कक्षा तक की संतोषजनक, निःशुल्क और गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के अहम् उद्देश्य को लेकर वर्ष 2000–2001 में सर्वशिक्षा अभियान की घोषणा की गई थी जिसे वर्ष 2001–02 में संचालित किया गया। इस योजना के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की तथा 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा प्रयास किया जाएगा। देश ने वर्ष 2010 तक ही इस उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है।

परंतु नयी व्यवस्था में हमें शिक्षा के निजीकरण को भी एक अहम–सवाल समझना है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा मात्र सरकार के जिम्मे नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि तमाम ढांचागत व्यय जुटाने में सरकार असमर्थ है। परंतु निजी संस्थाओं को रचनात्मक और अनुशासित रखने का जिम्मा तो सरकार पर ही होगा।

आज हमारा देश अपनी परम्परा के अनुरूप एक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था का ऐसा ढांचा तैयार करने पर ही टिक सकता है जिसमें सत्य और सत्ता का सामंजस्य हो। इसके स्वरूप को निश्चित कर उसे सार्थकता प्रदान करने वाली शिक्षा नीति ही सही अर्थ में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो सकती है।

इस कड़ी में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय परम्परा में प्रौढ़ शिक्षा मूलतः मौखिक थी जिसे लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक नृत्यों, लोक कलाओं आदि के माध्यम से पुश्त–दर–पुश्त दिया जाता रहा है। आज प्रौढ़ शिक्षा को साक्षरता का ही पर्याय समझा जाने लगा है। निःसंदेह प्रौढ़ शिक्षा से गांव–गांव में शिक्षा का प्रसार और अनौपचारिक शिक्षा का विस्तार हुआ है।

आज सूचना क्रांति के इस दौर में देश के दूर–दराज में स्थित शिक्षण संस्थान भी गांवों तक पहुंच गए हैं जिसका फायदा गांववासी भी भरपूर उठा रहे हैं। सभी तक बेहतर शिक्षा पहुंचे और इसके महत्व को बताने के उद्देश्य से ही केंद्र ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत 66,147 प्रारंभिक स्कूल खोले गए, 33,777 अतिरिक्त कक्षाएं बनाई गई और 3.10 लाख अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किए गए। प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लगभग 6.5 करोड़ बालिकाओं और बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई है। वर्तमान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के अधीन सर्व शिक्षा अभियान मिशन स्थापित किया गया है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए भी राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है। सरकार ने शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी बनाया है।

भारत सरकार की 1968 की पहली शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शिक्षा के अवसर सभी के लिए बराबर होने चाहिए और वर्तमान में इसी नीति का पालन किया जा रहा है। निस्संदेह इससे सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी। इस समय देश की

आय का लगभग तीन फीसदी खर्च सरकारी विद्यालयों में हो रहा है। इसके पीछे सरकार का प्रयास यह है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे गांवों में अच्छा शिक्षक वह कहा जाता है जो छात्रों की ग्रहण शक्ति के अनुसार पाठ्यक्रम की चाल बांधे। अच्छा विद्यालय वह होता है जो गांव के बच्चों की सुविधा के अनुसार स्कूल की सारणी बनाए। उदाहरण के लिए यदि दिन में लड़के गाय चराने जाते हैं तो उनके लिए शाम को विद्यालय खोला जाए और यदि शाम को लड़कियां घर का काम करती हैं तो उन्हें दिन में पढ़ाया जाए। इसके लिए कई राज्य सरकारें प्रयत्न कर रही हैं कि सरकारी विभागों को स्थानीय पंचायतों के अधीन कर दिया जाए।

गांव–गांव में शिक्षा की जागरूकता फैलाने के लिए ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रभातफेरियों, पदयात्राओं साइकिल रैलियों, नुक्कड़ नाटकों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देशभर में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये बच्चे सरकार या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे शिक्षा केंद्रों में अपना पंजीकरण कराते हैं ताकि उन्हें दाखिले के साथ–साथ अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा मुहैया हो सके। दिल्ली सहित राज्य के अन्य राजकीय विद्यालयों में सरकार द्वारा ये आदेश भी दिए गए हैं कि विद्यालयों में लघु नाटक प्रतियोगिताओं और 'आओ स्कूल चलें' जैसे विषयों पर निबंध प्रतियोगिताओं और वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम क्रियान्वित करता है। मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दिशा–निर्देशों को बनाते समय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए विशेष घटकों की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) नाम से एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है कि 30 प्रतिशत रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) स्थायी स्व–रोजगार शुरू करने के लिए ग्रामीण गरीबों को स्व–सहायता समूह में संगठित करने का एक स्व–रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक ब्लॉक में बनाए गए 50 प्रतिशत समूह पूरी तरह से महिलाओं के होंगे, जो कुल रोजगार के कम से कम 40 प्रतिशत के बराबर होगा। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकानों के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि मकान, परिवार की महिला सदस्य के नाम आबंटित किया जाए अथवा, वैकल्पिक रूप में, संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों के नाम किए जाएं। इसी प्रकार, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के लिए 10 आवंटित निधियां इस्तेमाल की जा सकती हैं और ग्रामीण जल आपूर्ति के अंतर्गत भी ग्रामी स्तर समितियों में ग्रामीण महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। ❑

150 जिलों में विशेष साक्षरता अभियान की शुरुआत

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण परिषद की सात वर्ष के बाद हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि देश के न्यूनतम साक्षरता वाले 150 जिलों को इस वर्ष साक्षरता अभियान के लिए लक्ष्य बनाया जाएगा। इनमें से अधिकांश जिले बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में हैं। आठ सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर इन 150 जिलों में साक्षरता के लिए एक विशेष समयबद्ध अभियान चलाया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में वर्ष 2007 तक 75 प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के तौर तरीकों पर विचार–विमर्श किया गया। परिषद की राय थी कि सर्वशिक्षा अभियान, महिला तथा बाल कल्याण विभाग की समन्वित बाल विकास स्कीम, युवा मामले तथा खेल मंत्रालय के नेहरू युवक केंद्र और राष्ट्रीय सेवा स्कीम तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्यक्रमों में परस्पर तालमेल के जरिए इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

परिषद को सम्बोधित करते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि देश में साक्षरता बढ़ाने के लिए 1988 में राजीव गांधी द्वारा की गई पहलों के काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। 2001 की जनगणना में बताया गया है कि 1991 में साक्षरता की दर 52.21 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 64.8 प्रतिशत पहुंच गई है। 15–24 और 15–35 वर्ष के आयु समूह में साक्षरता की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन समूहों में साक्षरता की दर क्रमशः 76.43 और 71.03 प्रतिशत है। जनगणना की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि महिलाओं में साक्षरता की दर में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में क्रमशः 17.3 और 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन परिषद की बैठक पिछले सात सालों से आयोजित नहीं की गई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिषद की बैठक साल में दो बार आयोजित की जाएगी। ❑ **(प्रेस सूचना कार्यालय)**

कार्टून-कामिक्स यानी शिक्षा के नए हथियार

अभिषेक शर्मा

कार्टून–कामिक्स क्या साक्षरता और सामाजिक विकास का माध्यम हो सकते हैं? अगर चीजों को सरसरी तौर से देखने के रवैये को बरतरफ कर दें तो बेशक। भले ही शिक्षा के इस कारगर हथियार की धार को सब लोग न समझ पाएं, यकायक यकीन न कर पाएं लेकिन इधर यह मिथक टूट रहा है कि कार्टून–कामिक्स महज हास्य और चटखारे लेने की क़िस्सागोई है। इसमें संदेह नहीं है कि टेढ़े–मेढ़े पात्र और नव साक्षरों–सी लिखाई वाले राजनैतिक कार्टूनों ने इस कला की ताकत को काफी समय तक छिपाए रखा। या कह सकते हैं कि कार्टून–कामिक्स का साक्षरता और शिक्षा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है इस बारे में सोचा नहीं गया क्योंकि लंबे अरसे तक कार्टून राजनीतिक टिप्पणियों, तक ही सीमित रहे। किंतु तकनीकी उन्नयन के इस दौर में यह कला आश्चर्यजनक रूप से अपने एक और शक्तिशाली आयाम के साथ समस्याग्रस्त ग्रामीण समाज को साक्षर, शिक्षित, जागरूक और संगठित करने का रोचक और सफल माध्यम बन रही है।

बीते कुछ बरसों में कार्टून केवल बच्चों और बड़ों को साक्षर बनाने का विधान हुए हैं बल्कि समझ विकसित करने का जरिया भी हुए हैं। इनकी वजह से अशिक्षित और वंचित समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ने और कुछ हासिल करने का माद्दा पैदा हुआ है। और यह सब बड़ी तेजी के साथ हुआ। जैसे ही यह पहचान हुई कि कार्टून का इस्तेमाल गरीब और पिछड़े अपढ़ों को साक्षर, समझदार बनाने में हो सकता है इस विधा से जुड़े चंद युवा इस काम पर एक मिशन की तरह जुट गए। देखते ही देखते देश के दर्जनभर से ज्यादा राज्यों के विविध हिस्सों में कार्यशालाओं का आयोजन शुरू हो गया।

दरअसल, कार्टून या कामिक्स स्ट्रिप के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का काम अपने आप में रोचक तो है ही इसका अनुभव भी अद्भुत है। जन–सामान्य को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए इसमें मूल रूप से कहानी के माध्यम से किसी समस्या या हालात को लेकर कहानी कही जाती है। विषय कोई भी हो सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा कोई सामाजिक समस्या, कुरीति या फिर जल, जंगल और जमीन जैसी ज्वलंत समस्याएं। कार्टूनिस्ट बड़े रोचक तरीके से किसी भी स्थानीय या राष्ट्रीय समस्या को लेकर एक स्ट्रिप तैयार करते हैं। इसमें समस्या की गंभीरता, मुक्ति के उपाय इत्यादि सुझाए जाते हैं। फिर वे स्थानीय लोगों से आग्रह करते हैं कि वे भी अपनी समझ के हिसाब से किसी समस्या को लेकर उसी विधा में स्ट्रिप तैयार करें। इससे होता यह है कि वे कार्टून की रोचक विधा से जुड़ते हैं और उनमें लिखने–पढ़ने का जज्बा भी पैदा होता है।

अगर इस पूरे काम को एक आंदोलन की नजर से देखा जाए तो भारत में इसकी शुरुआत वर्ल्ड कामिक्स इंडिया ने की। वर्ल्ड कामिक्स इंडिया ने इसकी प्रेरणा वर्ल्ड कामिक्स, फिनलैंड से ली। कोई पांच साल पहले। और तीन साल पहले वर्ल्ड कामिक्स इंडिया की विधिवत दिल्ली में बुनियाद रखी गई। संस्था से जुड़े कार्टूनिस्ट शरद शर्मा बीते तीन बरसों में देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित की गई कार्यशालाओं के नतीजों से बेहद उत्साहित हैं। वे बताते हैं, 'राजनीतिक कार्टून अपनी जगह ठीक हैं लेकिन शिक्षा और विकास कार्यों में इस विधा की भूमिका कहीं ज्यादा कारगर साबित हो रही है। मनोरंजन के साथ–साथ यदि इस विधा से अवाम साक्षर और समझदार होते हैं तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। ऐसा हुआ है। इसके कितने ही उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जहां स्थानीय समाज समस्या की गंभीरता को समझकर लामबंद हुए और कुरीतियों को काटने के लिए उठ खड़े हुए।'

दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं ने शिक्षा के इस अनोखे आंदोलन में ज्यादा रुचि दिखलाई है। कारण, समस्याओं और कुरीतियों की मार महिलाओ को ज्यादा झेलनी पड़ती है। इस मामले में उनके अनुभव कहीं ज्यादा तल्ख होते हैं। मिसाल के तौर पर यदि कोई समाज नशाखोरी का शिकार है तो वहां की महिलाओं को इसके नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। कहीं पानी की किल्लत है तो महिलाएं ही कोसों दूर से पानी भरकर लाती हैं और खाली बैठे पुरुषों की प्यास बुझाती हैं। ऐसी जगहों पर महिलाओं ने ही पानी बचाने और बढ़ाने में सरकारी–गैर सरकारी अभियानों में सक्रिय रूप से मदद की है। राजस्थान का समाज इसका ताजा उदाहरण है।

कार्टून–कामिक्स का ही एक विस्तार है दीवार पोस्टर। दीवार पोस्टरों ने न केवल पिछड़े समाजों को शिक्षित किया बल्कि तथाकथित शिक्षित समाज को उसकी जिम्मेदारियों का अहसास भी कराया। राजस्थान के अलवर जिले में एक महिला ने ही वहां के लापरवाह शिक्षक को एक वाल पोस्टर की मदद से उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराया। उधर, देश की मुख्यधारा से कटे पूर्वोत्तर में एड्स और आतंकवाद गहरी समस्याएं हैं। जब वहां कामिक्स वाल पोस्टर के जरिए समाज को शिक्षित करने का काम शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली। यही नहीं मणिपुर में तो वन और स्वास्थ्य से जुड़े सरकारी विभागों ने स्वयं इस काम में रुचि दिखलाई। मणिपुर के सांसद बनलाल जम्वा खुद कई कार्यशालाओं में आते रहे हैं। मणिपुर के लोग भी बड़ी मेहनत से लकड़ी के फ्रेम में वाल पोस्टर तैयार करते हैं और समाज को जागरूक बनाने में मदद करते हैं। राजधानी दिल्ली की फिक्की की सामाजिक इकाई ने भी कामिक्स कार्यशालाओं में रुचि दिखाई है।

पिछले तीन सालों में वर्ल्ड कामिक्स इंडिया ने देश के दर्जनभर से ज्यादा राज्यों में कार्यशालाएं और फालोअप कार्यशालाएं की हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़ तमिलनाडु, झारखंड, असम, मिजोरम,

दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर जैसे राज्यों के मुख्यधारा से जुड़े कितने ही ग्रामीण समाज–समुदाय शिक्षा के इस अनूठे आंदोलन के साक्षी हैं। कई जगहों पर लोगों ने ज्ञान और शिक्षा की इस नई विधा से लैस होकर कुरीतियां तोड़ी हैं, सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। विकास कार्यों में अपनी भूमिका को न सिर्फ पहचाना बल्कि उन्हें गति देने की हिस्सेदारी का निर्वाह भी किया है।

होता यह है कि शिक्षा के अभाव में ग्रामीण समाज अक्सर जागरूकता अभियानों से या तो महरूम रहते हैं या फिर सक्रिय रूप से जुड़ नहीं पाते। पर चूंकि कार्टून और कामिक्स रोचकता से भरे होते हैं इसलिए लोगों का ध्यान इनकी तरफ अपेक्षाकृत अधिक आकर्षित होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि यही रोचकता गांव के लोगों को किसी मुहिम का हिस्सा बना देती है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

प्रारंभिक शिक्षा कोष

सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक समाप्त न होने वाले कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। 2004–05 के बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2004–05 में शिक्षा उपकर के माध्यम से 5010 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। बजट 2005–06 में शिक्षा उपकर के जरिए 6975 करोड़ रुपये प्राप्तियों के रूप में अनुमानित हैं। प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना प्राथमिक शिक्षा के संबंध में शिक्षा उपकर से प्राप्तियों के अर्जन की सरकार की मंशा को प्रकट करती है। लोक खाते में कोष का लेखांकन इस वचनबद्धता को व्यक्त करता है। ❑

गरीबों के लिए ऋण पर ब्याज–दर में कमी

ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने बैंकों को गरीबों को ऋण पर ब्याज दरें कम करने पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। बहुत से बैंकों ने प्राथमिकता ऋण के अपने लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं किए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय, जरूरतमंद गरीबों में से गरीब को बैंक से कम ब्याज दरों पर ऋण सुनिश्चित कराने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाएगा। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वःनिर्मित प्रोत्साहनों का ब्योरा देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि विपणन कार्यकलापों के लिए पांच लाख रुपये प्रदान किए गए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–सहायता समूहों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्व–सहायता समूहों को बनाने में सहायता करने वाले प्रेरकों को भी प्रोत्साहन हेतु 10,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। ❑

मानव संसाधन विकास

- दोपहर भोजन योजना दो लक्ष्यों को अपनाकर आकर्षक बनायी जा रही है। पहला, बच्चों, खासतौर से उपेक्षित वर्ग के बच्चों को पोषक भोजन उपलब्ध कराना और दूसरा, सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना।
- देश के सभी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- दस वर्ष के अंतराल के बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का फिर से गठन किया गया है। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के लिए सात समितियां गठित।
- सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से करों पर शिक्षा उपकर लगाया गया।
- सरकार शिक्षा पर होने वाले खर्च को चरणबद्ध तरीके से सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के बराबर करेगी।
- देश के दुर्गम क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के प्रसार के लिए एडुसैट (शिक्षा उपग्रह) छोड़ा गया।
- फीस तय करने के मामले में छह भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्वायत्तता बहाल।
- सर्वशिक्षा अभियान जैसे प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों पर विशेष जोर।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नामक एक नई योजना मंजूर की गई जिसके तहत दुर्गम क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों की लड़कियों को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा देने के लिए बोर्डिंग सुविधा वाले 750 आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
- लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए महिला समाख्या जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों और राष्ट्रीय महिला कोष जैसे सशक्तीकरण कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों के अनुरूप पाठ्यक्रम का नवीनीकरण करने का निर्देश दिया गया।
- अल्प संख्यकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन।
- केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की एक नई मानवीय स्थानांतरण नीति बनाई गई।
- जिन विद्यार्थियों की कुल वार्षिक पारिवारिक आय दो लाख रुपये से कम है, उन्हें भारतीय प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाई के लिए शिक्षण शुल्क के बराबर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य माना जाएगा।
- छात्र की ओर से कोई संतोषजनक जमानत उपलब्ध कराने पर 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बैंक ने गिरवी की शर्त हटाई। ❑

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

साजिया आफरीन

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सही मायने में दार्शनिक और एक बड़े विचारक थे। उनकी नजर में यह संसार एक मंच था और पूरी मानव सभ्यता उसके पात्र। वे एक दार्शनिक, विचारक और राजनेता तो थे ही मगर उनकी नजर में शिक्षक हमेशा इन सब से ऊपर था। क्योंकि इन सबको भी एक शिक्षक ही गढ़ता है। उनकी नजर में शिक्षक राष्ट्रपति पद से भी ऊपर था। उन्होंने विश्व इतिहास को एक अलग और नयी आकृति देने की कोशिश की। नेता होने के नाते कई बार उनके अपने दूसरे साथियों, तानाशाहों और भिन्न विचारधारा के लोगों से मतभेद हुए लेकिन उसके बाद भी उन तमाम लोगों ने डा. राधाकृष्णन की दृष्टि और सोच की सराहना की। उन्होंने राजनीति के तमाम अनैतिक बंधनों से पार जाकर जनसामान्य को साक्षर और समझदार बनाने की वकालत की। वे सीमाओं–दायरों में भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि तमाम सीमाएं इंसान ने अपने दिमागी फितूर से कायम की हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मानस से मजबूत है और जिसकी मुद्दों और मानवीयता के प्रति सोच संवेदनशील है वह इन तमाम दायरों को आसानी से तोड़ सकता है। इसी सोच से समझ का मार्ग प्रशस्त होता है।

डा. राधाकृष्णन मानसिक रूप से सदैव सचेत रहते थे। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि वैचारिक गाम्भीर्य से उन्हें हास–परिहास से दूर कर दिया हो। वे किसी असहज से सवाल का भी जरूरत पड़ने पर तार्किक उत्तर देने में समर्थ थे। वक्तृत्व क्षमता में भी वे किसी से पीछे नहीं थे। बातचीत के दौरान अपने कहे में वजन डालने के लिए वे वेद, पुराण, गीता और उपनिषदों के सूत्र वाक्य का इस्तेमाल करते थे और यही चीजें उनके चाहने और सुनने वालों को प्रभावित और मुग्ध कर देती थी।

5 सितंबर, 1888 को तिरूत्तानी (दक्षिणी भारत) में जन्मे सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। घर के आर्थिक हालात बेहतर नहीं थे। पढ़ाई के लिए सिर्फ वजीफा ही उनके लिए एकमात्र सहारा था।

प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने लूथर्न मिशन स्कूल तिरूपति से हासिल की। वेल्लोर कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से कला में स्नातक किया। 1909 में वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे। 1931 में आंध्रप्रदेश विश्वविद्यालय के उपकुलपति चुने गए। ब्रिटिश आकादमी की ओर से 1939 में फेलोशिप दिया गया। 1931 में नाइटहुड अवार्ड और 1954 में भारत रत्न से अलंकृत किए गए। सोवियत यूनियन में भारत के प्रथम राजदूत का पद उन्हें ही हासिल हुआ। बचपन से ही उनका रूझान शिक्षण के प्रति था। वे अपने शुभचिंतकों व प्रशंसकों से कहा करते थे कि 5 सितंबर को उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाए बल्कि शिक्षक दिवस मनाएं।

वे कई भाषाओं के ज्ञाता तो थे ही अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, तमिल, बंगला, हिंदुस्तानी व तेलगु धाराप्रवाह बोलते और लिखते थे। मगर उन्होंने दर्शनशास्त्र को ही अध्ययन का विषय बनाया। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही कई लेख वे पुस्तकें लिखीं। करीब 150 पुस्तकें उनके नाम हैं। इनमें 'द फिलासफी आफ रवीन्द्रनाथ' और 'द रेन आफ रिलिजन इन कंटेम्प्ररी आफ फिलॉसफी', आइडलिस्टिक व्यूज आफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी अहम् हैं।

'द एथिक्स आफ द वेदांत एंड इट्स मैथाफिजिकल प्रीसुपोसिशन' नाम के पुस्तक में इस बात पर जोर दिया कि वेदांत प्रथा में मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है। उनमें दार्शनिकता कूट–कूट कर भरी थी। इस पुस्तक में डा. राधाकृष्णन ने रोजाना की दिनचर्या को समझाया है। उन्होंने भारतीय दर्शन और धर्म का दक्षिण में जमकर प्रचार–प्रसार किया। इतना ही नहीं जब आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में धार्मिक विषयों पर व्याख्यान दिया। तो उन्होंने वहां 'जीवन की सच्चाई' पर व्याख्यान दिया। राधाकृष्णन, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1939 तक प्रोफेसर रहे। ब्रिटिश अकादमी ने 1939 में उन्हें अपने यहां सदस्य बनाया। 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। 1946 से 1952 तक यूनेस्को में इंडियन डेलिगेशन के नेता रहे। वे यूएसएसआर में भारत के राजदूत बनकर 1949 से 1952 तक रहे। 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति के दायित्व को संभाला। मई 1962 से मई 1967 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे। सन् 1967 में वे मैलापोर मद्रास स्थित अपने घर गिरिजा में बाकी की जिंदगी गुजारने चले गए। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी हंसी–खुशी इसी घर में गुजारी। अप्रैल, 1975 में उनका देहांत हो गया।

हर वर्ष भारत में 5 सितंबर (उनका जन्मदिन) शिक्षक दिवस के रूप में सम्मान देने के लिए ही मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन का अपना एक अलग महत्व है। इस दिन विद्यार्थी शिक्षक बनते हैं और अपने अध्यापकों का पूरा कार्यभार संभालते हैं। इस दिन विद्यार्थी वही सब कार्य करते हैं जो रोजाना उनके अध्यापक करते हैं और इसी दिन विद्यार्थी को यह आभास होता है कि अध्यापक का क्या महत्व है और साथ ही अध्यापक को अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ जाती है। इस दिन हमें हंसी–खुशी के साथ डा. राधाकृष्णन का सम्मान करना चाहिए और साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि डा. राधाकृष्णन का महत्व हमारे देश और हमारे लिए क्या है। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

खेद है

कुरुक्षेत्र (अगस्त 2005) के अंक में पृ. संख्या 4 पर 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' नारा बाल गंगाधर तिलक का है न कि लाला लाजपत राय का। मुद्रण दोष के लिए खेद है।

गौरवमय ज्ञान केंद्र : नालंदा

आज संसार के संपन्न और सुसभ्य कहलाने वाले देशों के लोग जब जंगलों में भटकते हुए अंधकारपूर्ण जीवन जी रहे थे, उस समय भारत में उच्चकोटि के सांस्कृतिक केंद्र और विद्यापीठ विकसित हो चुके थे। प्राचीन भारत के अनेक प्रतिष्ठित केंद्रों में से प्रमुख रहा है – नालंदा विश्वविद्यालय। वर्ष 414 के लगभग मगध साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त ने शिक्षा–प्रचार और विभिन्न विद्यालयों के विकास के लिए नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऐसे लिखित प्रमाण मिलते हैं कि तथागत बुद्ध के जीवनकाल में भी नालंदा एक सांस्कृतिक केंद्र था, किंतु उनके समय में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी।

विश्वविद्यालय और एक महान सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नालंदा का प्रामाणित विवरण चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा विवरणों में प्राप्त होता है। इसी जिज्ञासु विद्वान चीनी यात्री ने तत्कालीन भारत में कई वर्षों तक अनेक नगरों तथा सांस्कृतिक केंद्रों की यात्राएं की थीं। कन्नौज के सम्राट हषवर्धन के दरबार में महीनों तक रहकर हुएनसांग ने संस्कृत तथा पाली भाषाओं की जानकारी प्राप्त की, फिर वैशाली तथा बोधगया होते हुए नालंदा पहुंचा। करीब 635 ईस्वी के आसपास वह नालंदा में अध्ययन करता रहा। फिर पांच वर्षों के बाद वहां आया और दो–तीन वर्ष रहकर उसने वैदिक साहित्य तथा बौध धर्म ग्रंथों का अध्ययन तथा अनुवाद किया। उसके वृतांत के अनुसार नालंदा में विशालकाय विश्वविद्यालय परिसर था, जिसमें पांच संघाराम थे। एक नए संघाराम का निर्माण कार्य सम्राट हर्षवर्धन की ओर से किया जा रहा था। सभी संघाराम एक ऊंची दीवार से घिरे थे। इनके मध्य में विद्यापीठ स्थित था। ऊंची दीवारों से सटे आठ आयताकार प्रकोष्ठ थे, जिनमें कक्षायें लगती थीं और आचार्यों के भाषण होते थे। दूसरी ओर कई वेधशालाएं और कार्यशालाओं के भवन थे, जिनमें तरह–तरह के यंत्र लगे थे। उनसे जलवायु के अलावा ग्रह–नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त की जाती थी। विहार से अलग चार मंजिला छात्रावास का भवन था, जिसमें पांच हजार से अधिक छात्रों के निवास की व्यवस्था थी। ऐसा अनुमान है कि तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 से अधिक विद्वान, आचार्य और प्राचार्य थे, जो वेद–पुराण और बौद्ध दर्शन के अलावा गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, न्यायदर्शन, चित्रकला आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा देते थे। उस समय में विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य उदभट विद्वान शीलभद्र थे। उन्हें सोलह भाषाओं का ज्ञान था और वे अनेक विधाओं के पारंगत आचार्य थे। गौरवमय नालंदा विश्वविद्यालय ने अनेक ऐसे दार्शनिकों को प्रशिक्षित किया, जो आज भी महिमामंडित हैं। इन विद्वानों में अश्वघोष, नागार्जुन, प्रभाकर मित्र, असंग शीलभद्र, राहुल शीलभद्र, पद्मसंभव, वसुबंधु आदि उल्लेखनीय हैं।

इस विशाल विश्वविद्यालय में रहने वाले आचार्यों, विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की संख्या दस हजार से ऊपर थी। उनके लिए मगध सम्राट ने रहने और भोजन की विशेष व्यवस्था की थी। वहां के व्यय–व्यवस्था नालंदा के चारों ओर एक सौ गांवों की आय से की जाती थी। हुएनसांग के बाद एक दूसरा चीनी यात्री ईत्सिंग भी नालंदा आया था। उसने नालंदा में ही रहकर शिक्षा और विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित प्रमुख पुस्तकालयों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। तीन मुख्य पुस्तकालय थे – रत्नासागर, रत्नोधि और रत्नरंजक। इनमें सबसे बड़ा पुस्तकालय रत्नोदधि था, जिसका विस्तार नौ खंडों में था। उन खंडों में अगणित बहुमूल्य ग्रंथ और पांडुलिपियां सिलसिलेवार रखी हुई थीं। पुस्तकाध्यक्ष कोई वरिष्ठ प्राचार्य होता था। इन पुस्तकालयों में पांडुलिपियां तथा प्रतिलिपियां तैयार करने में अनेक भिक्षु तथा छात्र कार्यरत रहते थे। हुएनसांग ने नालंदा में रहकर करीब सात सौ ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की और इन्हें बहुमूल्य धरोहर मानकर अपने देश चीन ले गया। उसी परंपरा में ईत्सिंग ने भी प्रतिलिपि–लेखन का कार्य किया और वैदिक तथा बौद्ध साहित्य के चार सौ ग्रंथों की प्रति सहेज कर चीन ले गया।

लेकिन हर उत्कर्ष के पीछे उसका पराभव छिपा रहता है। संपूर्ण संसार में ज्ञान की प्रखर ज्योति फैलाने वाले विद्या केंद्र का भी अचानक पतन हुआ। वर्ष 1200 ईस्वी में मुहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार प्रांत पर आक्रमण किया और राजधानी पटना के अलावा कई मंदिरों, मठों और बौध विहारों को ध्वस्त कर दिया। उसी अभियान में नालंदा महाविहार और विश्वविद्यालय को आक्रमणकारी ने बुरी तरह से तोड़–फोड़ दिया। यही नहीं, मूर्तिपूजा के विरोधी उसके सैनिकों ने पुस्तकालय को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पुस्तकालय में आग लगा दी, जिससे महीनों तक वहां की पुस्तकें और पांडुलिपियां धू–धू कर जलती रहीं। काल का क्रूर चक्र चलता रहता है। कभी उत्थान तो कभी पतन। इसी क्रम में प्रायः पुनर्निर्माण की स्थिति भी आती है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के सैकड़ों साल बाद विख्यात पुरातत्ववेत्ता सर कनिंगघम ने इस प्राचीन विद्यापीठ के स्थल को खोज निकाला और प्रकांड इतिहासकार पं. हीरानंद शास्त्री के अथक प्रयास से नालंदा के प्राचीन ध्वंसावशेषों की खुदाई कर 1916 में बाहर निकाला। यही नालंदा के खंडहर के नाम से मशहूर हुआ।

स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद केंद्र तथा राज्य सरकार का ध्यान इस ऐतिहासिक धरोहर की ओर गया। 1951 में नव नालंदा महाविहार की स्थापना की गई जिसमें बौद्ध दर्शन और पाली भाषा तथा साहित्य पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया गया। बाद में जापान, चीन, श्रीलंका और इंडोनेशिया ने भी इस संस्थान के विकास में यथोचित योगदान दिया। अब नव नालंदा विहार को विश्वविद्यालय के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है। वहां भारत सरकार ने विशाल भवन तथा सुंदर संग्रहालय का निर्माण किया है।

नालंदा अब केवल प्राचीन विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष मात्र नहीं है, बल्कि एक सुदर पर्यटन केंद्र भी है। वहां देशी और विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगने लगी है। राजधानी पटना से करीब 110 किलोमीटर पर स्थित नालंदा एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो गया है। ❑

(प्रेस सूचना कार्यालय)

ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान

डा. ओ.पी. शर्मा

नब्बे के दशक से प्रगति और विकास के नवीन साधन के रूप में स्वीकृत 'सूचना प्रौद्योगिकी' आज मानव जीवन के अनेक पहलुओं को एक साथ प्रभावित कर रही है। इस नवीन प्रौद्योगिकी ने न केवल विश्व समुदाय को विचार–विमर्श का एकीकृत मंच प्रदान किया है बल्कि संपूर्ण मानव जाति के विकास हेतु अभिनव मार्ग भी प्रशस्त किया है। अनियंत्रित ढंग से विकसित होने वाली यह अद्यतन प्रौद्योगिकी जहां एक ओर संपूर्ण विश्व को तकनीकी आधार पर संयुक्त परिवार का रूप देने में सफल रही है वहीं दूसरी ओर प्रत्येक क्षेत्र के विकास हेतु एक पूर्व प्राथमिकता और अनिवार्य शर्त बन चुकी है।

मूलतः सूचना प्रौद्योगिकी एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्रक्रिया और उसके प्रबंध संबंधी सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न सूचना प्रणालियों का डिजाइन तैयार करने, उन्हें विकसित करने तथा उनके संचालन या प्रबंध का काम सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से संपन्न किया जाता है। प्रारम्भिक वर्षों में यह मान्यता थी कि कंप्यूटरों का उपयोग केवल महानगरों के विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों तक ही सीमित है, किंतु आज सूचना प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूर–दूर तक टेलीफोन एवं सेलफोन के विस्तार तथा नेटवर्क के माध्यम से कृषकों व ग्रामीणों के दरवाजों पर सशक्त दस्तक देनी शुरु कर दी है।

आज ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन, एस टी डी, फैक्स एवं अन्य संचार संसाधन ने केवल सूचना क्रांति के प्रतीक बन गए है, बल्कि प्रचार–प्रसार और जन–जागरण के सुदृढ़ माध्यम बनकर भी उभर रहे हैं। अब वहां कंप्यूटर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी की अनिवार्यता दृष्टिगोचर हो रही है। ग्रामीण परिक्षेत्रों में सूचना तंत्र के प्रसार से न केवल रोजगार संवर्द्धन की विपुल संभावनाएं प्रकट हो रही है, बल्कि कृषि प्रसार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य राजकीय सेवाओं में संचार संसाधनों और कंप्यूटरीकरण के प्रभाव से अभूतपूर्व परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए हैं। ग्रामीण अंचलों की शासकीय और गैर–शासकीय गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सेवाओं का तीव्र गति से विस्तार करके आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्य आशातीत सफलता अर्जित कर रहे हैं।

भारत जैसे ग्राम प्रधान और जनसंख्या बहुल राष्ट्र में ग्रामीण विकास की त्वरित गति प्रदान करने के लिए एक प्रभावशाली यंत्र के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के अभिनव अनुप्रयोगों की संभावनाएं निरंतर प्रबल होती जा रही है। मछली–पालन, कृषि प्रसार, संसाधन प्रबंध, बागवानी, कृषि शिक्षा, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, कृषि संचार, पशु विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, संपत्ति हस्तांतरण, राजस्व अभिलेख, भूमि रिकार्ड, सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक विज्ञान आदि प्रमुख क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की प्रभावोत्पादक उपयोग करके देश के ग्रामीण विकास को नवीन आयाम दिया जा सकता है।

ग्रामोत्थान में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते अनुप्रयोग

• **भूमि रिकार्ड और कृषि विस्तार सेवाएं:** ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। भूमि रिकार्ड अब राजस्व वसूली का दस्तावेज मात्र ही नहीं है, बल्कि आज इनका उपयोग नियोजन और विकास कार्यों के लिए भी किया जा रहा है। भूमि रिकार्डों में स्वामित्व, भू–वर्गीकरण, कृषि पद्धति का स्वरूप, काश्तकारी का स्तर आदि विवरण दर्शाये जाते हैं। ग्राम स्तर पर भू–संपत्ति के अधिकार का रिकार्ड पटवारी या ग्राम सेवक या अन्य समकक्ष कार्मिक द्वारा रखा जाता है, अतः ये रिकार्ड जन–साधारण की पहुंच से बाहर होते हैं। आज देश के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सूचना प्रोद्यौगिकी के माध्यम से ग्राम, तहसील और जिला स्तर पर **'इन्फोर्मेशन कियोस्क'** स्थापित करके भूमि रिकार्ड प्रणाली के आधुनिकीकरण का काम शुरु कर दिया गया है। अब हस्तलिखित भूमि रिकार्ड में पायी जाने वाली बहुत पुरानी और अव्यवस्थित सूचनाओं के स्थान पर कंप्यूटरीकृत प्रणाली के द्वारा आकड़ों के नवीनता, विश्वसनीयता, समनुरूपता और एकीकरण संभव हो गया है। अद्यतन भू–रिकार्ड प्रणाली में किया जाने वाला प्रत्येक परिवर्तन एवं संशोधन न केवल सुरक्षित एवं गोपनीय बन गया है, बल्कि शत–प्रतिशत अशुद्धि मुक्त भी हो गया है।

देश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 के दौरान कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में फसलों में लगने वाले रोगों एवं कीटों की जानकारी हेतु **'डाटा बेस'** तैयार किए गए हैं। साथ ही जल क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं में सिंचाई सूचना प्रणाली (इरीगेशन इनफोर्मेशन सिस्टम–आई आई एस) तैयार की जा रही हैं। महाराष्ट्र में खड़गवासला नहर नियंत्रण और संचार परियोजना–द्वितीय तथा आन्ध्रप्रदेश में आन्ध्र प्रदेश सिंचाई सूचना प्रणाली (एपीआईआईएस) इन परियोजनाओं के ज्वलंत उदाहरण है। आज देश में कृषि संबंधी विस्तार सेवाओं का विकास और नवीन कृषि शिक्षा का प्रसार पूर्णतः मल्टी मीडिया सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर निर्भर हो गया है। गौरतलब तथ्य यह भी है कि आगामी जैव प्रौद्योगिकी शताब्दी में क्लीनिंग, अनुवांशिक अभियांत्रिकी और मौसम तथा मिट्टी की अवस्था के अनुकूल बीज–रोपण पर सर्वाधिक बल दिया जाएगा और इन सभी क्रियाओं को

सफल बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी अत्यंत ही सहायक सिद्ध होगी।

● **ग्रामीण शिक्षा का विस्तारः** वर्तमान सूचना प्रोद्यौगिकी न केवल ग्रामीण जीवन स्तर की सुखी–समृद्ध बनाने हेतु पथ–प्रदर्शक का कार्य कर रही है, बल्कि सर्वव्यापी शिक्षा विस्तार के लिए उत्प्रेरक का काम भी कर रही है। विश्व बैंक और शोध एजेंसीज के अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि ऑन लाइन शिक्षा, उपग्रह या टी वी के जरिए दूर बैठे शिक्षा का विस्तार करके ग्रामीणों की जागरूकता, दक्षता तथा उत्पादकता में कई गुणा वृद्धि की जा सकती है। आज देश के ग्राम, तहसील और जिला स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लगभग अनिवार्य कर दिया गया है। फलतः ग्रामीण परिक्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति तीव्र गति से जनचेतना संचरित हो रही है और इसके विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उल्लेखनीय है कि चीन में भारत और अन्य विकासशील राष्ट्रों की तुलना में साक्षरता का स्तर सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण ही अधिक बना हुआ है। अतः भारत में भी इंटरनेट जैसे संसाधनों के द्वारा शिक्षा जगत की परंपरागत कमियों को दूर करते हुए ग्रामीण शिक्षा सेवाओं के विस्तार पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विंडो आधारित कंप्यूटर प्रणालियों और भारतीय भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर के विकास के बाद अब जरुरी नहीं है कि शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही हो। आज क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषाओं में भी सूचना संप्रेषण का कार्य व्यापक स्तर पर शुरु हो गया है और कंप्यूटर उपयोग के लिए अंग्रेजी भाषा पर निर्भरता की धारणा महत्वहीन होती जा रही है।

● **स्वास्थ्य रक्षा का विस्तारंः** देश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त व्यापक रोगग्रस्तता और उसके खतरों से जीवन–स्तर में आने वाली गिरावट किसी से छिपी हुई नहीं है। ग्रामवासियों की रोगग्रस्तता न केवल स्वयं रोगियों तथा उनके आश्रितों को प्रभावित करती है बल्कि समाज के अन्य सदस्यों पर भी बुरा असर डालती है। किंतु जब से बीमारियों के निदान, बचाव और उपचार प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरु हुआ है, तब से संपूर्ण जन स्वास्थ्य सेवाएं न केवल औचित्यपूर्ण बन गई है बल्कि दिन–प्रतिदिन प्रभावोत्पादक भी बनती जा रही है। विशेष कर ग्रामीण और अशिक्षित जन–समुदाय को नीम हकीमों तथा झाड़फूंक और जंतर–मंतर वालों के जाल से मुक्त होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आज इंटरनेट ने गांव में बैठे डॉक्टर को **'मैडस्केप'** में एक ही जगह चिकित्सा जानकारी उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर ली है। ग्रामीण चिकित्सक राष्ट्रीय पुस्तकालय के **'मेडलाइन डाटाबेस'** से न केवल बीमारियों की जानकारी और अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकता है, बल्कि तालिकाओं, चित्रों और लेखों तक संदर्भों सहित पहुंचकर आसानी से निदानात्मक निर्णय ले सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तथ्यों और निष्कर्षों से यह सिद्ध हो चुका है कि ग्राम–स्तर पर स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र में सूचना प्रोद्यौगिकी के उपयोग से जहां एक ओर मानवीय प्रजनन दर तथा अस्वस्थता में निरंतर गिरावट के शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के पौष्टिकता स्तर में भी काफी सुधार हो रहा है।

● **बेहतर ग्रामीण प्रशासनः** ग्रामीण नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रशासन (ई. गवर्नेंस–ई.जी.) एक प्रमुख अनुप्रयोग सिद्ध हो रहा है। ई.जी. के माध्यम से सरकार और ग्रामवासियों के मध्य कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए सुरक्षित, विश्वसनीय और नियंत्रित संपर्क स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान तकनीकी युग में ई.जी. न केवल नागरिक सेवा आपूर्ति का प्रभावी संसाधन बन चुका है, बल्कि टेक्नोलोजी, अभियांत्रिक और नेतृत्व की नवीन शैली का मिश्रित स्वरूप सिद्ध हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाओं को अद्यतन बनाए रखने, समान विषयों पर आंकड़ों की पुनरावृत्ति को रोकने, सूचनाओं की गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रशासन की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। यद्यपि ई. प्रशासन किसी भी बुनियादी आवश्यकता का विकल्प नहीं बन सकता, फिर भी यह ग्रामीण विकास प्रक्रिया को तेज करने में उत्प्रेरक की भूमिका अवश्य निभाता है। ग्रामवासियों को जाति–प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जमीन से संबंधित रिकार्ड आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज ई.जी. की सहायता से बहुत कम लागत और न्यूनतम समय में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ई.जी. के माध्यम से ग्रामीण जन–समुदाय को सरकार द्वारा प्रायोजित विकास कार्यक्रमों से प्रत्यक्षः जोड़ा जा सकता है। हमारे देश में कुछ राज्य सरकारों द्वारा ई.जी. के माध्यम से ग्रामीण उत्पादकों और विकास कार्मिकों को व्यावसायिक सूचनाएं उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की जा रही है।

● **परिवार नियोजन में सहायकः** देश के ग्रामीण विकास में विस्फोटक गति से बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। किंतु सूचना प्रोद्यौगिकी और दृश्य–श्रव्य संसाधनों के व्यापक उपयोग से इस बाधा को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। रेडियो, टी वी, केबल टेलीविजन, इंटरनेट आदि की सहायता से न केवल छोटे परिवार का संदेश संप्रेषित करने में मदद मिल रही है, बल्कि प्रजनन–आयु समूह के प्रत्येक युग्म को जनवृद्धि को रोकने के उत्तम और आसान तरीके की जानकारी भी सरलता से उपलब्ध करायी जा रही है। इस संदर्भ में कंडोम का व्यापक उपयोग सम्मिलित है, जिससे एड्स के प्रसार को रोकने में सहायता मिल रही है। ग्राम स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को और अधिक लोकप्रिय बनाकर प्रजनन दर और शिशु मृत्यु दर को और कम किया जा सकता है।

● **सांस्कृतिक विरासत का संरक्षणः** भारतीय पर्यटन उद्योग के विकास में उल्लेखनीय योगदान रेखांकित करने वाली सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना आज समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है। देश के कोने–कोने में फैली गौरवमयी और संपन्न सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और उसका प्रचार–प्रसार नवीन सूचना नेटवर्क की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। नृत्य, संगीत, ललितकला व अन्य निष्पादन क्लाओं से संबंधित महत्पूर्ण सूचनाओं की सुव्यवस्थित सुरक्षा बनाए रखने में वर्तमान सूचना प्रोद्यौगिकी ने व्यापक अवसर प्रदान किए हैं।

आज हमारे देश में अनेक सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा इंटरनेट, ई–मेल, ऑनलाइन डाटा बेस सर्विस, कैपसर्वर आदि के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और पुरातन धरोहर से संबंधित व्यापक सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही है, फलतः कोई भी देशी–विदेशी पर्यटक या इतिहासकार या शोधकर्ता अपने घर पर ही वांछित जानकारी प्राप्त कर लेता है।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सूचना क्रांति देश के ग्रामीण विकास हेतु अपार संभावनाओं के साथ नई सहस्राब्दी में प्रवेश कर चुकी है और इसने ग्राम स्तर पर भी संप्रेषण क्षेत्र में समय और दूरी की प्रमुख बाधा को लगभग समाप्त कर दिया है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनायी जाने वाली नियोजित विकास की विशिष्ट व्यूह रचनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्य–प्रणालियों को सर्वाधिक प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी की अद्यतन तकनीकों के माध्यम से परंपरागत ग्रामीण संसाधनों का कुशलता उपयोग करके न केवल व्यापक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विरासत में मिली निर्धनता, निरक्षता, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर भी काफी हद तक विजय प्राप्त की जा सकती है। ❑

(लेखक एस.पी.यू. कालेज, राजस्थान में व्यावसायिक प्रबंध के विभागाध्यक्ष हैं)

ग्रामीण व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों एवं उद्योगों के बीच सहक्रिया के तौर पर ग्रामीण व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना हेतु 10 पायलट परियोजनाएं प्रारंभ की जायेंगी। पिछले वर्ष तैयार राष्ट्रीय ग्रामीण व्यवसाय केंद्र रिपोर्ट के अनुसार भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) दूसरे चरण में 10 राज्यों में 50 ऐसे ग्रामीण व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना करेगा। ये केंद्र चीन के ग्रामीण व्यावसायिक केंद्र के मॉडल पर आधारित होंगे, जिसमें राज्यों के ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर प्रौद्योगिकी के जरिए उत्तम एवं बहुमूल्य उत्पाद तैयार किया जाएगा। स्थानीय स्तरों पर तैयार इन उत्पादों की शहरों में बिक्री एवं निर्यात के लिए प्रदर्शनी लगायी जाएगी और शोरूम खोला जाएगा। इसके लिए विश्व बैंक से ऋण के रूप में वित्तीय मदद ली जाएगी। साथ ही यूएनडीपी से भी अनुदान प्राप्त किया जाएगा। औद्योगिक समूहों की भूमिका तो होगी ही। ❑

गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्क की स्थापना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2007 तक देश भर में एक लाख सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना करने की एक योजना पर कार्य क्र रहा है। ऐसे केंद्र मिश्रित सेवाएं प्रदान करेंगे (स्थानीय सेवाओं सहित सरकारी एवं गैर–सरकारी सेवाएं) जिनकी स्थानीय समुदाय को आवश्यकता हो सकती है। उड़ीसा में भी सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। ❑

दूर–संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और डाक क्षेत्र

- देश में ब्रॉडबैंड और इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड नीति 2004 की घोषणा की गई।
- ब्लॉक स्तर पर सरकार से सरकार के बीच विश्वस्त संपर्क प्रणाली कायम कराने के लिए राज्यव्यापी वाइड एरिया नेटवर्क नीति घोषित।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (इस्पाई) के सहयोग से नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (निक्सी) का गठन किया।
- यह संगठन मुनाफा कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करता, बल्कि इसका उद्देश्य देश में इंटरनेट की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह इंटरनेट सेवा के विकास, इसकी लागत कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है।
- आधारभूत ढांचे के लिए लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व के 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सरकार ने अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारत में '.in' डोमेन नेम के तहत फिर से पंजीकरण शुरू करने का फैसला किया है।
- डोमेन नेम के द्वितीय स्तर पर और डोमेन पंजीकरण के तृतीय स्तर पर अनलिमिटेड जेनेरिक '.in' रजिस्ट्रेशन की पेशकश की जाएगी।
- पंजीकरण की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और पंजीकरण कराने वाले से अनुरोध की प्राप्ति के 24 घंटे से कम समय में पूरी की जानी चाहिए।
- सीमा शुल्क की अधिकतम दर 20 प्रतिशत बनी हुई है। कम्प्यूटरों और उनसे संबंधित साज–सामान तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों पर शुल्क को और कम तथा युक्तिसंगत बनाया गया है।
- जहां तक लम्बी दूरी की राष्ट्रीय सेवा के लाइसेंस का सवाल है, इस बारे में निष्पादन बैंक गारंटी प्रत्येक चरण के लिए एक अरब रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- नोएडा (दिल्ली), मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में चार इंटरनेट नोड लगाये गए हैं और उन्हें चालू किया गया है।
- डाक विभाग 'लॉजिस्टिक्स' सेवा नाम की एक नई सुविधा शुरू करेगा। ❑

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन का ग्रामीण विकास में योगदान

डा. गणेश कुमार पाठक

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन से तात्पर्य ऐसे कार्यक्रमों के एक समूह से है, जिसका कार्य भारत में विकास की प्रक्रिया उचित तरीके से निर्धारित अवधि में अनुशासित करना हैं। साथ ही कार्यें की क्रियान्वयन भी करना हैं। इनका मुख्य कार्य कुछ आवश्यक–मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

प्रारंभ में ग्रामीण प्रौद्योगिकी मिशन के निम्नोंकित उद्देश्य निर्धारित किये गये थे–

- पीने का पानी–ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना एवं जल स्रोतों की अभिवृद्धि करना।
- रोग प्रतिरक्षण–सभी शिशुओं को 6 जानलेवा बीमारियों एवं गर्भवती स्त्रियों के टिटेनस से बचने हेतु रोग प्रतिक्षण टीके लगाना।
- साक्षरता–अधिक से अधिक लोगों को साक्षर बनाना।
- दूर संचार–संचार माध्यमों का विस्तार, सुधार एवं अनुसंधान करना।
- तिलहन विकास–तिलहन का उत्पादन अधिक कर खाद्य तेलों को आयात कम करना।
- डेयरी विकास–दुग्ध उत्पादन एवं ग्रामीण रोजगार में सुधार लाना।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन का मुख्य उद्देश्य

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन का मुख्य उद्देश्य जनता के मध्य उनकी शक्ति को जगााना है ताकि वे देश में तीव्र गति से हो रहे विकास की तरफ अग्रसर हो सकें। इन उद्देश्यों के कारण सरकार की घोषणा में इसे कार्यक्रम न कह कर 'मिशन' कहा गया है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राज्यों के माध्यम से कार्यक्रमों एवं नीतियों को लागू करना है। केंद्र राज्य एवं जनपद स्तर पर प्रशासकों के मध्य समन्वय करने के साथ–साथ केंद्र के निर्देशन में स्वयं–सेवी संगठनों, निजी क्षेत्र अथवा अंतराष्ट्रीय एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना है।

पीने का पानी, साक्षरता एवं तिलहन मिशन पर जो लगती है उस लागत को केंद्र एवं राज्य सरकारें बराबर–बराबर वहन करती हैं। अन्य मिशनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा धन प्रदान किया जाता है।

ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन की उपलब्धियां

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के तहत संचालित विभिन्न मिशनों द्वारा ग्रामीण–विकास में प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं–

पीने का पानी

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की है।

- इस मिशन का उद्देश्य 1.6 किलोमीटर की दूरी में स्थित 1,00,000 गांवों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराना था, जिसमें 85 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीण जनसंख्या को शुद्ध पीने का स्वच्छ उपलब्ध कराना है।
- समस्याग्रस्त 1,62,000 गांवों में से अब मात्र 10,000 गांव ही शेष बचे है, जहां पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है।
- अब तक 8,000 से भी अधिक समस्याग्रस्त गांवों में जल संसाधनों के नए स्रोतों का पता लगाया जा चुका है, जहां इससे पूर्व पीने के जल स्रोत का पता लगाने हेतु किये गये प्रयास असफल ही रहे है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की निवेश से कुछ क्षेत्रों में 60 से 90 प्रतिशत तक खुदाई की दर में वृद्धि करने की सफलता प्राप्त हुई है।
- 12,000 से अधिक गांवों में गिनीकृमि थे, जिसमें से अब मात्र 2,111 गांव ही गिनीकृमि समस्याग्रस्त हैं।
- जल को लवणहीन एवं फ्लोराईडहीन करने हेतु 130 संयंत्र, लौह हीन करने हेतु 5,000 संयंत्र, गहरे कुंओं से पानी निकालने हेतु 200 सौर ऊर्जा फोटो वोल्टेक प्रणाली एवं 100 जल परीक्षण प्रयोगशालएं की जा चुकी हैं।

रोग प्रतिरक्षण

रोग प्रतिरक्षण–कार्यक्रम के अंतर्गत देश में प्रायः सभी गर्भवती महिलाओं एवं कम से कम 85 प्रतिशत शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य रखा गया था, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है। प्रतिरक्षण सेवायें प्रदान करने में प्रतिवर्ष डिप्थीरिया, कुकुरखांसी, टिटेनस, खसरा, तपेदिक एवं पोलियों से शिशुओं को एवं टिटनेस से महिलाओं को बचाने का लक्ष्य रखा गया था। जिसे पूरा कर लिया गया है।

इस मिशन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है।

- लगभग 85 प्रतिशत शिशुओं को रोग प्रतिरक्षण के टीके पहले ही लगाये जा चुके है।
- खसरे का टीकों का उत्पादन अपने देशे में ही शुरू हो गया है एवं 1989 से ही इसका आयाता भी बंद है।
- विभिन्न राज्यों में टीकों की जांच–पड़ताल के लिए 8 टीका परिक्षण इकाईयां स्थापित की गयी हैं।

साक्षरता

इस कार्यक्रम के तहत सभी लोगों को साक्षर बनाने के साथ ही साथ कार्यशील बनाने का उद्देश्य इस मिशन ने रखा था। इस मिशन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नवत है–

- इस सरकारी कार्यक्रम को पूरा करने में गैर–सरकारी एजेंसियां भी सहयोग दे रही है और लोगों को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं केरल में एर्नाकुलम में निरक्षरता पूर्णतया समाप्त कर दी गयी हैं। केरल में तो लगभग पूर्ण साक्षरता हो चुकी है।
- नेहरू युवा केंद्र ने राजस्थान के 7 जनपदों में एवं भूतपूर्व सैनिकों ने उत्तर–मध्य प्रदेश, बिहार एवं तमिलनाडु के 25 जनपदों में साक्षरता अभियान चला कर निरक्षरता को दूर किया है।

दूर संचार

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, अधिक से अधिक लोगों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना, शहरी क्षेत्रों में वर्तमान दूर संचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना एवं सभी जनपद मुख्यालयों को सीधी उपभोक्ता डायलिंग प्रणाली से जोड़ना तथा राष्ट्रीय डिजिटल तंत्र स्थापित करना एवं देशी प्रौद्योगिक प्रयोग करना इस मिशन के मुख्य उद्देश्य है। इस मिशन की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

- प्रायः देश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल दूरभाष केंद्र स्थापित कर दिये गये हैं एवं लंबी दूरी के सार्वजनिक दूरभाष बूथ भी लगाये जा चुके हैं।
- निजी लोगों के अधिकार में भी अधिक से अधिक सार्वजनिक दूरभाष केंद्र खोले गये हैं।
- अब तार तत्काल वितरित किये जा रहे हैं। मानव चालित दूरभाषों की कार्यकुशलता को बढ़ाई गयी है।
- सभी जनपद मुख्यालयों की सीधी उपभोक्ता डायलिंग प्रणाली से जोड़ा जा चुका है।
- विश्वसनीय सार्वजनिक दूरभाष के लिए 'आदर्श सार्वजनिक दूरभाष बूथ' परीक्षण के तौर पर स्थापित किये गये हैं।
- तार भेजने की परंपरागत कोर्स संकेत पद्धति बदलकर 'इलेक्ट्रानिक की बोर्ड' का उपयोग किया जाने लगा है।

तिलहन विकास

इसके अंतर्गत तिलहन का उत्पादन बढ़ा कर खाद्य तेलों का आयात कम करना, बीजों एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी में सुधार करना और कृषकों के उत्पादन लागत के अनुरूप उन्हें तिलहनों की उचित कीमत देना तथा उपभोक्ता को भी उचित मूल्य पर खाद्य तेल उपलब्ध कराना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इस मिशन की मुख्य उपलब्धियां निम्नांकित है

- तिलहनों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- प्रथम बार मूंगफली, सरसों एवं सूरजमूखी के बीजों की 50 नई किस्में तैयार की गयी हैं।
- प्रजनन बीजों के उत्पादन में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सूरजमूखी की खेती और अधिक क्षेत्रों में की जा रही है।
- तेल निकालने के लिए एक आधुनिक प्रकार के विकसित कोल्हू का निर्माण किया गया है।
- तिलहन उत्पादन के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली ऋण सहायता में 6 गुणा वृद्धि कर दी गयी है।

डेयरी विकास

भारत में डेयरी व्यवसाय ने भूमि पर और अधिक दबाव बढ़ाये बिना ही ग्रम विकास हेतु अनेक सुअवसर उपलब्ध कराये हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन का मूख्य कार्य एवं उपलब्धियां निम्नांकित हैं।

- प्रचुर दुग्ध उत्पादन में विशेषकर प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करना।
- डेयरी उत्पादन, ग्रामीण आय एवं रोजगार में वृद्धि करना।
- सहकारिता डेयरी का विस्तार करना।
- संसाधनों के अधिकतर उपयोग हेतु विभिन्न कार्यक्रम के लिए समन्वय सुनिश्चित करना।

इस प्रकार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन द्वार किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के फलस्वरूप भारत में ग्राम विकास की दिशा में विशेष प्रगति हुई है तथा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। ❑

(लेखक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दूबे छपरा, बलिया में रीडर (भूगोल विभाग) हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

सूचना, शिक्षा और संचार

विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी जुटाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी क्रिया–कलाप निर्णायक होते हैं। अब इस बात को अधिक महसूस किया जाता है कि विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया में लोगों की ईच्छापूर्वक भागीदारी अनिवार्य है। विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधाओं में से एक बाधा लोगों में जानकारी का अभाव है जिसको ध्यान में रखते हुए सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलापों का विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि लागों को शिक्षित करने के लिए क्रियाकलापों का विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि लोगों को शिक्षित करने के लिए ये क्रिया–कलाप सूचना का प्रणालीबद्ध समन्वित और कारगर उपयोग बनते हैं और ऐसी जानकारी को ऐसे तरीके से संप्रेषित करते हैं जिससे वे अधिकार प्रदान करने वाली जानकारी बन जाएं।

मंत्रालय का सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से लक्षित समूहों के बीच मंत्रालय के कार्यक्रमों के बारे में सजग करने के लिए आईसीसी के क्रियाकलापों की योजना बनाने एवं निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। ये क्रियाकलाप मंत्रालय के कार्यक्रमों, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लगभग एक तिहाई आबादी, जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई और क्षेत्रीय, भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता से युक्त है, की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना हैं, के संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं ताकि लक्षित समूह इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदत्त लाभ प्राप्त कर सकें।

शीघ्र और आयोजित ढंग से विकास के एक सशक्त एजेंट के रूप में संचार की भूमिका को भली भांति स्वीकार किया जाता है। सूचना, शिक्षा एवं संचार की लोगों में जानकारी, कौशल और तकनीक का आदान–प्रदान करके और समर्थन के जरिए जागरूकता पैदा करने लोगों को प्रेरित करने और विकास को भागीदारी पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा, आईईसी दो अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं–सूचनात्मक और विश्वासोत्पादक का निर्वाह करता है और इस प्रकार अपेक्षित सामाजिक प्रेरणा जगाने तथा भागीदारीपूर्ण विकास को आसान बनाने की दिशा में निर्णायक है।

ग्रामीण गरीबों को ग्रामीण विकास संबंधी जानकारी देने के कार्य की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण विकास में समाज के अन्य वर्गों की भागीदारी जुटाने के लिए आईईसी गतिविधियों के ब्योरे संक्षिप्त रूप से नीचे दिए अनुसार है:

प्रिंट मीडिया

- मंत्रालय पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से प्रेस के साथ नियमित आपसी क्रिया–कलाप करके मीडिया कर्मियों के विकास के मुद्दों की जानकारी देता है ताकि मंत्रालय की नीतियों को मीडिया में दिखाया जा सके। मंत्रालय का आईईसी प्रभाग नियमित अंतरालों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रेस सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है तथा मीडिया में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत में प्रस्तुत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित पत्रकारों को दौरे करने की सुविधा भी देता रहा है।
- आईईसी क्रियाकलापों संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला भी पहली बार 10 तथा 11 मार्च, 2005 को एन आईआरडी, एनईआरसी गुवाहटी में आयोजित की गई ताकि मीडिया कर्मियों के देश के पूर्वोत्तर हिस्से में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में बताया जा सके।
- वर्ष 2003–2004 में मंत्रालय ने "ग्रामीण विकास में पत्रकारिता के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय फैलोशिप" प्रारंभ की है ताकि पत्रकारों को एक कोर समूह बनया जा सके, जो सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों, खासतौर पर ग्रामीण विकास संबंधी मुद्दों का विशेष अध्ययन करेगा और साथ ही मीडिया को ग्रामीण विकास के लिए अपेक्षित सामाजिक प्रेरणा लाने और विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हुए ग्रामीण विकास संबंधी मुद्दों के संबंध में मीडिया में प्रकाशित खबरों में पाए गए असंतुलन को भी दूर करेगा।
- नियमित अंतरालों पर ग्रामीण विकास संबंधित विभिन्न विषयों/नई पहलों पर अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं समाचारपत्रों में प्रेस विज्ञापन जारी किए जाते हैं।
- पंचायती राज कर्मियों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराते हुए उनकी क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय हिंदी तथा अंग्रेजी में "ग्रामीण भारत" नामक एक मासिक समाचार पत्रिका कर रहा है। स्थानीय और लघुस्तरीय जरूरतों को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए जनवरी, 2005 से मंत्रालय द्वारा मुद्रित समाचार पत्रिका का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को उनकी अपनी–अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन के लिए भेजा जाता है। बाद में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां इसे राज्य की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करती हैं तथा ग्राम पंचायतों, ब्लाक पंचायतों तथा जिला परिषदों के सभी निर्वाचित सदस्यों और जिला के स्थानीय संसद सदस्यों तथा विद्यायकों को यह समाचार पत्रिका मुफ्त बांटती है। इस समाचार पत्रिका में महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणाएं, मौजूदा योजनाओं/दिशा–निर्देशों आदि में परिवर्तन, राज्यों/जि.ग्रा.वि. एजेंसियों को निधियों की रिलीज आदि, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी राज्य की विशेष सूचना इन कार्यक्रमों से संबंधित सफल कहानियां (उपलब्धियां), ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्रियाकलाप संबंधित मामलों सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्रियान्वयन

संबंधी जानकारी होती है। यह पाठकों की प्रतिक्रिया के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी हासिल करने का एक विश्वसनीय स्रोत है। यह समाचार पत्रिका ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा नीतियों के लिए न केवल एक प्रभावी माध्यम है वरन् देश के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने विचारो एवं अनुभवों का आदान–प्रदान करने का भी एक प्रभावी मंच है।

- आईईसी गतिविधियों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में एक मासिक समाचार पत्रिका "कुरुक्षेत्र" भी प्रकाशित की जा रही है। यह समाचार पत्रिका ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशन प्रभाग, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याओं पर स्वतंत्र, बेबाक और गहन विचार–विमर्श के लिए मंच के रूप में कार्य करने के साथ–साथ यह पत्रिका मंत्रालय के कार्यक्रमों और नीतियों की भी जानकारी देती है। इस पत्रिका में मुख्य रूप से ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रसिद्ध लेखकों के विभिन्न विषयों पर बेहतर अनुसंधान आधारित, सूचनात्मक और गंभीर लेख होते हैं और यह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं।
- मंत्रालय हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में मंत्रालय के कार्यक्रमों पर इश्तहार और पुस्तिकाएं भी प्रकाशित करता रहता है। इन्हें देशभर में वितरित किया जाता है।

इलेट्रॉनिक मीडिया (रेडियो एवं दूरदर्शन)

- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए रेडियो एवं दूरदर्शन पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

रेडियो

- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने के लिए मीडिया चैनलों के स्थापित तरीकों में रेडियो एक प्रभावी माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियों की पहुंच एवं प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय आकाशवाणी पर रेडियो कार्यक्रमों को प्रायोजित करता रहा है। सायंकालीन अवधि में आकाशवाणी के 125 प्राइमरी और स्थानीय रेडियो स्टेशनों से हिंदी और दस क्षेत्रीय भाषाओं मे आधे–आधे घंटे के 5 साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।
- डीएवीपी के जरिए मंत्रालय हिंदी और दस क्षेत्रीय भाषाओं में 15–15 मिनट की अवधि के दो साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार कर रहा है और आकाशवाणी के 125 प्राइमरी और स्थानीय रेडियो स्टेशनों से इन्हें प्रसारित कर रहा है।
- मंत्रालय विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के जरिए लोक संगीत पर आधारित आधे घंटे का एक और रेडियो कार्यक्रम तैयार कर रहा है और इसे 19 भाषाओं और बोलियों में आकाशवाणी के 128 स्थानीय और प्राइमरी स्टेशनों से प्रसारित कर रहा है।
- मंत्रालय सांयकालीन अवधि के लिए हिंदी और दस क्षेत्रीय भाषाओं में आधे–आधे घंटे के 5 साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार कर रहा है और इन्हें आकाशवाणी के 125 प्राइमरी और स्थानीय रेडियो स्टेशनों से प्रसारित किया जा रहा हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और छतीसगढ़, उड़ीसा के पश्चिमी भागों आदि के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की क्षेत्र तथा प्रदेश विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषाओं एवं आदिवासियों की बोलियों में आधे–आधे घंटे का एक सप्ताह में एक बार ऐसे उन केंद्रों से प्रसारित किया जा रहा है जहां कि बोली से वे संबंधित है।
- दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के प्रसारण के अलावा, ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की विषय वस्तुओं पर ऑडियो स्पॉट भी तैयार किए जा रहे हैं और दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे है।

दूरदर्शन

- इस समय दूरदर्शन विकासपरक संचार के सबसे सशक्त माध्यम है। मंत्रालय "ग्रामीण भारत" नामक 15 मिनट की अवधि का एक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार कर रहा है और इसे दूरदर्शन के 22 क्षेत्रीय केंद्रों से सप्ताह में 5 दिन प्रसारित कर रहा है। इसके तीन अलग–अलग रूप अर्थात ग्रामीण भारत–खबरें विकास की (विकास परक समाचार)–तीन दिन और ग्रामीण भारत–एक गांव की कहानी (एक आदर्श गांव की कहानी) और ग्रामीण भारत–नए रास्ते रोजगार के (रोजगार के नए रास्ते) हैं। कार्यक्रम के अलग–अलग एपिसोड में मंत्रालय में विभिन्न कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन, मानव हित की सफलता की कहानियां, रोजगार का सृजन, ग्रामीण विपणन और प्रौद्योगिकी आदि शामिल होते हैं।
- दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण के अलावा, विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की विषय–वस्तुओं के संबंध में दृश्य स्पॉट भी बनाए जा रहे हैं और दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे हैं।

बाह्य प्रचार–प्रसार

- समय–समय पर बाह्य प्रचार–प्रसार का कार्य बस के पीछे लगे पैनलों, मेमू ट्रेनों के पैनलों पर होर्डिंग लगाकर तथा उन राज्यों में, जहां मंत्रालय के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अन्य राज्यों के समान नहीं है, ग्रामीण विकास संदेश वाले मेघदूत पोस्टकार्ड छपवाकर तथा उन्हें वितरित करके किया जाता है।
- डाक विभाग के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी विभिन्न संदेशों वाले 10 लाख मेघदूत पोस्टकार्ड छपवाए गए हैं जिन्हें डाक नेटवर्क के जरिए बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में बेचा जाना है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं इनके उपयोग

- सूचना–शिक्षा–संचार गतिविधियों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए आईईसी डिवीजन ग्रामीण विकास विभाग में संचार कक्ष कें अंतर्गत प्रदत्त बजटीय आबंटनों का प्रयोग करता है। इसके अलावा, तीनों विभागों अर्थात् ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग तथा भूमि संसाधन विभाग, के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आईईसी गतिविधियों के लिए प्रदत्त आबंटनों को एक साथ मिला दिया गया है और कारगर ढंग से समस्त कार्यक्रमों के संबंध में आईईसी गतिविधिया चलाने के लिए आईईसी. प्रभाग द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2004–05 के दौरान, मंत्रालय की विभिन्न आईईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन पर 30.00 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ❑

भारतीय किसान बनाम विश्व बैंक

अभिनय कुमार शर्मा

भारत विश्व बैंक का एक संस्थापक सदस्य है और प्रारम्भ से ही विश्व बैंक ने भारत को महत्वपूर्ण विकासशील देश मानते हुए पर्याप्त आर्थिक सहायता दी है जिसके लाभ के फलस्वरूप भारत ने अपनी अधिरचना और अतिरचना का विकास किया है। भारत में गरीबी को दूर करने के लिए विश्व बैंक ने कृषि क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। अपनी इसी सोच के तहत उसने भारतीय कृषि में सुधार के अनेक सुझाव दिये हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट "भारत सतत विकास और निर्धनता दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र का पुनरोद्धार" में भारतीय कृषि की मौजूदा स्थिति पर चिंता प्रकट की गयी। विश्व बैंक का मानना है कि भारत सरकार को अभी भी अपने कृषकों के विकास एवं कल्याण हेतु बहुत कुछ करना है क्योंकि अपेक्षित सुधार न करने पर गरीबी दूर करने के लक्ष्य को पाने में कठिनाई रहेगी।

यह सही है कि आज भी 60–65 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है भारतीय कृषि की वर्तमान दशा पर यदि दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती करना महंगा हो गया है उन पर ऋण का बोझ, महंगे रसायनों का बढ़ता प्रयोग आदि के कारण कई छोटे किसानों को रोजगार के लिए मजदूरी का भी सहारा लेना पड़ता है इसके बावजूद देश के किसानों को जिस बात से राहत मिलती है वह है कृषि में सब्सिडी और समर्थन मूल्य प्रणाली। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में इन्हीं दो बातों को समाप्त करने की सलाह दी गयी है। इसमें वर्णित है कि यदि भारत को अपने कृषि क्षेत्र को मजबूत एवं विकसित करना है तो भारत सरकार अपने कृषकों को उर्वरक व सिंचाई पर सब्सिडी और कृषि उपज पर समर्थन मूल्य प्रणाली जल्द बंद करे। यानी अब तक भारतीय किसान जिस डोर के सहारे चल रहे थे विश्व बैंक उसे ही काटने की बात कर रहा है। इस स्थिति में देश के छोटे और सीमांत कृषकों का चिंतित होना स्वाभाविक है। विश्व बैंक ने अब तक भारत को 130 कृषि परियोजनाओं के लिए 10.2 अरब डालर का ऋण दिया है। इस ऋण का उद्देश्य मुख्यतः गरीबों का उद्धार और कृषि विकास बताया गया है लेकिन इस ऋण का अधिकतर भाग व्यावसायिक खेती यानी रबर, रेशम की खेती, डेयरी, मछली उत्पादन आदि को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। विदित हो कि इस तरह की खेती का लाभ अधिकतर बड़े कृषकों को ही मिलता है छोटे और सीमांत कृषकों को न के बराबर। वे तो अपनी प्रचलित खेती में ही लगे हैं और इसके चलते वह ऋणों में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हम आन्ध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त कर सकते हैं जहां के अनन्तपुर जिले में 6 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक विशेष मूंगफली प्रोजेक्ट चल रहा है जबकि इसी अवधि में इसी जिले में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्म–हत्या की हैं। हालांकि उनकी आत्महत्या का कारण सीधे रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के इस कार्यक्रम को बताया नहीं जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य से यह विकासवादी प्रोजेक्ट उनकी आत्महत्या को रोकने का उपाय नहीं कर सका।

अधिकतर विश्व बैंक का ऋण ऐसी शर्तों पर दिया जाता रहा है जो किसानों को सरकारी लाभ से वंचित करती हैं। सन् 1997 में विश्व बैंक ने "आन्ध्र प्रदेश आर्थिक सुधारों का एजेंडा" नाम से जारी रिपोर्ट में सिंचाई और बिजली दरें बढ़ाने पर विशेष बल दिया था। यह सत्य है कि विश्व बैंक भारत की गरीबी की समस्या के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाता रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी यह संवेदनशीलता कृषि सुविधाओं पर सब्सिडी और समर्थन मूल्य के प्रति कुछ ज्यादा ही परिलक्षित होती है। इन सुविधाओं को समाप्त करने के पीछे विश्व बैंक का तथाकथित तर्क है कि इससे खेती में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसान आत्मनिर्भर होंगे। यह बात तो ठीक वैसी ही है जैसे किसी व्यक्ति को सबसे अधिक स्नेह करना परंतु उसके कल्याण के लिए जबरन ऐसा उपाय बताना कि उसका उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो जबरदस्ती उसे हानि पहुंचाना ही हुआ, भारतीय कृषकों की भी ऐसी ही हानि होगी यदि विश्व बैंक के इस तथाकथित भलाई के सुझाव को मान लिया जाये।

विश्व व्यापार संगठन के अनुसार भारत सरकार प्रतिवर्ष 12 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी उर्वरक क्षेत्र को देती है इसके अलावा 13 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं व धान खरीदी पर व्यय करती है अर्थात मात्र 25 हजार करोड़ रुपये की यह सहायता विश्व बैंक की आंखों का काटा व्यर्थ में बनी हुई है जबकि विरोधाभासी तथ्य यह है कि अमीर विकसित देश अपने किसानों पर सब्सिडी की बरसात कर रहे हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे संपन्न देश कृषि क्षेत्र को 350 अरब डालर प्रतिवर्ष से भी अधिक सब्सिडी देते हैं विश्व बैंक इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी भूल से भी न करना आवश्यक नहीं समझता।

कृषि के संदर्भ में सन् 1986 में विश्व बैंक द्वारा जारी "विश्व विकास रपट" में कहा गया था कि कृषि उत्पादन व बिक्री के हर क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप के कारण अयोग्यता उत्पन्न हुई है और उत्पादन में कमी आई है। इसी तरह सन् 1991 में जारी, "कंट्री इकोनोमिक मेमोरंडम फार इंडिया" में भारत सरकार द्वारा खेती पर दी जाने वाली सहूलियतों पर कटौती, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में कमी तथा कृषि ऋण संबंधी संशोधन का प्रस्ताव देते हुए भारत से बिक्री और व्यापार प्रतिबंध की बात कही गयी।

इससे यह स्पष्ट होता है कि वह भारत के कृषि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने और बाजार, परिवहन व ऋण संबंधी नियंत्रण हटाने की पक्षधर है और यह स्थिति भारत के किसानों के लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक ही होगी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकसित देशों में यह सुझाव लागू होंगे नहीं, ऐसी विभेदपूर्ण स्थिति के चलते यदि हमने विश्व बैंक की उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तो भारत के किसान भारत के ही कृषि बाजार से बेदखल हो जायेंगे। तब न केवल आन्ध्र प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारतीय राज्यों के किसान आत्म हत्या करने के लिए विवश हो जायेंगे और विश्व बैंक की गरीबी दूर करने की बात धता ही रह जायेगी। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ग्रामीण वित्त प्रबन्धन में जिला सहकारी बैंकों की भूमिका

डा. नरेंद्र पाल सिंह एवं नवनीत कुमार राजपूत

हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है जिसमें से दो तिहाई से भी अधिक जनसंख्या सीधे–सीधे कृषि कार्यों से जुड़ी है। कृषि से जुड़े लोगों में तीन चौथाई लोग लघु सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं जिनमें लगभग 59 प्रतिशत किसानों की जोत 2.5 एकड़ से कम है। गांव में लगातार बढ़ती जनसंख्या का भार भी कृषि पर ही पड़ता है और सीमित भूमि के कारण ग्रामीण परिवार लगातार गरीबी को झेलने के लिए मजबूर रहते हैं। अतः इन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु गांव में उपलब्ध साधनों का ग्रामवासियों के हित में उपयोग तथा समुदाय एवं सहकारिता की भावना को विकसित कर ही इनका विकास किया जा सकता है। सहकारिता के अंतर्गत व्यक्ति संगठित होकर अपने आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए समानता के आधार पर बिना भेदभाव, स्वेच्छा से संगठित होते हैं। हमारे देश में सहकारिता की संरचना को स्थापित हुए लगभग एक शताब्दी बीत चुकी है जबकि विश्व में यह अवधारणा सबसे पुरानी है। सहकारिता समिति अधिनियम 1904 को लागू करने के साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में प्रयास शुरू किये गये तथा समय–समय पर सहकारी आंदोलनों के जरिए किसानों की पारंपरिक ऋणों से मुक्ति, अनावश्यक व्ययों में कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त प्रदान करने वाले महाजनों के शोषण से मुक्ति आदि धारणाओं पर सकारात्मक सोच के साथ बल दिया गया क्योंकि कृषि साख के वितरण हेतु सहकारी प्रणाली को ही अधिक उपयुक्त माना गया। स्वतंत्रता के बाद गांव के सर्वांगीण सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु कृषि ऋण के विस्तार की सर्वोपरि आवश्यकता सरकार एवं समाज द्वारा महसूस की गई। किसानों द्वारा परम्परागत रूप से अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्रमुख रूप से साहूकार, महाजन, सूदखोरों, सगे संबंधियों तथा मित्रों के द्वारा की जाती थी। वित्त के गैर–संस्थागत स्रोत न केवल किसानों के शोषण का कारण बने बल्कि उन्हें फसल उत्पादन के ऋण एवं ऊंचे ब्याज का भुगतान करने हेतु अपनी फसल को कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर करते थे। इस प्रकार किसानों को कृषि लागत की तुलना में अधिक हानि का सामना करना पड़ता था और वे दोहरे शोषण का शिकार होते थे।

शहरी और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के दो व्यापक क्षेत्रों के साथ सहकारी बैंकिंग प्रणाली, भारतीय वित्तीय प्रणाली के एक आंतरिक भाग के रूप में उभरी है। व्यापक नेटवर्क और दूर–दूर तक फैली इन सहकारी संस्थाओं ने गरीबों और दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में बैंकिंग की आदत डालकर संस्थागत ऋण के क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण एवं विकासात्मक भूमिका अदा की है। सहकारी बैंकिंग की संरचना को विकसित हुए पांच दशक से भी अधिक समय हो चुका है जिसमें इन संस्थाओं द्वारा उधारदाता और उधारकर्ता के रूप में अपने सदस्यों की दोहरी भूमिका को निभाया गया है। अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं को तीन भागों में विभक्त किया गया है जिनमें राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां सम्मिलित हैं। दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाओं में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आते हैं। जिन राज्यों में दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाएं नहीं हैं वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाएं दी जाती हैं।

ग्रामीण वित्त की आवश्यकता

हमारे देश में अभी भी बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मजबूर हैं अतः उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक एवं लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीणों को और अधिक रोजगार के अवसर दिये जा सकते हैं। साथ ही साथ अमेरिका, कनाडा तथा अन्य विकसित देशों की तरह हमें भी अपनी कृषि में भी आधुनिक तकनीकी एवं नई–नई पद्धतियों को अपनाकर बढ़ावा देना चाहिए तथा कृषि पर आधारित अन्य उद्योग जैसे–डेयरी, पशुपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन, बागवानी, सूअरपालन, मधुमक्खीपालन आदि उद्योगों भी सरकारी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश ऋण खेती तथा लघु एवं कुटीर के लिए तथा कुछ ऋण अनुत्पादक कार्यों जैसे–विवाह, जन्म एवं मृत्यु, मुकदमेबाजी आदि के लिए भी जाते हैं जिनकी पूर्ति साहूकारों, सहकारी संस्थाओं, भूमि विकास बैंक, व्यापारिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी अग्रणी बैंक योजना तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण कम आय व निर्धनता, पैत्रक ऋण, प्राकृतिक संकट, सामाजिक व्यय, पशुओं आदि की मृत्यु, मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति, साहूकारों की कुरीतियों, मुद्रास्फीति, जनसंख्या में वृद्धि तथा अन्य साधनों से आय का न होना है।

हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारी बैंक भी बैंकिंग क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं तथा सभी आधारभूत कार्य अन्य बैंकों की भांति ही संपन्न करते है। सहकारी बैंकों की स्थापना अलग–अलग राज्यों में सहकारी समिति अधिनियम के अनुरूप की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ऋण संस्थायें कुल ग्रामीण ऋण निर्गम केंद्रों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा बनाये हुए हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदत् कुल

बकाया ऋण और अग्रिम का 44 प्रतिशत हिस्सा और ग्रामीण जमा राशियों के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से पर सहकारी बैंकों का अधिकार है। अकेले कृषि क्षेत्र को प्रदत्त अल्पावधि उत्पादन ऋण में लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा सहकारी ऋण संस्थाओं के क्षेत्र में आता है। सहकारी बैंकिंग का प्रमुख उद्देश्य टिकाऊ और निर्वहणीय वित्तीय संस्थाओं का सृजन करना है जो कमजोर बनी हुई हैं। सहकारी बैंकों की भूमिका की श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर इन बैंकों के कार्य की समीक्षा अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सामान्य रूप से तथा ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से ये बैंक ऋण प्रवाह के एक प्रमुख मार्ग का निर्माण करते हैं।

जिला सहकारी बैंकों की कार्य निष्पादकता

जिला सहकारी बैंक मुख्य रूप से राज्य में जिला मुख्यालय पर खोले गये हैं। इन बैंकों पर भी भारतीय रिर्जव बैक द्वारा बैकिंग नियंत्रण अधिनियम लागू होता है। इन बैंकों द्वारा अधिकांश अपनी शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी हैं तथा इन बैंकों की मुख्य योजनाओं में चालू व बचत खाते, सावधि जमाएं, राष्ट्रीयकृत बैंकों, शीर्ष बैंकों व सरकार से ऋण, सहकारी समितियों तथा आम जनता से जमाएं एकत्रित करना शामिल है। ये बैंक लघु, मध्यम और दीर्घावधि के ऋण स्वीकृत करते हैं तथा व्यापारिक बैंकों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जमाएं भी इकट्ठा करते हैं। वर्तमान में कुल 367 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं। जिला सहकारी बैंक अधिकांशतः कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ऋण प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के कारण इन बैंकों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिला सहकारी बैंकों की कुल देयताओं में वर्ष 2003 के अंत तक पूंजी की हिस्सेदारी 3.1 प्रतिशत, प्रारक्षित निधियां 11.2 प्रतिशत, जमा राशियां 63 प्रतिशत, उधार राशियां 16.7 प्रतिशत तथा अन्य देयताएं मात्र 6 प्रतिशत रही हैं। इन बैंकों की कुल आस्तियों में नंकद और बैंक शेष 6.7 प्रतिशत, विनियोग 26 प्रतिशत, वितरित ऋण और अग्रिम 55 प्रतिशत तथा अन्य आस्ति 12.3 प्रतिशत रही है। इन बैंकों द्वारा वसूली कार्य निष्पादन वर्ष 2003 के अंत में 61 प्रतिशत रहा है जो विगत वर्ष के मुकाबले 5 प्रतिशत कम है। कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में वसूली कार्य में निश्चित रूप से सुधार आया है जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में वसूली कार्यों में निश्चित रूप से भारी गिरावट आयी है। पंजाब और उत्तरांचल के जिला सहकारी बैंकों ने 80 प्रतिशत से अधिक के वसूली लक्ष्य को प्राप्त किया है। जिला सहकारी बैंकों ने कुल मिलाकर वर्ष 2002–2003 के दौरान भी हानि दर्ज करना जारी रखा। ब्याज आय कुल आय की लगभग 95 प्रतिशत रही जबकि ब्याज व्यय कुल का लगभग दो तिहाई बना रहा। 339 जिला सहकारी बैंकों में से 234 ने 734 करोड़ रुपये का लाभ कमाया जबकि 105 बैंकों ने 859 करोड़ रुपये की हानि की सूचना दी। इसलिए इन बैंकों की समग्र लाभप्रदता में गिरावट आयी और जिसका प्रमुख कारण प्रावधानीकरण तथा आकस्मिक देयताओं के लिए उच्चतर व्यय का होना है। जिला सहकारी बैंकों की गैर–निष्पादक आस्तियों का स्तर भी काफी ऊंचा रहा है। बकाया ऋणों के प्रति गैर–निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत 22 रहा है। इन बैंकों में वर्ष 2003 के अंत तक कुल गैर–निष्पादक आस्तियां 13862 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी हैं जिनमें 7603 करोड़ रुपये की अवमानक आस्तियां, 5060 करोड़ रुपये की संदिग्ध आस्तियां तथा 1199 करोड़ रुपये की हानिगत आस्तियां शामिल हैं।

जिला सहकारी बैंकों की कार्य निष्पादकता में कमी

जिला सहकारी बैंक गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं किंतु इन बैंकों के सम्मुख कुछ समस्यायें भी उत्पन्न हो रही हैं जिनमें मुख्यतः दोहरी नियंत्रण प्रणाली है जहां सहकारी समिति अधिनियम के तहत राज्य सरकार की ओर से रजिस्ट्रार उनके लेनदेनों के लिए उत्तरदायी होता है। वहीं दूसरी ओर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक उत्तरदायी होता है, वहीं मुख्यतः नियामक भूमिका के इसी दोहरेपन के कारण जिला सहकारी बैंकों का प्रभावी विनियमन इन दोनों विनियामक ऐजेंसी में से कोई भी नहीं कर पाता और कठिनाई होने पर एक दूसरे को दोषी ठहाराते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच कार्यों के स्पष्ट विभाजन का अभाव है। ये बैंक विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रदान कर सहयोग एवं सराहनीय कार्य कर रहे हैं किंतु अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं:–

- जिला सहकारी बैंकों ने अपनी शाखाएं ग्रामीण, अविकसित एवं दूर–दराज के इलाकों में खोलीं जहां पर ऋण प्राप्त करने वाले लोगों की तो कतारें हैं लेकिन धन जमा करने वाले लोग बहुत कम हैं जिससे इनका व्यवसाय एवं विकास प्रभावित होता है।
- जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपना व्यवसाय बढ़ाने तथा जमा को आकर्षित करने हेतु अन्य बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दिया जाता है जिससे इन बैंकों पर ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ता है। और लाभदायकता प्रभावित हो जाती है।
- जिला सहकारी बैंकों में गैर–निष्पादक आस्तियां आज भी काफी मात्रा में होती हैं और ये बैंक राष्ट्रीय मानकों से काफी दूर हैं क्योंकि ये बैंक ऋण की स्वीकृति के समय दबाव में प्रतिभूति एवं जमानत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं।
- जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेंतु ऋण वितरण के समय बिना आवश्यकता वाले लोगों को भी ऋण स्वीकृत कर दिये जाते हैं जिनका प्रभाव इनकी आस्तियों एवं लाभ पर पड़ता है।
- जिला सहकारी बैंकों द्वारा ऋण वितरण हेतु विभिन्न अवसरों पर गांव–गांव में ऋण मेलों जैसे कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित कर लाभार्थियों का चयन किया जाता है जो कि समयाभाव के कारण सही नहीं है। ऐसे में गैर लक्षित ऋण भी वितरित हो जाते हैं जिससे उनकी वसूली निष्पादकता में कठिनाई झेलनी पड़ती है।
- जिला सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती के समय यह ध्यान नहीं दिया जाता कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही नियुक्त किये जायें क्योंकि शहरी कर्मचारी प्रशिक्षण देने के उपरान्त भी ग्रामीण समस्याओं एवं वातावरण से अनभिज्ञ रहते हैं।
- जिला सहकारी बैंकों का प्रबंध समय–समय पर चुने जाने वाले संचालकों के द्वारा किया जाता है। अतः बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी संचालकों के दबाव में कार्य करते हैं और स्वयं निर्णय नहीं ले पाते तथा समस्याओं से जूझते रहते हैं जबकि संचालक मंडल निर्धारित समय के लिए चुना जाता है।

- जिला सहकारी बैंकों का कारोबार ग्रामीण क्षेत्रों में होने से नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी तथा अवधारणाएं बैंक शाखाओं में समय से लागू नहीं हो पातीं जिससे प्रतिस्पर्धा में ये बैंक पीछे रह जाते हैं।
- जिला सहकारी बैंकों का आज भी व्यवसाय क्षेत्र सीमित होने के कारण बहुत–सी गतिविधियां जैसे धन स्थानान्तरण गैर योजना ऋण प्रदान करना, ग्राहकों के लिए गारंटी देना, बैंक ड्राफ्ट बनाना तथा धन वसूली की सुविधा अपने ग्राहकों को नहीं दे पाते जिसका सीधा प्रभाव उनके व्यवसाय पर पड़ता है।
- जिला सहकारी बैंकों के लक्ष्यों में सरकारी योजनाओं को शामिल कर उनके लिए ऋण वितरण का कार्य करना शामिल रहता है। अतः राजनैतिक एवं सरकारी दबाव में योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बहुत से अपात्र लोगों को भी ऋण प्रदान कर दिये जाते हैं जिससे भविष्य में बैंकों को हानि होती है।
- जिला सहकारी बैंकों में कर्मचारी के स्वीकृत वेतनमान, अन्य कार्यरत बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान की तुलना में काफी कम होते हैं जिससे कर्मचारियों में हीन भावना घर कर जाती है और वे बैंकों में नई अवधारणा को लागू करने का विरोध करते हैं।
- जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत अधिकांश स्टाफ बच्चों की शिक्षा एवं शहरी सुविधाओं के चक्कर में शहरों में रहते हैं जबकि बैंकों में तो वह कार्यशील समय में ही रह पाते हैं जिससे वे ग्रामीणों से घुलमिल नहीं पाते और न ही जानकारी एकत्रित कर पाते हैं जिससे बैंक का कार्य और निर्णय लगातार प्रभावित होते रहते हैं।
- जिला सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली आज भी रूढ़िवादिता एवं परम्परागत अवधारणाओं को अपनाए हुए है जबकि सार्वजनिक, निजी एवं विदेशी क्षेत्र के बैंक बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों को अपने यहां लागू कर रहे हैं अतः प्रतिस्पर्धात्मक रूप से ये बैंक आज भी पिछड़े हुए हैं।
- जिला सहकारी बैंकों में अधिकांश खाताधारक ग्रामीण एवं कम पढ़े–लिखे लोग होते हैं अतः बैंक कर्मचारियों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं होता और कार्यों में अनावश्यक विलंब एवं शर्तें इन पर लगाते रहते हैं। यदि कोई ग्राहक खाते से संबंधित या अन्य जानकारी के लिए पत्र व्यवहार करता है तो इन बैंकों के बैंक कर्मी पत्रों का जबाव भी समय से प्रेषित नहीं करते हैं।
- जिला सहकारी बैंकों की शाखाएं अति पिछड़े क्षेत्रों में होने के कारण स्टाफ को बैंकिंग संबंधी परिवर्तनों एवं नवीनतम जानकारी का अभाव बना रहता है जिससे वे खाताधारकों को भी आधी–अधूरी सूचनाएं देते हैं और कभी–कभी तो ग्राहक बहुत–सी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और हानि का सामना भी करते हैं।
- जिला सहकारी बैंकों के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी ग्राहकों की अशिक्षा, पिछड़ापन एवं असमानता के चलते अपना दृष्टिकोण नकारात्मक बना लेते हैं और अनुशासनहीनता जैसे–कार्य के प्रति लापरवाही, कार्य समय में काउंटर छोड़ना, व्यर्थ की आपसी बातों में व्यस्त होना, घरेलू या कार्य समय के बाद के कार्य करना, ग्राहक सेवा पर ध्यान न देना, देर से शाखा का खोलना व समय से पूर्व शाखा बंद करना आदि व्याप्त हो जाती है।
- जिला सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को मिल से प्राप्त गन्ने की पर्चियों का भुगतान, गेहूं तथा अन्य फसलों को बेचने से सरकारी एजेंसियों से प्राप्त चेक, ड्राफ्ट, ब्याज संग्रहण आदि के भुगतान एवं उन्हें संग्रहित करने में निर्धारित से अधिक समय लगा देते हैं और अनावश्यक विलंब करते हैं। यदि ग्रामीण खाताधारक अपनी बचत को बैंक में जमा करने जाते हैं तो छोटे मूल्य वर्ग के नोटों को बिना पर्याप्त कारण बताए लेने से मना करते हैं अथवा अतिरिक्त कमीशन की मांग करते हैं।
- जिला सहकारी बैंकों में अशिक्षित ग्रामीण जनता के खातों से अनाधिकृत एवं कपटपूर्ण ढंग से धन निकाल लिया जाता है और ग्राहकों के जमा संग्रहित धन को उनके खातों में उचित समय पर क्रेडिट नहीं किया जाता।
- जिला सहकारी बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बैंक के निर्धारित कार्य समय का नियमित रूप से पालन नहीं किया जाता है तथा यदि कोई ग्राहक इन बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारियों से गारंटी के लिए आग्रह करता है तो उन्हें मना कर दिया जाता है।
- जिला सहकारी बैंक विभिन्न जोखिमों के प्रति भी सतर्कता नहीं बरतते। जोखिमों के अंतर्गत अस्तित्व देयता जोखिम, ऋण जोखिम, मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, कानूनी जोखिम, मूल्य जोखिम, मानव संसाधन जोखिम आदि पर भी इन बैंकों के प्रबंधनतंत्र एवं निदेशक मण्डल द्वारा पूर्णतया निगरानी नहीं बरती जाती।
- जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने व्यवसाय को बनाये रखने एवं बढ़ाने हेतु अपने उत्पादों की समीक्षा, उनमें सुधार एवं उन्हें आकर्षक बनाने हेतु ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है।
- जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने मानव संसाधन विकास हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी अभाव रहता है और पदोन्नति, स्थानांतरण, भर्ती, पदावनति, सेवा मुक्ति, वेतन बोनस आदि विषयों के नियमों पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

जिला सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार

जिस गति से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हो रहा है उसी गति से ग्राहकों की संख्या एवं उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। जिला सहकारी बैंकों द्वारा भी अपने सामाजिक एवं वैधानिक लक्ष्यों को पूरा करने की जी तोड़ कोशिश की गई है किंतु सुविधाओं एवं अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में ये बैंक प्रतियोगिता की दौड़ में पीछे रह गये हैं। ऋण, जमा, वसूली तथा अन्य सेवाओं के क्षेत्र में भी ये बैंक बहुत अच्छा पर्दशन नहीं कर पाये किंतु आने वाले समय में इन बैंकों के सम्मुख भी बहुत अधिक संभावनाएं मौजूद हैं। अतः इन बैंकों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके लिए इन बैंकों को निम्न प्रयास करने होंगे :

- जिला सहकारी बैंकों को अपना व्यवसाय बढ़ाने हेतु अपना कार्य क्षेत्र भी विस्तृत करना होगा। जमा, ऋण एवं सेवाओं से संबंधित विभिन्न नये–नये उत्पाद एवं योजनाओं को लागू करना होगा। व्यवसाय के नये मौके तलाशने के साथ–साथ उनकी गुणवत्ता पर भी इन बैंकों को ध्यान केंद्रित करना होगा।
- जिला सहकारी बैंकों का व्यवसाय अधिकांशतः पिछड़े एवं दूर–दराज के क्षेत्रों में है अतः इन बैंकों को भी अपना व्यवसाय शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ाना चाहिए।
- जिला सहकारी बैंकों के प्रबंध तंत्र में कुछ शीर्ष बैंकिंग संस्थाओं की

भागीदारी स्थायी रूप से रखी जानी चाहिए ताकि इन बैंकों द्वारा नवीनतम अवधारणाएं लागू कर अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिल सके।

- जिला सहकारी बैंकों से आज भी साहूकार एवं महाजन प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं अतः इन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा इनके लाइसेंस निर्गत कर ही, व्यवसाय की अनुमति दी जानी चाहिए। जिला सहकारी बैंकों द्वारा स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं के समाधान हेतु स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि ग्राहकों को नये–नये उत्पाद एवं योजनाओं के बारे में समय रहते जानकारी दी जा सके।
- जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने व्यवसाय में वृद्धि एवं विभिन्न योजनाओं की सफलता हेतु त्योहारों अथवा विशेष अवसरों पर विभिन्न गांव एवं शाखाओं में विशेष शिविर आयोजित करने चाहिए जिनमें ऋणों का वितरण, पात्र लाभार्थियों का सही चयन, ऋण वसूली, ग्राहक सेवा संबंधी जानकारी तथा समय–समय पर नियमों में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी खाताधारकों को दी जा सके तथा किसी विशेष योजना के अंतर्गत सीमित लाभार्थियों के चयन में मध्यस्थ, राजनैतिक एवं प्रभावशाली स्थानीय लोगो के दबाव के बिना किया जा सके।
- जिला सहकारी बैंकों द्वारा विशेष अभियान के तहत ग्राहकों के मन में इस तरह की भावना बैठानी होगी कि ऋण वापसी करना उनका संवैधानिक कर्तव्य है और यदि किसी ऋण से प्राप्त संपति की हानि होती है तो बीमा कंपनी से प्राप्त दावे की राशि से बैंक का भुगतान किया जाये।
- जिला सहकारी बैंकों की जो शाखाएं हानि उठा रही हों उन्हें ऐसे स्थानों पर प्रतिस्थापित करना चाहिए जहां दूसरे बैंकों की शाखाएं उपलब्ध न हो अथवा जो शाखाएं इसके बावजूद भी घाटे से न उभर पाये उनका संविलयन दूसरी शाखाओं के साथ कर देना चाहिए।
- जिला सहकारी बैंकों को भी बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अपनी शाखाओं में आधुनिक सुविधाएं, कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी से लैस किया जाना चाहिए तथा अतिरिक्त स्टाफ का उपयोग ऋण वसूली, सहायक क्रियाओं, शाखाओं का विस्तार अथवा नई शाखाएं खोलकर समायोजित करना चाहिए।
- जिला सहकारी बैंकों को भी अपने लक्ष्य निर्धारित कर उसी के अनुरूप अपने मानव संसाधन को प्रशिक्षित कर, कार्य पर तैनाती सुनिश्चित करनी चाहिए तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मियों पुरस्कृत एवं पदोन्नति की व्यवस्था की जानी चाहिए साथ ही नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले कर्मियों का अनिवार्य रूप से दण्डित किया जाना चाहिए।
- जिला सहकारी बैंकों के सफल संचालन हेतु उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य व्यवसायिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को एकीकृत कर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में स्थापित कर, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देना चाहिए।
- जिला सहकारी बैंकों को अन्य बैंकों की भांति राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए।
- जिला सहकारी बैंकों द्वार अपनी लाभप्रदता बनाये रखने तथा उसमें वृद्धि हेतु ऋण प्रदान करते समय छोटे–छोटे किसानों, गरीबों एवं उपभोक्ताओं की क्षमता का आकलन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और जमानती निपेक्षित वस्तु एवं गवाहों के प्रावधान का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।
- जिला सहकारी बैंकों की भी अन्य बैंकों की तरह सभी प्रकार की बैंकिंग गतिविधियों में भाग लेने की छूट दी जानी चाहिए।
- जिला सहकारी बैंक अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक ऋण स्वीकृत कर देते हैं जबकि उसमें अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ऋण वितरण के पश्चात भी अनुवर्ती कार्यवाही पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऋण जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत हुआ है। उसी मद में व्यय हुआ है कि नहीं।
- जिला सहकारी बैंकों द्वारा ऋण वसूली पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि गैर निष्पादक आस्तियों में वृद्धि न होने पाये और बकायादारों की सूची भी शाखा स्तर पर प्रदर्शित की जानी चाहिए और बकायेदारों को यह भी जानकारी दी जानी चाहिए कि यदि वह समय से ऋण भुगतान करेंगे तो उन्हें पुनर्वित भी उतनी ही आसानी से प्राप्त हो सकेंगे।
- जिला सहकारी बैंकों द्वारा अर्थक्षम इकाइयों को चयनित करके इनका पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और इन शाखाओं को अतिरिक्त छूट एवं सुविधाएं दी जानी चाहिए किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इकाई का प्रबंधन कुशल और आय सृजित करने में सक्षम है।

जिला सहकारी बैंक आज तक अपना कार्य पुरानी रीतियों के अंतर्गत कर, ग्रामीण वित्त में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं किंतु आज समय परिवर्तित हो गया है। अतः इन बैंकों को भी स्वयं को समय के अनुरूप ढालना होगा और अपनी कार्यपद्धति को ग्राहकोन्मुख एवं बाजारोन्मुख बनाना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक एवं सरकार को चाहिए कि घाटे में चल रहे जिला सहकारी बैंकों को सुधार का मौका प्रदान करें ताकि वे भी लाभ की ओर अग्रसर हो सकें। जिला सहकारी बैंकों को क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना होगा और ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रख, अपनी शाखाओं में नई–नई बैंकिंग अवधारणाओं जैसे–कम्प्यूटरीकरण, ग्राहक सेवा का ऊंचा स्तर, लागतों में कमी, उत्पादों के विविधीकरण, नई सूचना प्रौद्योगिकी आदि को समय रहते लागू करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इन बैंकों ने अपनी एक पहचान बनायी है अतः यदि इन बैंकों के विकास पर नजर अंदाज किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास निश्चित रूप से बाधित होगा। यदि इन बैंकों के प्रति भी ध्यान केंद्रित किया जाये तो निश्चित रूप से ये बैंक भी अपने निर्धारित प्रतिमानों को प्राप्त कर सकेंगे। इन बैंकों को भी अन्य बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वैसे तो आज भारतीय बैंकिंग का रुझान भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों की ओर स्वतः ही है किंतु इसमें और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। अतः इन बैंकों को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर नीची ब्याज दर एवं कम लागत पर वित्त उपलब्ध कराये और वसूली संबंधी प्रावधानों को सावधानीपूर्वक लागू करे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब ये बैंक अपने निर्धारित प्रतिमानों एवं लाभदायक के लक्ष्यों को प्राप्त न कर सके और ग्रामीणों को आसानी से वित्त उपलब्ध न करा सके जो कि इनका प्रमुख उद्देश्य है। ❑

(लेखकद्वय साहूजैन कालेज, नजीबाबाद (उ.प्र.) में क्रमशः वरिष्ठ प्रवक्ता और शोध छात्र (वाणिज्य विभाग) हैं)

राष्ट्र के विकास में बैंकों की भूमिका

डा. सूर्य भान सिंह

राष्ट्र के विकास में बैंकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देश के विकास के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। इस पूंजी का कुछ भाग बाहरी देशों से विदेशी ऋण एवं सहायता के रूप में प्राप्त किया जाता है, शेष पूंजी के लिए देश को अपने आन्तरिक साधनों पर ही भरोसा करना होता है। आंतरिक पूंजी को विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित करने तथा विकास के लिए उसका समुचित विनियोग करने में बैंकों का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं होता। बैंक बचत को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी बचत को बैंकों में जमा करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। पूंजी निर्माण की दृष्टि से भी बैंकों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि जनता से प्राप्त जमा राशि का उत्पादन के लिए उचित विनियोग करना बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार बचत को प्रोत्साहन देकर तथा पूंजी–निर्माण की गति को तेज करके बैंक देश के विकास में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं। जन–निक्षेपों के द्वारा धन को एकत्र करने तथा चालू ऋणों एवं विनियोगों के रूप में उद्योग के लिए अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करने की दिशा में बैंकों ने अपनी कार्यकुशलता एवं क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की है।

भारत में कृषि एवं लघु उद्योगों के विकास के अन्तर्गत बैंकों को अपने साधनों एवं कार्यों का विकास करने का उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। भारत में जुलाई 1969 में 14 तथा 1980 में बड़े बैंकों के राष्ट्रीकरण के बाद से बैंक कार्यालयों का अत्यन्त तेजी से विस्तार हुआ है। विशेषरूप से इस दिशा में उन्नीस न्यू बैंक आफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिए जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी बैंक शाखाओं की संख्या में आशा से अधिक वृद्धि की है। इसमें अधिकांश कार्यालय ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में खोले गये हैं। 1969 के बाद से बैंकों की शाखाओं के विस्तार में रिजर्व बैंक की नीति यह रही है कि लाइसेन्स देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि नयी खोली जाने वाली प्रत्येक दो शाखाओं में से कम से कम एक शाखा ऐसे स्थान पर खोली जाए जहां बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। बैंकिंग सुधारों के तहत अब वाणिज्यिक बैंकों को नई शाखा खोले जाने, खराब शाखाओं को बन्द करने तथा शाखाओं को कम व्यवसाय वाले क्षेत्रों से अधिक व्यवसाय वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। अब तक बैंकिंग सुविधाओं का विकास बड़े नगरों एवं अन्य शहरों तक सीमित रहा है, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। इसी अवधि में बैंकों द्वारा जनता से प्राप्त की गयी जमाराशियों में आशातीत वृद्धि हुई है। इससे यह प्रमाणित होता है कि देश में औसत आय एवं बचत की मात्रा में वृद्धि हुई तथा बैंकों द्वारा प्रदान किये गये चालू ऋणों एवं अन्य ऋणों की मात्रा में भी आशा के अनुरूप वृद्धि हुई है।

स्टेट बैंक तथा उसके सात सहायक बैंक पहले से ही राष्ट्रीयकृत थे। जुलाई, 1969 में देश के चौदह अन्य बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये ऐसे बैंक थे जिनकी जमा राशियां उस समय 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक थीं। उस समय यह कहा गया था कि भविष्य में निजी क्षेत्र के बैंकों को भी यदि उनकी जमा राशियां 200 करोड़ रुपये या इससे अधिक हो जाती हैं तो राष्ट्रीयकृत किया जा सकता है। अतः अप्रैल 1980 में निजी क्षेत्र के ऐसे छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी राशियां 200 करोड़ रुपये या इससे अधिक थीं। इस प्रकार अब यह विवाद ही प्रायः समाप्त हो गया है तथा अब बैंकिंग क्षेत्र को उपलब्ध वित्तीय साधनों का 95 प्रतिशत भाग राष्ट्रीकृत बैंक के नियंत्रण में है। अब देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 28 से घटकर न्यू बैंक आफ इण्डिया के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के बाद अब यह संख्या 27 रह गयी है। उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत मार्च 1992 से बैंकों के प्रति सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ है। अन्य निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तथा विदेशी बैंकों को भी यहां कार्य करने की अनुमति दी गयी। साथ ही निजी क्षेत्र में नये बैंकों की स्थापना के लिये भी अनुमति दी गयी। बैंकिंग सेक्टर में सुधारों तथा उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों में 26 प्रतिशत तक इक्विटी पूंजी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा भरने की अनुमति दी गयी। निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों में सरकार ने अभी हाल ही में 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान कर दी है।

राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों ने संतोषजनक प्रगति की है। न केवल इनकी जमा राशियों में वृद्धि हुई है बल्कि इनके द्वारा दिये गए ऋणों में भी आशातीत वृद्धि हुई है। शाखा प्रसार तथा विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में नये बैंक कार्यालयों के प्रसार में तो अत्यन्त सराहनीय प्रगति हुई है। राष्ट्रीयकरण अपने उद्देश्यों में बहुत कुछ सफल हुआ है तथा पिछड़े क्षेत्रों, पिछड़े वर्गों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बैंकों से आसान शर्तों पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध हुआ है। लघु उद्योगों एवं कृषि को विशेष रियायतें बैंकों द्वारा दी गयी हैं। वे आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद निजी क्षेत्र के उद्योगों को ऋण प्रदान करने में बैंक उदासीनता की नीति अपनायेंगे। जबकि निजी क्षेत्र के उद्योगों को बैंकों द्वारा पहले से कहीं अधिक ऋण उपलब्ध हुए हैं। यही नहीं दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के सावधि निक्षेपों में वृद्धि हो जाने से तथा विकास बैंक संस्थाओं से पुनर्वित्त की सुविधाएं मिल जाने के कारण अब बैंकों द्वारा लघु उद्योगों एवं कृषि को पहले से कहीं अधिक मात्रा में मध्यम–कालीन ऋण प्रदान किये गये हैं। सत्तर एवं अस्सी के दशक में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों में कार्य करने से बैंकों के संचालन व्ययों में वृद्धि हुई तथा बैंक ग्राहक सेवाओं के स्तर में गिरावट आयी और लाभदायकता के स्तर में कमी आयी। इसके साथ ही बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को तथा कमजोर वर्गों को दिये गये ऋणों की नियमित वसूली में कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। इसके लिए बैंकिंग आयोजन द्वारा तथा 1977 में रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विषय में नियुक्त समिति द्वारा दिये गए सुझावों को अमल में लाने के प्रयास किये गये हैं। ❑

बैंक ऋणों एवं विनियोगों का अधिकांश भाग पहले सरकारी प्रतिभूतियों एवं व्यापारिक आवश्यकताओं को प्राप्त होता था। कृषि एवं उद्योगों को केवल एक–तिहाई भाग ही मिल पाता था। अब पिछले तीस वर्षों में इस स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। बैंकों के कुल ऋणों एवं विनियोगों का लगभग तीन–चौथाई भाग कृषि एवं लघु उद्योगों को मध्यमकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयुक्त हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि कृषि एवं लघु उद्योगों के वित्त पूर्ति की ओर बैंकों की रुचि बढ़ी है। भारत के बैंकों द्वारा उद्योगों एवं कृषि को दिये जाने वाले ऋण कार्यशील–पूंजी की आवश्यकताओं के लिए ही दिये जाते हैं। उद्योगों एवं कृषि की दीर्घकालीन या स्थायी पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति बैंक बहुत कम करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंक अपने पास जमा कोषों का विनियोग दीर्घकालीन ऋण में करने की स्थिति में नहीं होते। उनके कोषों का पर्याप्त भाग ऐसे निक्षेपों के रूप में होता है जो मांग पर अथवा दो या तीन साल बाद देय होते हैं। अतः इन कोषों का उपयोग वे अधिकतर चालू ऋणों को देने में ही कर सकते हैं। अंश पूंजी एवं संचित कोषों की धनराशि ही बैंकों के पास है जिन्हें स्थायी कहा जा सकता है। किन्तु निक्षेपों की तुलना में बैंकों की इक्विटी पूंजी बहुत ही कम है। इतना अवश्य है कि जबसे पुनर्वित्त की सुविधाएं बैंकों को मिली हैं, तबसे वे उद्योगों एवं कृषि को मध्यमकालीन ऋण प्रदान करने में सक्षम हो गये हैं। अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड तथा निर्यात–आयात बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले मध्यमकालीन ऋणों के लिए 80 से 90 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि, लघु उद्योगों एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दी गई अग्रिम राशि नीचे तालिका में दर्शाई गई है:–

उपर्युक्त तालिका में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दी गई अग्रिम राशि 1969 में 440 करोड़ रुपये थी जो कुल बैंक ऋण का 14.6 प्रतिशत है जबकि 2003 में कुल अग्रिम राशि बढ़कर 200.82 करोड़ रुपये हो गई जो कुल बैंक ऋण का 41.3 प्रतिशत है। पिछले छत्तीस वर्षों में काफी तीव्र गति से कृषि, लघु उद्योगों एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। इसमें भी कुल अग्रिम राशि की अधिकांश हिस्सा कृषि, लघु उद्योग एवं आवास ऋण को दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमानों की तुलना में भारतीय बैंकों का पूंजी अनुपात चार प्रतिशत से भी कम था जो ग्राहकों एवं पूंजी बाजार में विश्वस्तता के लिये कम था। अतः बैंकों को इस अनुपात में वृद्धि करने के लिये

तालिका–1

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दी गई अग्रिम राशि

क्रमांक	विवरण	1969	1999	2000	2001	2002	2003
1.	कृषि	162	37631	45296	53571	88143	70502
2.	लघु उद्योग	251	42591	46045	48400	54268	53029
3.	औद्योगिक सम्पदा की स्थापना	–	21	42	52	62	58
4.	छोटी सड़क	5	3520	3968	3693	4123	4267
5.	खुदरा व्यापार	19	6896	8224	8711	10298	12077
6.	छोटे व्यापार	–	4231	5165	5486	7005	7347
7.	व्यावसायिक	2	2630	2926	3301	3570	3958
8.	शिक्षा	1	450	543	1028	1527	2870
9.	खपत ऋण	–	304	386	686	579	914
10.	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	–	240	295	446	709	698
11.	क्रय एवं आपूर्ति के लिए	–	23	95	410	948	365
12.	आवास ऋण	–	5366	9215	17029	25027	38702
13.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–	339	4349	430	652	23
14.	स्व सहायता समूह	–	21	66	142	303	1084
15.	साफ्टवेयर उद्योग	–	–	91	46	81	131
16.	खाद्य और कृषि उद्योग	–	–	2934	5851	4398	4048
17.	उद्यम पूंजी निवेश	–	–	12	47	118	109
	कुल अग्रिम	440	104263	129652	149329	201811	200182
	कुल बैंक ऋण	3017	265554	316427	341291	394064	485271
	प्रतिशत	14.6	39.3	41.0	43.8	51.2	41.3

स्रोतः– भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय आर्थिक समीक्षा 2004–05

नोटः– इसमें भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके 7 सहायक बैंक और 19 राष्ट्रीयकृत बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

निर्देश दिये गये ताकि यह अनुपात कम से कम आठ प्रतिशत तक हो सके। अन्य बैंकों के लिए आठ प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त कर लेने के लिये मार्च 1996 तक का समय दिया गया था। अनेक बैंकों ने इसे प्राप्त कर लिया तथा कुछ इसे प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील रहे हैं। बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1970 में संशोधन करके राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूंजी कोषों की प्राप्ति के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश की अनुमति दी गयी। फलस्वरूप पिछले दो वर्षों में अनेक बैंकों ने इक्विटी एवं ऋण पत्रों के माध्यम से पूंजी बाजार में प्रवेश करके पर्याप्त कोषों को प्राप्त किया है। अक्टूबर 1993 में उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किया गया जिसका उद्देश्य स्टेट बैंक को पूंजी बाजार में प्रवेश करके सार्वजनिक निर्गमन के द्वारा पूंजी कोषों को प्राप्त करने की अनुमति देना था। फलस्वरूप स्टेट बैंक द्वारा 3200 करोड़ रुपयों के इक्विटी एवं बाण्डों के सार्वजनिक निर्गमन किये गये। फलस्वरूप स्टेट बैंक की पूंजी में रिजर्व बैंक का भाग 99 प्रतिशत से घटकर 66 प्रतिशत रह गया। साथ ही स्टेट बैंक के अन्य शेयर धारकों को 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक मतदान का अधिकार भी प्राप्त हो गया।

विवेकपूर्ण प्रतिमानों को प्राप्त कर लेने तथा पूंजी पर्याप्तता मापदण्ड प्राप्त कर लेने के बाद बैंकों को नयी बैंक शाखायें खोलने अथवा विस्तार पटलों को क्रमोन्नत करने के बारे में स्वयं निर्णय लेने की छुट होगी। बाद में यह तय किया गया कि जो बैंक आठ प्रतिशत तय पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त कर लेते हैं, पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ का उपार्जन करते रहे हैं, जिनकी अलाभकर सम्पत्तियां कुल बकाया ऋणों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं तथा जिनकी स्वामि पूंजी कम से कम 100 करोड़ रुपये हैं, उन्हें नवीन शाखायें खोलने के बारे में स्वयं निर्णय लेने की पूरी छूट होगी। ऐसे बैंकों को जो घाटे में चल रहे हैं, अपनी शाखाओं को बन्द करने (ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्र की शाखाओं को छोड़कर) की भी छूट होगी। यह घोषणा की गयी कि निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों का अब भविष्य में राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। साथ ही निजी क्षेत्र में नये बैंकों की स्थापना का निर्णय भी लिया गया। परिणाम–स्वरूप पिछले पांच वर्षों में निजी क्षेत्र में कई नये बैंकों की स्थापना की जा चुकी है। ऐसे बैंकों द्वारा विदेशी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक तथा अनिवासी भारतीयों से 40 प्रतिशत तक पूंजी साधन एकत्रित करने की अनुमति दी जा सकेगी।

अन्त में यह उल्लेख करना उचित होगा कि बैंकों में सुधार की यह प्रक्रिया समाप्त न होकर निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इन सुधारों के प्रभावों पर निरन्तर दृष्टि रखने के साथ–साथ इनमें यथोचित परिवर्तन करते रहने और नये सुधारों को लागू करने की आवश्यकता सदैव बनी रहनी चाहिए। बैंकों की कार्यक्षमता वित्तीय स्थिति एवं लाभदायकता में उपयुक्त सुधारों के कारण अत्यत अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है। आशा है कि आने वाले वर्षों में बैंक ग्राहकों को और उत्तम सेवायें प्रदान करते रहेंगे तथा अपनी वित्तीय स्थिति और लाभदायकता की स्थिति में और सुधार लाने में सक्षम होंगे। निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना होने तथा विदेशी बैंकों द्वारा अपनी शाखायें यहां खोलने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक कड़ी प्रतियोगिता की स्थिति बनती जा रही है। अतः भारतीय बैंकों को अपने कार्यकलापों एवं कार्य क्षमताओं में यथोचित सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ❑

(लेखक एम एम पी जी कालेज, प्रतापगढ़, उ.प्र., में रीडर एवं वाणिज्य विभाग के विभागध्यक्ष हैं)

निर्धन युवकों के लिए स्व–रोजगार

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत उप–योजना बनाने के लिए एक अंतर–मंत्रालय समूह (आईजीएम) गठित किया था। आईजीएम की सिफारिश के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल) के बेरोजगार युवाओं के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत कौशल विकास के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। प्रायोगिक चरण (2005–07) में 100 चुनिंदा जिलों में प्रतिवर्ष कम से कम 1000–2000 ग्रामीण युवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के रूप में इन प्रायोगिक परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा। कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन की अधिकतम अनुमेय अवधि 15 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय ने बीपीएल परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए अब तक वित्त वर्ष 2004–05 में दो विशेष परियोजनाएं मंजूर की हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को मांग आधारित कौशल विकास मुहैया कराना है ताकि उनके स्थायी रोजगार के लिए उनकी नियोजनीयता में वृद्धि की जा सके। ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(1) डा. रेड्डी फाउण्डेशन (डीआरएफ) के लाइवलीहुड एडवांसमेंट बिजनेस स्कूल (एलएबीएस) मॉडल के आधार पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत विशेष परियोजना–14 करोड़ रुपये की कुल लागत से की गई, जिसमें केंद्र और डा. रेड्डी फाउण्डेशन के बीच 75:25 के आधार पर हिस्सेदारी की जानी है। इस परियोजना का उद्देश्य 18–35 वर्ष आयु वर्ग के 35000 बीपीएल युवाओं के लिए जीविकोपार्जन के संभाव्य विकल्प की पहचान करना तथा उन्हें उपलब्ध कराना और उन्हें बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देना है। परियोजना 7 राज्यों अर्थात राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार और झारखंड में कार्यान्वित की जाएगी। जिसमें प्रत्येक राज्य में 5000 बीपीएल युवा लिए जाएंगे।

(2) टूवर्डस ए सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ नाम की विशेष परियोजना – कपार्ट द्वारा गैर–सरकारी संगठनों के जरिए ग्रामीण गरीबों का कौशल प्रशिक्षण – यह परियोजना 1201.21 लाख रुपये की कुल लागत से स्वीकृत की गई जिसका सम्पूर्ण वित्त पोषण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य बेरोजगार ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास करना है ताकि उन्हें उत्पादक स्वरोजगार के साथ–साथ बाजार की मांग और स्थानीय संसाधन आधारित संगठित रोजगार आरंभ करने में समर्थ बनाया जा सके। परियोजना की अवधि 15 माह है। यह परियोजना 22 राज्यों के 50 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। कपार्ट इस परियोजना को इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लायड मेन पावर रिसर्च और गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से कार्यान्वित करेगा। इस परियोजना के अंतर्गत कुल एक लाख लाभार्थियों का शामिल करने का प्रस्ताव है। ❑

बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड : विश्वास का प्रतीक

कुमार शांत रक्षित

बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक की स्थापना 1914 में हुई थी। 1914 से 1997 तक लगातार लाभ में होने के कारण इसे बिहार के कृषक एवं निवेशक ने "1914 से विश्वास का प्रतीक" मानते रहे। वित्तीय वर्ष 1997–98 से प्रुडेंशियल नार्म्स के लागू हो जाने के बाद बैंक की वित्तीय स्थिति पर तात्कालिक रूप से बुरा असर पड़ा तथा बैंक लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक घाटे में रहा। उसके बाद बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार आना प्रारंभ हुआ और मार्च, 04 को बैंक 114.02 करोड़ रुपये तथा मार्च, 05 में 68.41 करोड़ रुपये के लाभ में आया। बैंक ने अपना खोया विश्वास पुनः अर्जित कर लिया तथा देश के कई सहकारी बैंकों के लिए यह बैंक एक ऐसा उदाहरण बन गया है जिसने नुकसान के गर्त में डूबने की अपनी नियति से संघर्ष करते हुए अंततः विजय पाई। यह बैंक देश के अन्य सहकारी बैंकों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है।

16 मार्च 1914 को सहकारी समिति अधिनियम II, 1912 के तहत बिहार स्टेट को–ओपरेटिव बैंक का निबंधन बिहार एवं उड़ीसा प्रोविन्शियल को–आपरेटिव बैंक के रूप में हुआ था। इस बैंक ने 2.98 लाख की कार्यशील पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया था। इस बैंक के संस्थापक हथुआ महाराज (महाराजा बहादुर गुरु महादेव शरण प्रसाद शाही) बबैली महाराज (राजा बहादुर कृत्यानन्द सिन्हा), डुमरांव महाराज (राय बहादुर हरिहर प्रसाद नारायण सिंह) तथा पूर्णियां महाराज (राजा पी. सी. लाल) थे। उस समय बिहार एवं उड़ीसा दोनों इसके कार्यक्षेत्र थे। 1936–37 में उड़ीसा के अलग हो जाने के बाद इसका कार्यक्षेत्र बिहार राज्य रह गया। दिसंबर 1950 में इसका नामकरण बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक किया गया। जुलाई 1966 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को द्वितीय अनुसूची में शामिल किया। पूर्व में यह बैंक खरीद–बिक्री का व्यवसाय भी करता था लेकिन जून 1998 में बिहार स्टेट को–आपरेटिव मार्केटिंग यूनियन की स्थापना के बाद इसने अपना खरीद–बिक्री का कारोबार उक्त नई संस्था के हवाले कर दिया और स्वयं बैंकिंग व्यवसाय पर ही केंद्रित हो गया।

वर्तमान में बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक बिहार राज्य में अल्पकालीन साख संरचना से जुड़ा शीर्ष बैंक है। झारखंड राज्य विभाजन के बावजूद बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक का अब तक विभाजन नहीं हुआ है। दोनों राज्यों को मिलाकर इसकी अपनी 14 शाखाएं हैं तथा पटना के अशोक राजपथ पर इसका मुख्यालय है। बिहार राज्य के 22 केंद्रीय सहकारी बैंक तथा झारखंड के 8 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं। पूर्व में यह बैंक मूलतः कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ था लेकिन 1990 में नाबार्ड के दिशा–निर्देश के बाद इसने गैर कृषि क्षेत्र में अपनी शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। गैर कृषि क्षेत्र के व्यवसाय में बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक का नाम बिहार राज्य में व्यवसायिक बैंक की तरह ही लिया जाता है। इस बैंक की सभी 14 शाखायें पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हो गई हैं तथा इसका मुख्यालय भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हो चुका है। इस बैंक के पटना स्थित मुख्यालय एवं अन्य शाखाओं का आधुनिकीकरण हो चुका है तथा इसकी साज–सज्जा और पहचान बिहार के अन्य व्यावसायिक बैंकों से कहीं ज्यादा बेहतर है।

परिवर्तन के कारण

अपने 91 वर्षों के इतिहास में केवल 3 वर्षों तक घाटे में रहनेवाली इस बैंक ने बदलती व्यवस्था के साथ रहना तथा बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति को तुरंत ही भांप लिया। हालांकि वर्ष 2000–01 से ही इस बैंक ने पुनः लाभ कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह बैंक लगातार सकल घाटे में जाता रहा। तीन वित्तीय वर्षों में ही इसका सकल घाटा 97 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका था। वर्ष 2003 से इस बैंक ने कई ऐसे निर्णय लिये जिससे सहकारी बैंकों के क्षेत्र में यह एक उदाहरण बन गया है। वर्ष 2003–04 में इसने पूरे नुकसान की भरपाई करते हुए 17 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया। 2004–05 में इसका मुनाफा 68 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा तथा वर्ष 2005–06 में 125 करोड़ रुपये शुद्ध मुनाफा इसका लक्ष्य है। इस बैंक की कार्य प्रणाली और उठाए गए कदमों का अध्ययन करने के लिए बिहार की नामी गिरामी दुग्ध सहकारी संस्था कम्फेड ने अपने पदाधिकारियों / कर्मचारियों को भेजा। असम स्टेट को–आपरेटिव बैंक ने भी अपने पदाधिकारियों को इस बैंक की कार्य प्रणाली को अध्ययन के लिए भेजा।

इस बैंक की कार्य प्रणाली का सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु इसके पदाधिकारियों / कर्मचारियों की वर्दी संहिता एवं अनुशासन का कठोरता से पालन करना है। सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी एक ही रंग की शर्ट, पैंट एवं टाई पहनते हैं। सभी स्त्रियां नीली साड़ी पहनती हैं और सभी वर्ग 4 के कर्मचारी सफेद पैंट–शर्ट पहनते हैं। उप महाप्रबंधक से लेकर चपरासी तक अपनी हाजिरी कम्प्यूटर पर बायोमेट्रिक्स डिवाइस के माध्यम से बनाते हैं। दस बजकर पांच मिनट पर कम्प्यूटर का हाजिरी शीट प्रबंध निदेशक के पर पहुंच जाता है। यूं तो शाम में कार्यालय समाप्ति समय 5.30 बजे है, लेकिन सात बजे से पहले कोई कार्यालय नहीं छोड़ता। पूरा कार्यालय देखकर एक कार्पोरेट

संस्कृति का एहसास होता है। शाम में कार्यालय छोड़ते वक्त भी कम्प्यूटर की हाजिरी बनती है।

ड्रेस कोड एवं अनुशासन के अलावा जिन अन्य कारकों ने इस बैंक की कायापलट की है, वह इस प्रकार है।

- **रिकवरी कोषांगः** बैंक मुख्यालय में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक वसूली कोषांग कार्यरत है। सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक दो शिफ्ट में यह कोषांग कार्यरत है। सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक दो शिफ्ट में यह कोषांग लगातार कार्य करता है। इस कोषांग के पास सभी दैनिक आंकड़े एकत्रित होते हैं। जैसे प्रतिदिन किस जिला सहकारी बैंक में कितनी ऋण वसूली एवं ऋण वितरण हुआ। शीर्ष बैंक की 14 शाखाओं में प्रतिदिन कितने एवं किस प्रकार के नए खाते खुले, कितना ऋण वितरण हुआ, कितनी जमा वृद्धि हुई। सभी आंकड़े संस्था साढ़े छः बजे प्रबंध निदेशक के सामने रख दिये जाते हैं।
- **सांस्कृतिक कार्यक्रमः** ऋण वसूली का एक नायाब तरीका ढूंढा गया। मुख्यालय से तीन सांस्कृतिक टीम का गठन किया गया जिसमें दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गीत–संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों से सहकारी बैंकों में जमा वृद्धि से लाभ, समय पर ऋण चुकाने के फायदे तथा सहकारी बैंकों से समय पर ऋण प्राप्ति के तरीकों को क्षेत्रीय भाषा में नाटक एवं संगीत के माध्यम से बताया गया। पुराने ऋणों की वसूली में इसका बहुत फायदा हुआ।
- **क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यालयः** मुजफ्फरपुर, गया एवं पूर्णियां में एक–एक क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यालय खोले गए। मुख्यालय स्तर से मार्गदर्शन देने के लिए वहां अफसर रखे गये, जो क्षेत्रों में घूम–घूम कर ऋण वसूली एवं ऋण वितरण का पर्यवेक्षण करने लगे।
- **पुलिस बलः** शीर्ष बैंक ने मुख्यालय स्तर पर पुलिस बल रखा तथा सभी जिला सहकारी बैंकों को भी जिला स्तर से ऋण वसूली हेतु पुलिस बल मुहैया कराया गया। सभी जिला सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को सर्टिफिकेट अफसर की शक्तियां प्रदान की गई।
- **10 प्रतिशत त्वरित नगद प्रोत्साहन योजना** : ऋण वसूली में गति लाने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त कर बैंक में एक नगद प्रोत्साहन योजना लागू की। इसके तहत जिला सहकारी बैंकों को छूट दी गई कि वह किसी भी माध्यम से या किसी भी कर्मचारी की मदद से जो भी ऋण वसूली करायेगा उसमें वसूली गई सूद की राशि का 10 प्रतिशत तत्काल वसूलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को भुगतान कर दी जायेगी। इसका बड़ा दूरगामी परिणाम हुआ और बैंक के कर्मचारियों ने भी जोर–शोर से इस योजना में भाग लिया।
- **जिलाधिकारी स्तर से पर्यवेक्षणः** शीर्ष बैंक ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों से अनुरोध किया कि ऋण वसूली अभियान का वसूली अभियान का अपने स्तर से भी पर्यवेक्षण करें। जिला प्रशासन के सहयोग के कारण भारी मात्रा में नगद ऋण वसूली होने लगी तथा बैंक की गैर निष्पादक अस्तियां (NPA) कम होने लगी।

बैंक ने अपने व्यवसाय में वृद्धि के लिए भी कई कदम उठाए

- **ऋण वितरण मेला** : जगह–जगह पर ऋण वितरण मेला आयोजित किया गया जहां वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण इत्यादि उपलब्ध कराया गया।
- **सरकारी प्रतिभूतियों का व्यवसाय** : बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों का व्यवसाय शुरू किया। इसके लिए अच्छे वित्तीय विश्लेषकों से लगातार सलाह प्राप्त की जाती है। पिछले नौ माह में इस कार्य से बैंक को लगभग दो करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है।
- **बीमा व्यवसाय में प्रवेश** : बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम एवं साधारण बीमा निगम का कार्पोरेट एजेंसी प्राप्त की है। बिहार में जीवन बीमा निगम से संबद्ध सभी कार्पोरेट एजेंसियों से बेहतर व्यवसाय बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक ने किया है।
- **पांच नई शाखायें** : शीर्ष बैंक ने बेहतर व्यवसाय के मद्देनजर यह निर्णय किया है कि छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियां और मुजफ्फरपुर में भी अपनी शाखायें खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।
- **मुख्यालय स्तर से नियमित पर्यवेक्षण** : शाखाओं एवं जिला सहकारी बैंकों का नियमित पर्यवेक्षण शीर्ष बैंक मुख्यालय स्तर से करता है। उप महाप्रबंधक स्तर के पदाधिकारी लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर अपनी शाखाओं एवं जिला सहकारी बैंकों के कार्य–कलाप पर नजर रखते हैं।
- **नये एवं विशेषज्ञ कर्मियों की अनुबंध पर नियुक्ति** : शीर्ष बैंक में नये, युवा एवं विभिन्न क्षेत्रों के जानकार विशेषज्ञों की कमी थी। अनुबंध पर एमबीए, एमसीए, अभियंता और वित्त विश्लेषक रखे गये जिनके सलाह से बैंक को लगातार लाभ हो रहा है।
- **ए.टी.एम. एवं नेटवर्किंग** : बैंक का अगला लक्ष्य पटना शहर में सबसे पहले 10 ए.टी.एम. लगाने का है ताकि तकनीकी दृष्टिकोण से भी अन्य व्यवसायिक बैंकों की तरह अपने ग्राहकों से यह सुविधा उपलब्ध करा सके। शीर्ष बैंक ने यह भी विचार किया है कि सभी जिला सहकारी बैंकों को राज्य मुख्यालय से V-SAT के माध्यम से जोड़ दे। इस दिशा में कार्य चल रहा है।

बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक द्वारा उठाये गये कदमों एवं भविष्य की तैयारियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह बैंक "1914 से विश्वास का प्रतीक" बने रहने की दिशा में अभी भी प्रतिबद्ध है। ❑

(लेखक बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना के उप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) हैं)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

पुस्तक समीक्षा

संचार टेक्नोलॉजी के बारीक पहलुओं का अध्ययन

एस.के. पांडेय

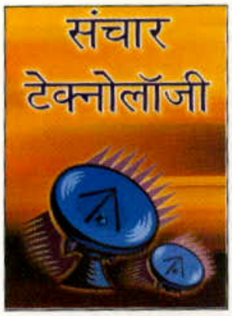

पुस्तकः संचार टेक्नोलॉजी; लेखकः गौरी शंकर रैणा; प्रकाशकः श्री नटराज प्रकाशन, ए 507/12 साउथ गामड़ी एक्सटेंशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्याः 160, मूल्यः 300.00

गौरी शंकर रैणा की पुस्तक 'संचार टेक्नोलाजी' इलेक्ट्रानिक मीडियो के नई पुस्तक को अपने आप में समेटे हुए है। मीडिया पर प्रकाशित ढेर सारी पुस्तकों के बीच रैणा की यह पुस्तक एक अलग पहचान रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पुस्तक में ठोस जानकारी दी गई है जिससे पाठकों को नई–नई बातों की जानकारी हो जाती है। डी.टी.एच. फाइबर आप्टिक्स, हाई डेफीनेशन, एम.पी.टी, हाईब्रो जैसी तमाम शब्दावली की बहुत अच्छी व्याख्या की है लेखक ने।

पुस्तक छह खंडों में लिखी गई है। हर खंड में व्याख्या के जरिए बात समझाने का प्रयास किया गया है। रैणा जाने–माने मीडिया विशेषज्ञ हैं तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया का उनके पास बहुत लंबा अनुभव है क्योंकि वे दिल्ली दूरदर्शन में कार्यक्रम निर्देशन से जुड़े रहे हैं। अपने तमाम संचित अनुभवों को रैणा ने इस पुस्तक के जरिए संप्रेषित करने का प्रयास किया है।

पुस्तक का पहला खंड संचार टेक्नोलाजी से संबंद्ध है जिसमें लेखक ने संचार की व्यवस्था की पूरी जानकारी दी है। लेखक ने संकेत किया है कि संचार क्षेत्र में टेक्नोलाजी तेजी से बदल रही है। ऐसी स्थिति में जनसंचार की परिभाषा भी बदलने लगी है। वैसे भी देखा जाए तो इलेक्ट्रानिक मीडिया ने पत्रकारिता की धारा ही बदल दी है। इसलिए जरूरी है कि इस बदले संदर्भ में मीडिया को समझा जाए। इस दृष्टि से यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है। इस खंड में सेटेलाइट संचार, देश में विभिन्न चैनलों की स्थिति, विज्ञापन से दूरदर्शन की आय समेत कई बातों की सहज व्याख्या की गई है।

दृश्य–श्रव्य माध्यमों के विकास पर दूसरा खंड केंद्रित है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन तथा फिल्मों के प्रारंभ और विकास की कहानी है। इस क्रम में लेखक ने शोधपूर्ण शैली में कई महत्वपूर्ण तिथियों की चर्चा की है। जैसे–'24 मई, 1844 से पहले सभी लिखित संदेश रेल, घुड़सवारों, पैदल जाने वालों अथवा कबूतरों द्वारा भेजे जाते थे।' रेडियो प्रसारण आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। इसी तरह टेलीविजन के विकास की रोचक दास्तान आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं। जैसे–'सन् 1884 ई. में जर्मनी के एक वैज्ञानिक पॉल जी. त्रियकोव ने एक तरीका खोज निकाला था जिसके द्वारा एक चित्र को स्कैन किया जा सकता था।' फिल्मों की यात्रा भी आप इस पुस्तक में देख सकते हैं। कम शब्दों में यहां अच्छी जानकारी मिल जाती है।

गौरी शंकर रैणा नाटकों से भी जड़े रहे हैं। उनकी प्रकाशित कृतियों में एक वही मैं (तीन लघुनाटकों का संकलन), पालने का पूत (बहुचर्चित कश्मीरी नाटक का हिंदी अनुवाद), अलवेली नगर (शेक्सपीयर के लघु नाटकों का हिंदी अनुवाद) शामिल हैं। उनकी प्रमुख टेलीफिल्मों तथा नाटकों में भीगी धूप, अधिकार, अनुभूति, खंडहर, विदाई, बंधन तथा आखिरी फैसला के नाम लिए जा सकते हैं। आलोच्य पुस्तक में रैणा ने दो अध्याय रेडियो तथा टेलीविजन के नाटकों पर केंद्रित किया है। इन दोनों खंडों में नाटकों के न सिर्फ अपितु व्यावहारिक पक्षों का विवेचन आप देख सकते हैं। यहां लेखक ने शब्द, संवाद, पार्श्वसंगीत, ध्वनि प्रभाव, पात्र रचना की साहित्यकता नाटक के मानसिक वातावरण का प्रकटीकरण, रंगमंच नाटक व रेडियो नाटक में भेद को सुंदर तरीके से रेखांकित किया है। डाक्यूमेंट्री, रेडियो नाटकों के प्रकार, मनोलाग फैंटेसी, पटनायक, संगीत नाटक, धारावाहिक नाटक के जरिए रेडियो नाटकों को पूरा खाका तैयार किया गया है।

टेलीविजन नाटक लिखने वालों तथा इसमें रुचि रखने वालों के लिए ढेर सारी सामग्री इस पुस्तक में मिल जाती है। टेलीविजन की सांकेतिक भाषा, तकनीक, नाट्य आरूप, रचना प्रक्रिया, दृश्यांकन, विषय का चुनाव, टेलीफिल्म, सोपऑपेरा, सिटकाम, जैसे विषयों की लेखक ने अपने अनुभवों के आधार पर व्याख्या की है। यहां रेडियो तथा दूरदर्शन नाटकों के एक–एक उदाहरण भी दिए गए हैं।

लेखक ने फिल्म के विविध पहलुओं की नई व्याख्या की है। फिल्मों ने सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि विभिन्न माननीय स्थितियों पर टिप्पणी भी करती हैं तथा सामाजिक परिवर्तन में आज फिल्मों की अहम भूमिका है। खान–पान, रहन–सहन, वेश–भूषा आदि के बारे में फिल्मों ने ग्लोबल स्तर पर एकरूपता बनाने में अहम् भूमिका निभाई है फिल्मों के बारे में लेखक की टिप्पणी है–'फिल्म अपनी तकनीक, चित्रशक्ति, धारणा के कारण एक प्रभावकारी कला के रूप में प्रस्तुत हो जाती है।'

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गौरी शंकर रैणा यह पुस्तक 'संचार टेक्नोलाजी' संचार के माध्यमों की नई व्याख्या प्रस्तुत करती है। यह व्याख्या बदले हुए संदर्भों की है क्योंकि रोज नए–नए परिवर्तन हो रहे हैं। ❑

RAU'S IAS
WHERE WINNERS LEARN

Amazing Success

Our 2004 Exam Results : Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

Programme Highlights

Civil Service Exam, 2006

- Personal Guidance (English Medium) is available for -

  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.

- **पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -**

  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।

- Postal Guidance in English Medium available for -

  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.

- Postal Guidance in Hindi Medium available for **General Studies** only.

- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

New batches for 2006 Exam, start from 11th November, 2005

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001.
Phone : 39448880-81, 55391202, 23318135-36, 23738906-07, Fax: 23317153
For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH 9/5/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया–II, नई दिल्ली–20 : संपादक : स्नेह राय